स्व अध्ययन सामग्री
Self -Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

अनिवार्य सैद्धान्तिक विषय (मुख्य)

मॉड्यूल – 1

समाज कार्य का परिचय
(Introduction to Social Work)

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट सतना (म.प्र.) 485334

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन)
35, राजीव गांधी भवन, द्वितीय खाण्ड, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002

मॉड्यूल – 1 समाज कार्य का परिचय

संस्करण 2022

अवधारणा :

श्री बी.आर. नायडू, महानिदेशक

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्, भोपाल

मार्गदर्शन :

डॉ. जितेन्द्र जामदार, उपाध्यक्ष

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्, भोपाल

श्री विभाष उपाध्याय, उपाध्यक्ष

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्, भोपाल

डॉ. भरत मिश्रा, कुलपति

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

डॉ, धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्, भोपाल

लेखक मण्डल :

डॉ. अजय आर. चौरे, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

डॉ. विनोद शंकर सिंह, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

सम्पादक मण्डल :

डॉ. कुसुम सिंह, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

डॉ. ललित कुमार सिंह, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

डॉ. राममूर्ति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

मुद्रक एवं प्रकाशक :

कुलसचिव,महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

सम्पर्क : हेल्पडेस्क चित्रकूट – 07670–265627, हेल्पडेस्क भोपाल – 0755–2660203

वेबसाईट : www.cmcldp.org, ई–मेल : cmcldpcourse@gmail.com

लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल : http://web700.128.202.new.ocpwebserver.com/

लर्निंग एप्प :

कॉपीराइट : महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्यप्रदेश

आभार : इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों तथा वेबसाईट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। सभी के प्रति कृतज्ञता और आभार।

माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है की मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (CMCLDP) के अंतर्गत महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एवं मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के साझा प्रयासों से अकादमिक सत्र 2022–23 से नई शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों के अनुसार समाज कार्य स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम (BSW/MSW) पुनः प्रारंभ किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 2015 से प्रारंभ किया गया एक अभिनव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से अब तक एक लाख पच्चीस हजार से ज्यादा युवा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर ऐसा प्रशिक्षित युवा नेतृत्व तैयार करना है, जो सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुंचाकर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने हेतु जन भागीदारी सुनिश्चित कर सके।

पाठ्यक्रम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का समावेश पाठ्य सामग्री के साथ जोड़ा जाये। जिससे विद्यार्थी कार्य करके सीखने की पद्धति से प्रशिक्षित हों। प्रायोगिक कार्य के लिये गांव को व्यावहारिक कार्य प्रशिक्षण की प्रयोगशाला मानकर विद्यार्थियों को निर्देशित किया जायेगा कि वे उस गाँव में संचालित शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। उसमें जन भागीदारी से कैसे और अधिक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस हेतु कार्य करें। सतत विकास लक्ष्यों को चिन्हित कर निर्धारित सूचकांक में जन समुदाय में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन लाकर वृद्धि करना पाठ्यक्रम के क्रियाकलापों का प्रमुख उद्देश्य होगा। इससे मध्यप्रदेश में विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने और इस प्रक्रिया से सतत विकास की व्यवहारिक जानकारी विद्यार्थियों को देने में आसानी होगी।

प्रायोगिक कार्य मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद से संबंधित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं तथा मध्यप्रदेश शासन के विभागों के स्थानीय कार्यालय में इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों के द्वारा करने की व्यवस्था इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत की गई है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अंतर्गत चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वह सभी सुविधाएं मुहैया कराने की प्रयास किया गया है कि जो नियमित छात्रो के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि **विकास को एक जन आंदोलन बनाएं**। मेरी आशा है कि इस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित युवाओं के द्वारा यह नारा एक वास्तविकता में बदले और वे **आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश** बनाने के संकल्प में अपनी आहुति दें।

(शिवराज सिंह चौहान)
मुख्यमंत्री

कुलपति महोदय का संदेश

सुप्रसिद्ध समाज सेवी भारतरत्न राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख के दूरदर्शी प्रयासों और पहल के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा चित्रकूट में पुण्य सलिला माँ मंदाकिनी के सुरम्य तट पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना 12 फरवरी 1991 को एक पृथक अधिनियम 9, 1991 के द्वारा देश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में हुई। विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है–**'विश्वं ग्रामे प्रतिष्ठितम्'** अर्थात ग्राम विश्व का लघु रूप है। सर्वांगीण ग्राम्य विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विगत तीन दशकों से विश्वविद्यालय अपनी सम्पूर्ण रचनात्मक ऊर्जा का विनियोग कर रहा है। निर्धन के मित्र, विकास के चिंतक और शासन के सहयोगी के रूप में विश्वविद्यालय ने अपनी उल्लेखनीय सेवायें प्रदेश और राष्ट्र को समर्पित की हैं।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी.एल.डी.पी.) मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी और अभिनव पहल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद् के सहयोग से प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में विकास की आवश्यकताओं हेतु वांछित मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से समाज कार्य के स्नातक और परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों का संचालन करने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने इस कार्य का शुभारम्भ शैक्षणिक सत्र 2015–16 से किया था। स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में अब तक एक लाख पच्चीस हजार से अधिक छात्र पंजीकृत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं। पाठ्यक्रम की उपलब्धियाँ सहज ही गौरव की अनुभूति कराने वाली हैं।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' के युगान्तरकारी प्रावधानों ने भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन करने का शंखनाद कर दिया है। हमारा प्रदेश इसमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। हमारा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए उपयोगी प्रावधानों को इस पाठ्यक्रम से अर्थपूर्ण रूप में जोड़कर इन्हें सत्र 2022–23 से पुनः संशोधित–परिवर्धित रूप में प्रारम्भ करने जा रहा है। पाठ्यक्रम यद्यपि दूरवर्ती पद्धति से संचालित है, किन्तु नियमित संपर्क कक्षाओं के आयोजन, उच्च गुणवत्ता की स्व–अध्ययन सामग्री एवं नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षार्थी को 'लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एल.एम.एस.)' और 'स्मार्ट फोन' पर एक्सेस करने वाले एप्प के माध्यम से बेहतरीन शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। ऐसा करने वाला यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। पाठ्यक्रम का लक्ष्य गांव–गांव में विकास की क्षमता और समझ रखने वाले परिवर्तन दूतों को तैयार करना है। यह विश्वविद्यालय के लक्ष्यों के केन्द्र में भी है और *'संगच्छत्वम् सम्वदत्वम्'* की अवधारणा वाले मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् के क्रिया–कलापों के केन्द्र में भी है। समान अवधारणा और कार्यक्रमों से ग्राम्य जीवन को पुष्पित–पल्लवित करने वाले इन संस्थानों का मणि–कांचन संयोग प्रदेश के विकास परिदृश्य के लिए अनुकूल और अनुकरणीय होगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षार्थियों, अभिभावकों, प्रशासकों, समन्वयकों और अन्य सभी को मेरी मंगलकामनाएँ!

प्रो. भरत मिश्रा

कुलपति

प्रस्तावना

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) मध्यप्रदेश शासन की महत्वकांक्षी पहल है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओतप्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हो, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें। यह कार्य चुनौती भरा है, किन्तु असम्भव नहीं है। यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हों और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया है।

अनिवार्य सैद्धान्तिक विषयों की कड़ी में यह पहला प्रश्नपत्र है। शीर्षक है– **समाज कार्य परिचय**। इस मॉड्यूल की अध्ययन सामग्री को पढ़कर आप समझ पाएँगे कि समाज कार्य की प्राचीन एवं आधुनिक अवधारणा को समझना कितना आवश्यक है। इस पाठ में समाज कार्य की मौलिक बातों को आपको बताया जाएगा ताकि समाज कार्य के प्रति आपका पूर्वाग्रह एवं भ्रान्तियाँ दूर हो सकें। समाज कार्य में बहुत से मिलते जुलते शब्द होते हैं लेकिन सभी के अर्थ एवं अवधारणाएँ अलग–अलग होती हैं। इसकी समझ जब आपके अन्दर विकसित हो जाएगी तो आप स्वयं समुदाय को विकास की मुख्यधारा में लाने हेतु सतत प्रयत्नशील होंगे एवं नकारात्मक प्रवृत्तियों का निराकरण कर सकारात्मक मनोवृत्तियों के विकास में सफल होंगे। आइए इस मॉड्यूल को ध्यान से पढ़ें।

विश्वास है कि जानकारी एवं प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होगा। चलिए! शुभकामनाओं के साथ पठन पाठन की इस रचनात्मक प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।

मॉड्यूल–1 समाज कार्य का परिचय (Introduction to Social Work)

इकाई–1 : समाज कार्य की अवधारणा

1.1 समाज कार्य की अवधारणा

1.2 अर्थ एवं परिभाषा

1.3 उद्देश्य एवं महत्व

इकाई–2 : समाज कार्य एवं अन्य अवधारणायें

2.1 समाज कार्य, समाज सेवा, सामाजिक सुधार

2.2 समाज कल्याण, समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक विकास

2.3 सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय, व्यावसायिक समाज कार्य एवं स्वैच्छिक समाज कार्य

इकाई–3 : भारत में समाज कार्य का इतिहास

3.1 प्राचीन काल

3.2 मध्य काल

3.3 आधुनिक काल

3.4 समाज कार्य का व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक स्व़रूप

इकाई–4 : समाज कार्य का दर्शन एवं मौलिक मूल्य

4.1 समाज कार्य का दर्शन

4.2 समाज कार्य के मौलिक मूल्य

इकाई–5 : समाज कार्य के सिद्धान्त एवं तकनीकियॉ

5.1 समाज कार्य के सिद्धान्त

5.2 समाज कार्य की तकनीकियॉ– सम्बन्ध, संबल, सहभागिता, साधन–उपयोग

5.3 व्याख्या, स्पष्टीकरण,सामान्यीकरण, परिस्थिति परिवर्धन, स्थानान्तरण

इस मॉड्यूल के अध्ययन से निम्नवत क्षमतायें/कौशल विकसित होंगे –

- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थी में समाज कार्य की परिचयात्मक समझ विकसित होगी।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास होगा जो समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने का प्रयास करेगा।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थी में समाज कार्य से सम्बन्धित अन्य अवधारणाओं की समझ विकसित होगी और वह विभिन्न मिलते जुलते शब्दों में अन्तर कर कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में समक्ष होगा।
- सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में समुदाय के सभी लोगों को जोड़ना आवश्यक है। विशेष रूप से स्थानीय समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। इस लिए इसके अध्ययन से विद्यार्थी में समाज कार्य के प्राचीन परम्परागत एवं वैज्ञानिक/व्यावसायिक स्वरूप को समझने में सहायता मिलेगी।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थी में समाज कार्य की दार्शनिक अवधारणा एवं समाज कार्य के मौलिक मूल्यों की समझ विकसित होगी।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी अपने कार्यक्षेत्र में समाज कार्य के सिद्धान्तों एवं तकनीकियों का प्रयोग करना सीख जाएगा जिससे वह समुदाय की मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान एवं मानवीय व्यवहारों में परिवर्तन लाकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ सकेगा।

मॉड्यूल की सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता

- समाज कार्य के इस पाठ्यक्रम में 'समाज कार्य परिचय' एक आधारभूत मॉड्यूल है। समाज कार्य के वैज्ञानिक स्वरूप को समझने की आवश्यकता मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रत्येक स्थान पर महसूस की जाती है। सतत विकास लक्ष्य में भी मानव निर्माण की बात कही गयी है। समाज कार्य के माध्यम से सहभागिता आधारित विकास मॉडल से ही सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। अतः इस मॉड्यूल की संबद्धता लगभग सभी सतत विकास के लक्ष्यों के साथ

शासकीय विभागों एवं योजनाओं से संबद्धता

- पंचायत राज विभाग। जन अभियान परिषद/आजीविका मिशन/स्वास्थ्य मिशन।
- समाज कल्याण विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग।
- मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग। स्वैच्छिक संगठन एवं औद्योगिक संगठन।
- शैक्षणिक संस्थाएं। बालनिर्देशन एवं परिवार परामर्श केन्द्र।
- अपराधी सुधार केन्द्र (जिला कारागार एवं मण्डल कारागार)।
- राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित समस्त हितग्राही मूलक योजनाएँ
- शासकीय विभागों की गतिविधियाँ एवं योजनाओं को समुदाय स्तर पर सामूहिक सहभागिता के माध्यम से क्रियान्वित कराने में सहयोग।

इंटर्नशिप/व्यावहारिक कार्य अभ्यास

- समाज कार्य में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आपको स्थानीय स्तर/सम्बन्धित जिले के शासकीय विभाग या उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कार्य क्षेत्र में आप इसका व्यावहारिक उपयोग कर सकेंगे।

विषय प्रवेश

भारत में समाज की अवधारणा जितनी ही प्राचीन हैं, उतनी ही आधुनिक भी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विकास के लिए समाज पर ही निर्भर है। सामान्यतया वह अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति अपने प्रयासों से करना चाहते हैं। किन्तु कभी–कभी उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं में या तो कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं या सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें वह वातावरण के साथ समायोजित नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें दूसरों की सहायता की आवश्यकता प्रतीत होती है। सामान्यतया यह कार्य समाज कार्य द्वारा किया जाता है। नगरीकरण, औद्योगीकरण एवं डिजिटल क्रान्ति के कारण आज समाज के समक्ष चाहे वे युवा हों, महिलाएँ हों, छात्र–छात्राऐं हों, किसान हों, अध्यापक हों, बालक–बालिकाएँ हों, स्कूल एवं विद्यालय हों, विश्वविद्यालय एवं अन्य क्षेत्र हों, सभी के समक्ष नयी–नयी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। उससे उनमें सामाजिक असमायोजन दिखायी पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान समाज कार्य के अध्ययन से संभव है। इन मनो–सामाजिक समस्याओं के समाधान में समान कार्य की भूमिका एवं प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है।

समाज कार्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और हमारे परम्परागत स्वैच्छिक समाज कार्यकर्ता भी। साथ ही समाज कार्य के क्षेत्र में ऐसे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं जो समाज कार्य के क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित और अपने ज्ञान तथा कौशल के द्वारा व्यक्ति, समूह, एवं समुदाय की इस प्रकार सहायता करते हैं कि न केवल उनकी समस्याओं का समाधान हो और उनकी योग्याताअें का विकास हो बल्कि वे व्यक्तिगत रूप से संतोषप्रद एवं सामाजिक दृष्टि से उपयोगी जीवन व्यतीत कर सकें।

आज हमें ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों का भी परीक्षण करना है जिन्होंने न केवल समाज कार्यकर्ताओं की कार्य प्रणाली को प्रभावित किया है बल्कि सहायता विधियों को भी प्रभावित किया है। इस संदर्भ में एक बड़ा मुद्दा आर्थिक लक्ष्य एवं मानवीय लक्ष्यों के बीच असन्तुलन का है। विकासशील देशों में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज कार्य की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। जब तक देश में रहने वाले व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाएगी, तब तक उनके सामाजिक विकास का कोई महत्व नहीं है। इसके साथ ही लोगों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज के शिक्षित एवं पीड़ित वर्ग, दिव्यांगजन, ट्रान्सजेन्डर, जनजातीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समाज कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह परम कर्तव्य है कि सभी संसाधनों का समुचित सदुपयोग करें ताकि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित लोगों का सम्पूर्ण विकास हो सके। इस मॉड्यूल से हम आपकी समाज कार्य विषयक सैद्धांतिक योग्यता में अभिवर्द्धन करने का श्रीगणेश कर रहे हैं।

इकाई–1 : समाज कार्य की अवधारणा (Concept of Social Work)

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- व्यावसायिक समाज कार्य को सही रूप से समझने के लिए उसकी अवधारणात्मक रूपरेखा जानना आवश्यक है। आप इस इकाई में इसे पढ़कर समझ सकेंगे।
- समाज कार्य का अर्थ एवं परिभाषाओं से उसके मूल अर्थ को समझ सकेंगे।
- समाज कार्य के उद्देश्यों को समझ सकेंगे ताकि उस अनुरूप अध्ययन एवं क्षेत्र में कार्य कर सकें।
- समाज कार्य के महत्व को समझते हुए उसे परिवार, समूह, समुदाय में किस प्रकार स्थापित करना है? समझ सकेंगे।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने विकास लिए वह समाज पर निर्भर है। 'समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है'। मानव समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में सम्बन्ध स्थापित करता है। इसी सम्बन्ध स्थापन की प्रक्रिया में वह अनेक प्रकार का व्यवहार स्थापित करने का प्रयास करता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति समाज में रहकर अपनी मनो–सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अन्य सदस्यों से व्यवहार एवं सम्बन्ध स्थापित करता है। मुख्य रूप से उसका सम्बन्ध तीन सामाजिक स्तरों पर देखा जाता है :–

व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सम्बन्ध	व्यक्ति का समूह के साथ सम्बन्ध	समूह का समूह के साथ सम्बन्ध

किसी भी स्तर पर स्थापित होने वाले मानवीय सम्बन्धों का प्रमुख उद्देश्य आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। परन्तु सर्वविदित है कि किसी भी समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी समाज में नहीं पाया जा सकता जिसकी शत प्रतिशत आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति हो सकी हो। आवश्यकताओं की सन्तुष्टि न होने के कारण व्यक्ति में चिन्ता, कुण्ठा, हीनता, आर्थिक कठिनाई; असमायोजन तथा सम्बन्ध सम्बन्धी अनेक मनो–सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का उद्भव होना स्वभाविक है। इनके समाधान के लिए मानव अपनी क्षमता, ज्ञान

एवं साधनों के अनुसार सतत् प्रयास करता रहा है किन्तु समस्याओं का समाधान स्वयं करने मे असमर्थ हो जाता है। अतः वह अन्य व्यक्तियों या समाज से सहयोग की अपेक्षा रखता है।

समाज कार्य का परिचय

संस्था (अभिकरण)

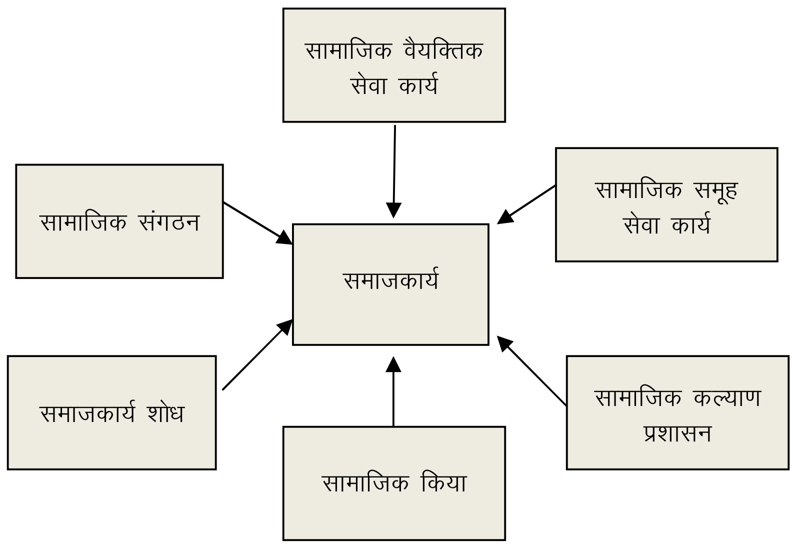

उपरोक्त कारणो से अपनी प्रकृति एवं स्वभाव से आदिम युग से ही मानव की प्रवृत्ति सहयोगी रही है, जिससे प्रेरित होकर उसने समस्या ग्रस्त व्यक्तियों की समस्या के निराकरण के लिए सहायता प्रदान करने में हर संभव प्रयत्न किया है। मानव सभ्यता के आरम्भ से प्रत्येक समाज में इन समस्याओं का समाधान एवं निराकरण करने का प्रयास किया जाता रहा है। समाज कार्य इसी प्रकार का प्रयास है। जिसका जन्म धार्मिक प्रेरणाओं से हुआ। जिसने बाद में एक व्यवसाय का रूप धारण किया।

इस प्रकार मनो–सामाजिक समस्याओं के समाधान और निदान का जो वैज्ञानिक तरीका है, उसे हम समाज कार्य कहते हैं। इसका विकास आधुनिक समाज की जटिल समस्याओं के संदर्भ में हुआ है। वर्तमान स्वरूप में उद्भव से पूर्व इसका स्वरुप धर्म, दान तथा परोपकार के लिए की जाने वाली सेवाओं के रूप में जाना जाता था। अतः समाज कार्य की आधुनिक अवधारणा को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक विकास क्रम से सम्बद्ध इससे मिलते–जुलते किन्तु पृथक तात्पर्य रखने वाले विभिन्न प्रत्ययों की चर्चा आवश्यक है–

1. **धर्मार्थ सेवा–** परम्परागत अवधारणा के अनुसार, धार्मिक भावना से प्रेरित होकर निर्धन व्यक्तियों को दान देना एक स्वैच्छिक समाज कार्य रहा है। इसी भावना से प्रेरित होकर मिशन एवं मिशनरी कार्यों का उद्भव एवं विकास हुआ। इसके अंतर्गत अनेक क्रिश्चियन मिशन, रामकृष्ण मिशन, बिड़ला फाउण्डेशन इत्यादि ने महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए।

2. **समाज कार्य और श्रमदान–** समाज कार्य को प्रायः श्रमदान के साथ भी सम्बद्ध किया जाता है। श्रमदान में व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों के हित के लिए निष्काम भावना से अपने श्रम का समर्पण करता है। परन्तु श्रमदान को समाज कार्य कहना उचित नहीं है। श्रमदान तथा समाज कार्य में केवल लक्ष्य का अन्तर नहीं बल्कि कार्य पद्धति तथा दर्शन की दृष्टि से भी भिन्नता है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण आवश्यक है। व्यक्ति की समस्या को हल करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की कार्य पद्धति श्रमदान करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रायः मनोवैज्ञानिक होती है।

3. **समाज कार्य और परोपकार–** समाज कार्य को अनेक बार परोपकार भी कहा जाता है। परोपकार प्रायः स्वार्थ रहित तथा श्रम रहित कार्य है। परन्तु समाज कार्य को पूर्णतः स्वार्थ रहित नहीं कहा जा सकता। यद्यपि ऐच्छिक समाजसेवी संस्थाओं द्वारा, समाज कल्याण के विभिन्न कार्य बिना किसी पारिश्रमिक के किये जाते हैं, किन्तु पेशेवर समाजसेवी के लिए इस तथ्य को लागू नहीं किया जा सकता। पेशेवर समाजसेवी के अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व होते हैं। उसे परिवार के आश्रित सदस्यों की देखभाल करनी होती है। अतः पेशेवर समाजसेवी उस संस्थान द्वारा वेतन प्राप्त करता है। जिसके द्वारा उसकी नियुक्ति की गई है।

4. **समाज कार्य और सहायता–** समाज कार्य को अनेक बार दुर्घटनाग्रस्त कमजोर एवं असहाय व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने वाला कार्य भी कहा जा सकता है। जैसे–बाढ़, अकाल इत्यादि विपत्तियों के समय लोगों की सहायता करना आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ता इन विपत्तियों के समय इन लोगों की सहायता करता है किन्तु इस कार्य को समाज कार्य नहीं कहा जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि समाज कार्य अस्थाई तथा सामायिक नहीं होता। यह पेशेवर संबंधो के उपयोग द्वारा सहायता करने का स्थाई कार्यक्रम है। समाज में जिस प्रकार व्यक्ति की असमर्थता किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, उसी प्रकार समाज कार्य भी समाज के लिए सदैव आवश्यक रहा है। किसी

दुर्घटना विशेष की समाप्ति हो जाने पर सहायता कार्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, लेकिन समाज कार्य की आवश्यकता समाप्त नहीं होती।

5. **समाज कार्य और समाज कल्याण–** समाज कल्याण का आशय सामाजिक सेवाओं और संस्थाओं की एक संगठित व्यवस्था से है। इसका मुख्य कार्य सन्तोषजनक जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए, लोगों की सहायता करना है। समाज कल्याण सेवाओं का संगठन, व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। **हैरी एम. कोसीडी** के अनुसार, ''समाज कल्याण के अर्न्तगत, वे संगठित क्रियाएं आती हैं जो संरक्षण, सुरक्षा तथा मानवीय साधनों की प्रगति से संबन्धित है। इसके विपरीत, समाज कार्य, मानव संबंधो के वैज्ञानिक ज्ञान तथा कुशलता पर आधारित एक व्यावहारिक सेवा है। यह विज्ञान तथा कला दोनों है।

समाज कार्य से मिलते–जुलते उपरोक्त शब्दों का तात्पर्य समाज कार्य से किस प्रकार भिन्न है, इसको जानने के पश्चात आइये अब हम जानते हैं कि समाज कार्य क्या है?

समाज कार्य की परिभाषाएँ (Definitions of Social Work)

समाज कार्य को अनेक विद्वानों ने अपने–अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई समाज कार्य की परिभाषायें निम्नवत हैं :

- **प्रो. राजाराम शास्त्री–** अनुसार, ''मनोसामाजिक समस्याओं के निदान और समाधान का जो नवीनतम तरीका विकसित हुआ है, वह समाज कार्य है।"
- **ऐलिस चेनी (1926)** के अनुसार समाज कार्य में ''वह सब ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित हैं, जिनका उद्देश्य उन आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है जिनका संबंध सामाजिक संबंधो से है और जो वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करते हैं।''
- **फ्रेडलैण्डर (1955)** के अनुसार, ''समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है, जिसका आधार वैज्ञानिक ज्ञान और मानव सम्बन्धों में निपुणता है। यह व्यक्तियों की अकेले या समूह में सहायता करता है जिससे वे सामाजिक एवं वैयक्तिक संतुष्टि एवं स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके।'' **इंडियन कान्फ्रेन्स ऑफ सोशल वर्क (1957)** के अनुसार, ''समाज कार्य एक कल्याणकारी क्रिया है, जिसका आधार मानवोचित दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्रावैधिक

निपुणताओं से है और जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों या समुदायों की सहायता करना है, जिससे वह एक सुखी और सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर सके।''

- **आर्थर फ्रिंक–** के अनुसार, ''समाज कार्य सेवाओं का ऐसा विधान है जो व्यक्ति को एकाकी या सामूहिक रुप में वर्तमान या भावी मनोसामाजिक बाधाओं को निपटाने में सहायता देता है जो उन्हें समाज में पूरा या प्रभावशाली रुप से भाग लेने से रोकती है।''

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर समाज कार्य की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती कि 'समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। जिसका आधार मानव संबंधों के ज्ञान और संबंधों में निपुणता से है। जिसका सम्बन्ध अभ्यन्तर–वैयक्तिक एवं/अथवा अन्तर वैयक्तिक समायोजन संबंधी समस्याओं से है। जो वैयक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती हैं।

समाज कार्य की विशेषतायें (Characteristics of Social Work)

(1) इसका आधार एक विशेष वैज्ञानिक ज्ञान है जिनका सम्बन्ध मानव व्यवहार और उसके परिवर्तन से है। वास्तव में समाज कार्य की मुख्य विशेषता, जो इसे अन्य व्यवसायों से भिन्न करती है, यही है कि इसमें मानव व्यवहार का ज्ञान और उसका विश्लेषण करने और उसमें परिवर्तन करने की निपुणता पाई जाती है। इसीलिए प्रत्येक समाज कार्यकर्ता एक अभ्यासकर्ता है और इस सम्बन्ध में उसकी तुलना एक शारीरिक रोग चिकित्सक से की जाती है। एक शारीरिक रोग चिकित्सक शारीरिक रोग या असन्तुलन की चिकित्सा करता है और एक समाज कार्यकर्ता मनो–सामाजिक रोग या असन्तुलन की चिकित्सा करता है। जिस प्रकार एक शारीरिक रोग चिकित्सक का अपने रोगी के प्रति उत्तरदायित्व होता है उसी प्रकार एक समाज कार्यकर्ता का भी अपने सेवार्थी के प्रति उत्तरदायित्व है।

(2) समाज कार्य विशेष प्रकार से उन समस्याओं की ओर ध्यान देता है जिनका सम्बन्ध मनुष्य के आन्तरिक एवं बाहरी समायोजन से है।

समायोजन दो प्रकार का होता है–

अभ्यन्तर–वैयक्तिक समायोजन (Intra-personal Adjustment)	अन्तर–वैयक्तिक समायोजन (Inter-personal Adjustment)

अभ्यन्तर वैयक्तिक समायोजन (Intra-personal Adjustment)

अभ्यन्तर वैयक्तिक समायोजन का अर्थ है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए उसके मनोवृत्तियों और मूल्यों के मध्य समन्वय, एकीकरण एवं संन्तुलन स्थापित करने के लिये प्रयास करना। इसका संबंध मनुष्य की अहं शक्ति से होता है और मनोवृत्ति–सम्बन्धी एकीकरण एवं सन्तुलन के लिए अहं का शक्तिशाली होना आवश्यक है।

अन्तर वैयक्तिक समायोजन (Inter-personal Adjustment)

अन्तर वैयक्तिक समायोजन का सम्बन्ध किसी व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध से है।

(3) समाज कार्य अपूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि पर बल देता है। आवश्यकताएँ जब पूरी नही होती तो वे समस्या का रूप धारण कर लेती हैं और आवश्यकताओं के पूरा न होने के कारण व्यक्ति का समायोजन प्रभावित होता है। अतः समाज कार्य व्यक्तियों की सहायता करता है कि वे अपनी शक्तियों और सामाजिक साधनों के पूर्ण प्रयोग द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सके।

समाज कार्य में इन तीन प्रकार की आवश्यकताओं की संन्तुष्टि के लिए तीन विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता हैः–

- वैयक्तिक आवश्यकताओं के लिए सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य।
- सामूहिक आवश्यकताओं के लिए सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य।
- सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए सामुदायिक संगठन।

समाज कार्य व्यक्तियो, समूहो और संस्थाओ की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सामाजिक साधनो का एकीकरण और समन्वय करता है और उन्हें गतिमान करता हैं। समाज कार्यकर्ता को उन संस्थाओं, कार्यक्रमो और योजनाओ का पूरा ज्ञान होता है, जो आवश्यकताओं की पूर्ति मे सहायक हो सकते हैं। वह आवश्यकताओं और साधनो मे समायोजन स्थापित करने की निपुणता रखता है और साधनों को विकसित करने की विधियों का भी ज्ञान रखता हैं।

समाज कार्य समस्याओ का निराकरण भी करता है और विरोध भी। वह इस बात का प्रयत्न करता हैं की एक ओर तो समस्याओं को सुलझाया जाये और दूसरी ओर उन

परिस्थितियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये जो समस्याओं को जन्म देती है। समाज कार्य में निरोधात्मक कार्यक्रमों का बडा महत्व समझा जाता है। अन्त में यह कहा जा सकता है कि समाज कार्य व्यक्तियों, समूहो और समुदाय में आत्मनिर्देशन और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करता है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता देता है। जिनके कारण असामंजस्य की समस्या उत्पन्न होती है।

समाज कार्य के उद्देश्य (Aims of Social work)

प्रत्येक व्यक्ति के अपने सैद्वान्तिक और व्यावहारिक उद्देश्य होतें है। समाज कार्य भी इसका अपवाद नहीं है। समाज कार्य का प्रयोग आम जनता की भलाई के लिए किया जाता है। इसके द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है। और मानव कल्याण की वृद्वि होती है। इस दृष्टि से समाज कार्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति समूह तथा समुदाय को कल्याण के उच्चतम स्तर तक पहुचने में सहायता करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज कार्य में जिस कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाता है वह अन्य व्यवसायों जैसे–औषधि, कानून तथा अध्यापन आदि की कार्य प्रणाली से भिन्न है। समाज कार्य की पद्वति में उन सभी आर्थिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारकों पर विचार किया जाता है जो व्यक्ति समूह तथा समुदाय के जीवन को प्रभावित करते है। अन्य व्यवसायों की पद्वति में भी यद्यपि सेवार्थी की समस्याओं का निदान व उपचार का प्रयास किया जाता है, परन्तु इन व्यवसायों की पद्वति का सम्बन्ध आवश्यकताओं के एक विशेष पहलु तक ही सीमित है। इसके विपरीत समाज कार्य मनुष्य की मनो–सामाजिक समस्याओं से सम्बद्व है। जो मानव जीवन के किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नही है। इसके उद्देश्य व्यापक हैं। हेमिल्टन ने समाज कार्य के उद्देश्यों को दोहरा बतलाया है। एक ओर शारीरिक व भौतिक कल्याण और दूसरी ओर सन्तोषजनक सम्बन्धों द्वारा सामाजिक अभिवृद्वि। उनके अनुसार समाज कार्य का उद्देश्य व्यक्ति, परिवार एवं समूहों को सामाजिक सम्बन्धों में सहायता करना ही नही है, अपितु स्वास्थ्य और आर्थिक स्तरों को बढाकर सामान्य सामाजिक दशाओं का सृजन करना है।

इसी प्रकार हरबर्ट विश्नों के अनुसार, समाज कार्य व्यक्तियों को संस्थागत ढाचें के साथ समायोजन में सहायता करता है और संस्थागत ढाचें के उचित क्षेत्रों में संवर्घन का प्रयास करता है। अतः समाज कार्य के इन विविध उद्देश्यों को निम्नांकित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं :

1. **समान्य सामाजिक दशाओं में सुधार**— समाज कार्य के अन्तर्गत वैयक्तिक जैवकीय तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। अतः समाज कार्य प्रणाली में उस आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को विशेष महत्व दिया जाता है, जिसके बीच लोग अपना जीवन व्यतीत करतें हैं। सामाजिक व्यवस्थापन की समस्याओं को हल करने के लिए कार्यक्रम तैयार करते समय समाजसेवी व्यक्ति के जीवन के किसी भी पहलु का बहिष्कार नहीं करता। जिस समुदाय में व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, उसकी स्थिति सदा व्यक्ति की जीवन को प्रभावित करती है। इस प्रकार समाज कार्य की पद्वति द्वैत है। इसका लक्ष्य व्यक्ति परिवार तथा समूह के व्यक्तियों को उनके सामाजिक सम्बन्धों में सहायता प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख लक्ष्य स्वास्थ्य, आर्थिक स्तर, कार्य की दशा, तथा आवास के स्तर में सुधार कर सामान्य सामाजिक दशाओं में सुधार करना है।

2. **निर्धन तथा धनवान दोनों की सहायता**— समाज कार्य के प्रारम्भिक स्वरुपों जैसे निर्धनों की सहायता तथा दान के अन्तर्गत, समाज में दयनीय स्थिति वाले निम्न वर्गों को ही महत्व दिया जाता था। अन्धें, लूले, बहरे, लगंडे, विकलांग तथा बीमार व्यक्तियों को केवल जीवित रहने भर को सहायता दी जाती थी, उन्हें समाज में नये सिरे से व्यवस्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था। किन्तु वर्तमान समाज कार्य उत्तरोत्तर अपने वर्ग स्वरुप से मुक्ति पा रहा है। समुदाय के सभी वर्गों को इसके क्षेत्र में अन्तर्गत शामिल किया गया है। आज सामाजिक सेवाओं द्वारा सभी वर्ग के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है।

3. **समाज के सदन व शक्तियों का उचित उपयोग**— समाज कार्य का लक्ष्य जहां समाज के सभी वर्ग तथा समुदाय के लोगों की सहायता करना है, वहां दूसरी ओर इसका उद्‌देश्य समाज के साधन तथा शक्तियों का उपयेग करना है। इसके लिए समाज कार्य विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का उपयोग करता है। इनमें निम्न मुख्य हैं—

- कल्याण संस्थान
- स्कूल
- अस्पताल
- धार्मिक सामाजिक प्रतिष्ठान
- न्यायालय इत्यादि।

यह संस्थायें समाज में सहायता के ऐसे माध्यमों का कार्य करती है, जिनसे व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में

समर्थ होता है। व्यक्ति की इन विविध आवश्यकताओं में से अनेक आवश्यकतायें वृद्धावस्था, बीमारी तथा शारीरिक तथा स्थिति के कारण अत्यन्त उत्पन्न होती है, जिनका समाधान करना व्यक्ति के साधनों से बाहर होता है।

4. **व्यक्ति एवं समाज का कल्याण**– समाज कार्य में एक ओर समाज पर ध्यान केन्द्रित होता है, दूसरी ओर समाज को निर्मित करने वाली इकाई व्यक्ति की के ऊपर। दूसरे शब्दों में समाज कार्य का उद्देश्य व्यक्ति के समाज के साथ कल्याण करता है वह जीवन व्यतीत करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज कार्य व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थितियों के साथ व्यवस्थापन करने के लिए प्रेरित करता है। यह सर्वप्रथम व्यक्ति की वास्तविकता ज्ञात करनें में मदद करता है। इसके बाद व्यक्ति को अपनी प्रस्तुत वास्तविक स्थिति में सुधार करने के लिए सहायता देता है। इसके साथ साथ समाज कार्य उन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के विरूद्ध समस्त सामाजिक शक्तियों को क्रियाशील करता है, जो स्थितियां खराब स्वास्थ्य, मानसिक पीड़ा, निराशा तथा समाज विरोधी व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। संघर्ष की स्थिति में समाज कार्य कठिनाइयों का सामना करने तथा उन्हें हल करने के लिए मदद देता है और लोगों को उनके लाभ के लिए सुलभ सामाजिक सेवाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करता है।

5. **व्यक्ति तथा परिवारों की आर्थिक सहायता में सहयोग**– इन उद्देश्यों के बीच समाज कार्य सामाजिक सुरक्षा के लाभों पेंशन तथा सेवा संस्थाओं के सहयोग द्वारा व्यक्ति तथा परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। यह सहायता बेरोजगारी के लिए समुदाय के साधनों के उपयोग, चिकित्सा की सुविधाए, मानसिक उपचार, सांस्कृतिक तथा शिक्षात्मक विकास, व्यवसायिक निदेश्न, प्रशिक्षण तथा मनोरंजन की सुविधाओं के रूप में की जाती है।

6. **समस्या के मूल में निहित कारणों का उन्मूलन**– समाज कार्य इस आधारभूत मान्यता को ले कर आगे बढाता है कि प्रत्येक मानवीय समस्या के मूल में किसी न किसी प्रकार के कारण निहित है। अतः समाज कार्य में सेवार्थी की आवश्यकता के समय सहायता दी जाती है। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों को सम्पन्न किया जाता है जिससे उन सभी सामाजिक दशाओं का उन्मूलन किया जाता है जो मानवीय पीडा तथा अव्यवस्थापन के लिए

उत्त्रदायी होती है। व्यक्ति तथा समूह के सामाजिक व्यवस्थापन के लिए उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विचार किया जाता है जिसके साथ व्यक्ति या समूह सम्बन्धित होते है। यद्यपि ऐसे व्यक्तियों तथा समूहो के मूल्य समाजसेवी के निजी मूल्यों में भिन्न होते है। अतः समाजसेवी सदैव यह प्रयास करता है कि मूल्यों की भिन्नता से उसमें व्यक्तियों तथा समूहो के प्रति किसी प्रकार के पक्ष–पात का पूर्वाग्रह का विकास न हो। वह व्यक्ति तथा समूदाय को अपनी संन्तोष पूर्ण उपलब्धि के लिए सहायता प्रदान करता है।

7. **लोकतन्त्रीय और मानवीय आदेशों की प्राप्ति का प्रयास–** उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त समाज कार्य के अर्न्तगत अनुचित कार्य तथा व्यवहार का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया जाता। यह सदैव व्यक्ति तथा समुदाय को संन्तोष पूर्ण जीवन को प्राप्त करने में मदद करता है। यह व्यक्ति तथा समूह की आर्थिक तथा संवेगात्मक समस्याओं का ही समाधान नही करता बल्कि उन्हें स्वनिश्चित लक्ष्य को प्राप्ति करनें में भी मदद करता है। इस प्रकार समाज कार्य मनुष्य की प्रतिष्ठा, अधिकार, उन्नति जीवन, सुरक्षा, स्नेह, तथा मान्यता को प्राप्त करनें में मदद करता है। बाल्टर ये. फ्रिडलेन्डर के शब्दों में ''समाज कार्य लोकतांत्रिक आदर्शो और मानवीय अधिकारों को प्राप्त करने और सभी नागरिकों के लिए सुन्दर जीवन स्तर व सामाजिक सुरक्षा करने और स्नेह स्वीकरण मान्यता तथा स्तर सम्बन्धी सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।

समाज कार्य का महत्व (Importance of Social Work)

समाज कार्य के महत्व का मुख्य सम्बन्ध समस्या के समाधान से है। अतः समस्याओं को हल करने व समाज की कार्यशीलता में वृद्धि करने के लिए समाज कार्य का विकास हुआ। समाज की अधिकांश समस्याएं शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की अपर्याप्त पूर्ति के कारण उत्पन्न होती है। अतः सेवार्थी की मूलभूत आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर, उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने में सहायता प्रदान करना, समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य है।

इस सम्बन्ध में आवश्यकता का आशय उन अभाव से है जिन्हें पर्याप्त जीवन स्तर को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से दूर करना आवश्यक है। इन प्राथमिक आवश्यकताओं में सर्वप्रथम स्थान जीवित रहने तथा जीवन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता का है, किन्तु मनुष्य के

लिए जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं है। अतः उसकी द्वितीयक आवश्यकताओं के ऊपर भी विचार किया जाता है। इसलिए समाज कार्य में आर्थिक भावात्मक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणों को भी महत्व दिया जाता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति अनेक व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। अतः समाज कार्य के अभिकरण मुख्य रूप से उन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं जिनके लिए परिवार तथा राज्य द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी है। इस प्रकार किसी भी समाज कार्य की भूमिका का निर्धारण उस समय की प्रकट आवश्यकताओं द्वारा होता है।

वर्तमान समाज में सामाजिक कार्य की भूमिका व्यक्ति तथा समुदाय की सम्पन्नता को आश्वस्त करने तक सीमित नहीं है। इसका कार्य दो प्रमुख लक्ष्यों से सम्बन्धित है। सर्वप्रथम समाज कार्य उन स्थितियों को उत्पन्न करने का प्रयास करता है जो लोगों को सन्तुष्ट जीवन को प्राप्त करने में सहायक होती है। द्वितीय यह व्यक्ति तथा समुदाय के अन्तर्गत उन क्षमताओं को उत्पन्न करने का प्रयास करता है जिससे पर्याप्त तथा सृजनात्मक जीवन संभव होता है। इस सम्बन्ध में आर्थर ई. फिन्क आदि लेखकों का निम्न कथन उल्लेखनीय है–

''वर्तमान में इस व्यवसाय की भूमिका को देखते हुये हमें स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिये कि इसका कार्य प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय की प्रसन्नता को आश्वस्त करना नहीं है, बल्कि इसका कार्य दो लक्ष्यों को पूरा करना है। सर्वप्रथम उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना जो जीवन को यथासंभव सन्तुष्ट बनाने में मदद करे। द्वितीय लोगों समुदाय के अन्दर उन क्षमताओं का विकास करना जिससे वे अधिक अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर सकें।''

सारांश (Summary)

- इस इकाई में समाज कार्य विषय को समझने के लिए उसकी अवधारणात्मक व्याख्या को दिया गया है। अवधारणा को समझने से समाज कार्य के स्वरूप को समझने में आसानी होगी। विभिन्न विद्वानों द्वारा समाज कार्य विषय से संबंधित दी गई परिभाषाओं को समझने से समाज कार्य के मूल तत्व को समझने में विद्यार्थियों को आसानी होगी। समाज कार्य के विभिन्न उद्देश्यों के अध्ययन से विद्यार्थियों को समाज कार्य द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं, उनकी प्राप्ति वह क्षेत्रीय कार्य में कैसे कर सकता है? यह महत्व आज के संदर्भ में क्यों आवश्यक हैं? यह भी बताया गया है। विद्यार्थियों को उक्त ईकाई के अध्ययन से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाये।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **समाज कार्य** : यह एक व्यावसायिक सेवा है, जो मानव संबंधों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणताओं पर आधारित होती है।

स्व–मूल्यांकन (Self-Assesment)

- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न **(Long answer type questions)**
  1. भारत में समाज कार्य की अवधारणा स्पष्ट करें।
  2. समाज कार्य का व्यक्ति के साथ सम्बन्ध स्पष्ट करें।
  3. समाज कार्य का समूह के साथ सम्बन्ध स्पष्ट करें।
  4. समाज कार्य का समुदाय के साथ सम्बन्ध स्पष्ट करें।
- लघु उत्तरीय प्रश्न **(Short answer type questions)**
  1. समाज कार्य के महत्व को स्पष्ट करें।
  2. समाज कार्य के उददेश्यों को स्पष्ट करें।
  3. सामाजिक क्रिया को स्पष्ट करें।
  4. सामाजिक शोध को स्पष्ट करें।
- अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न **(Very short/ Objective type questions)**
  1. समाज कार्य की परिभाषा दें।
  2. धर्मार्थ सेवा क्या है?
  3. समाज कार्य एवं श्रमदान को स्पष्ट करें।
  4. समाज कार्य एवं परोपकार को स्पष्ट करें।
  5. समाज कार्य एवं समाज कल्याण को स्पष्ट करें।

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. समाज सेवा से जुड़े एक सामाजिक संगठन के साथ कार्य करें एवं विभिन्न गतिविधियों को सीखकर प्रतिवेदन तैयार करें।

2. अपने क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करें जिन्हें समाजसेवा में रूचि हो। ऐसे व्यक्तियों के क्षेत्र के विकास की दृष्टि से किये गए कार्यों की भी सूची तैयार करें।

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ :

- गुप्ता, निमिषा पाण्डे, बंशीधर – **समाज कार्य एवं सामाजिक न्याय**, अल्टर नोट्स प्रेस, हजरत मोहनी लेन, जामिया नगर, नई दिल्ली–25।
- थोटे, डॉ. पुरुषोत्तम – **समाज कार्य : सिद्धांत, तत्व ज्ञान एवं मनोविज्ञान,** रजिस्टार, पुरुषोत्तम थोटे समाजकार्य महाविद्यालय, नरसाधन रोड, नागपुर।
- दुबे, डॉ. प्रीति – **भारत में समाज कार्य**, कैलाश पुस्तक सदन, हमीदिया मार्ग, भोपाल–001।
- शास्त्री, राजाराम – **समाज कार्य**, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- पाण्डे, प्रो. बालेश्वर – **समाज कार्य – एक समग्र दृष्टि**, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

वेब संदर्भ :

- https://www.scotbuzz.org/2020/08/vaiyaktik-samaj-kary-ka-itihas.html?m=1
- https://www.scotbuzz.org/2020/10/vyavasayik-samaj-kary.html?m=1
- https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF

इकाई–2 : समाज कार्य एवं अन्य अवधारणायें
(Social Work and Other Concepts)

उद्‌देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- समाज कार्य को समझते हुए उससे सम्बन्धित अन्य अवधारणात्मक शब्दों को समझ सकेंगे।
- समाज कार्य के साथ अन्य समानार्थी अवधारणाओं का सम्बन्ध क्या है। इनकी आवश्यकता क्यों है? इसे जान सकेंगे।
- समाज कल्याण, समाज कल्याण प्रशासन एवं विकास की अवधारणा को समझते हुए अंतरसंबंध जान सकेंगे।
- सामाजिक सुरक्षा, न्याय, सामाजिक क्रिया, सशक्तिकरण को समझ सकेंगे।
- मानव अधिकार, व्यावसायिक एवं स्वैच्छिक समाज कार्य को भी समझ सकेंगे।

समाज कार्य

समाज कार्य की स्पष्ट परिभाषा जो सामान्य रुप से सभी को मान्य हो, प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य है। इसका कारण विभिनन देशों में समाज कार्य के विकास में भिन्नता होना है।

समाज कार्य – क्रियाकलापों, कार्यों एवं सेवाओं की दृष्टि से

(National Assciation of Social Workers - 1970)

''समाज कार्य व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को सामाजिक कार्यात्मकता के लिये अपनी क्षमता में वृद्धि करने या इन्हें बहाल या पुनः स्थापित करने के लिये और अपने उद्‌देश्यों के अनुरुप सामाजिक दशाओं का सृजन करने में सहायता प्रदान करने का व्यावसायिक क्रियाकलाप है।

समाज कार्य – एक प्रणाली एवं प्रक्रिया के रुप में

फील्ड लेण्डर (1951) – फील्ड लेण्डर के अनुसार– ''समाज कार्य वह प्रक्रिया है जो उन व्यक्तियों से प्रत्यक्ष एवं विभेद के रुप में सम्बन्धित है जो प्राथमिक रुप से अपनी सामाजिक परिस्थितियों से सम्बन्धित समस्यायें रखते हैं और जो व्यक्तियों के स्तर पर यह समझने का प्रयास करती है कि कैसी सहायता की आवश्यकता है और जो सांकेतिक सहायता की खोज एवं उपयोग में सहायता देती है।''

समाज कार्य – उद्देश्यों की दृष्टि से

यंगडाल (1949) – यंगडाल के सन्दर्भ में ''समाज कार्य लोगों के लिये दो वस्तुयें ढूढ़ता है, आर्थिक समृद्वि और सुख का गहरा स्त्रोत अर्थात आत्मोन्नति। इसका सम्बन्ध मानव व्यवहार तथा सम्बन्धों से है। इसका ध्यान बिन्दु व्यक्ति और एक मान्यता प्राप्त वास्तविकता से उसके समायोजन पर होता है।

समाज कार्य – विज्ञान एवं कला के रुप में

फील्ड लेण्डर के अनुसार (1955)– फील्ड लेण्डर के अनुसार ''समाज कार्य एक विज्ञान और एक कला दोनों है। यह उन छः विभिन्न प्रकारों में व्यावहारिक प्रयोग में लाया जाता जो ज्ञान एवं कुशलता, जिसे हम जातिगत या सामान्य समाज कार्य कहते हैं, के सामान्य मूल पर आधारित हैं।''

समाज कार्य – एक व्यवसायिक सेवा के रुप में

ऐंडरसन (1945)– एंडरसन के अनुसार– ''समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। जिसका उद्देश्य लोगों की व्यक्तिगत या सामूहिक परिस्थिति में सहायता प्रदान करना हैं, जिससे वे अपनी विशेष इच्छाओं और योग्यताओं के अनुसार सन्तोषजनक सम्बन्ध एवं जीवन स्तर प्राप्त कर सकें।''

समाज कार्य – भारतीय दृष्टिकोण में

मूर्थी एवं राव (1970)– मुर्थी एवं राव के अनुसार ''समाज कार्य एक सहायता है जो उन व्यक्तियों या समूहों को दी जाती है, जो मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक या नैतिक निर्योण्यता से पीड़ित होते हैं, जिससे वह व्यक्ति या समूह अपनी सहायता स्वयं करने योग्य हो सकें। इस प्रकार हमने समाज कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोणों को समझा।

समाज सेवा (Social Service)

समाज सेवा का अभिप्राय व्यक्ति अथवा समूह की आवश्यकतओं की पूर्ति स्वेच्छिक समाज सेवकों द्वारा करना है। जो मात्र सेवा भाव से प्रेरित होकर की जाती है इसमें न तो किसी प्राविधि का प्रयोग किया जाता है, और न ही समाज सेवक का किसी रुप में प्रशिक्षित होने का महत्व है।

समाजसेवा वे सेवायें हैं जो समाज द्वारा अपने सदस्यों की सुरक्षा तथा मानवीय साधनों के विकास के सन्दर्भ में व्यक्त की जाती हैं– जिसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि की व्यवस्था सम्मलित की जाती है। निर्धनों के लिये उचित स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था करना, समाज कार्य नही बल्कि समाज सेवा है।

परिभाषायें :

- **एम.वी. मूर्थि–** ''असहाय की सहायता करना समाज सेवा है, जबकि असहाय की इस प्रकार सेवा की वह अपनी सहायता खुद कर सके।''
- **कैसिडी–** ''कैसिडी ने समाज सेवा को परिभाषित करते हुये कहा कि ''ये वे क्रियायें होती है, जो संगठित रुप से मानवीय साधनों की सुरक्षा एवं विकास करती हैं। साथ ही इसके अर्न्तगत सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, बाल कल्याण, मानसिक, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, श्रम संरक्षण, आवास सुधार इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया गया है।

सामाजिक सुधार (Social Reform)

समाज सुधार से तात्पर्य उन कार्यो से है, जिनके द्वारा सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाया जाये। समाज सुधार का प्रमुख उद्‌देश्य सामान्यतः संगठन के व्यवहार तथा कार्यो में परिवर्तन द्वारा सुधार करना है। अर्थात सामाजिक ढ़ाचे में प्रजातान्त्रिक या अन्य परिवर्तन लाकर उसे वैध रुप व सामाजिक मान्यता देना समाज सुधार है। समाज सुधार सामाजिक समस्याओं में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हैं।

महिलाओं के अधिकारों को मान्यता के लिए संघर्ष, हरिजनों के लिये सुधार की मांग करना, सती प्रथा, छुआ–छूत, बालविवाह, दहेज प्रथा इत्यादि को समाप्त करके सुधार लाने के उद्‌देश्य से विभिन्न अधिनियम पारित किये गये। इस प्रकार मात्र वैधानिक नियन्त्रणों के द्वारा ही नहीं बल्कि शिक्षा, एवं ज्ञान द्वारा ही समाजिक सुधार सम्भव है। सामाजिक संस्थाओं, मूल्यों, व्यवहारों एवं संगठनों में किसी भी प्रकार का लाभकारी परिवर्तन लाना ही समाज सुधार है।

नटराजन– के अनुसार समाज सुधार में समाज सुधारक अपने और दूसरे व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है और सामाजिक प्रगति के लिये अनुकूल दशाओं का निर्माण करता है।''

सामाजिक सुधार के लिए सामाजिक सुधारक में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। समाज को ढर्रे पर चलने की आदत होती है, और लम्बा संघर्ष चलने के बाद ही अपेक्षित सुधार संभव हो पाता है।

समाज कल्याण (Social Welfare)

समाज कल्याण से तात्पर्य ऐसी सेवाओं से है जो ऐसे व्यक्तियों, समूहों अथवा समुदाय की उन्नति व विकास के लिए व्यवस्थिति की जाती है। जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा आर्थिक रुप से बाधित होते है तथा अपनी अक्षमताओं अथवा बाधाओं के कारण समाज के अन्य वर्गों के अपेक्षाकृत पिछड़े होते हैं। अतः ऐसे पिछड़े लोगों के लिए विकास एवं कल्याण के लिए जिन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। उसे हम समाज कल्याण कहते हैं। अतः समाज के पिछड़े व दलित वर्ग को अन्य उच्च स्तरीय वर्ग के समीप लाने के प्रयास के सन्दर्भ में दी जाने वाली सेवा ही समाज कल्याण के क्षेत्र के अर्न्तगत आती है।

समाज कल्याण' शब्द में व्यक्ति तथा समुदाय के सम्पूर्ण हितों की रक्षा का भाव निहित है। समाज कल्याण का लक्ष्य समाज में ऐसी स्थिति पैदा करना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकें और वह समाज मे समानता और आत्मसम्मान के साथ जीवन–यापन कर सके। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समाज कल्याण सामाजिक सेवाओं और समस्याओं की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य रहन–सहन और स्वास्थ्य का सन्तोषजनक स्तर प्राप्त करने में व्यक्तियों तथा समूहों की सहायता करना है। इसका लक्ष्य ऐसे वैयक्तिक तथा सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण करना है जो बिना समुदाय के हितों को आघात पहुँचाये व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास तथा वृद्धि करने और सुखमय जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। समाज कल्याण सम्बन्धी कार्य एवं अन्य सामाजिक कार्यों में भेद करने के लिए यह कहा जा सकता है कि भवन–निर्माण, ऋणदाता संघ की स्थापना, गलियों को पक्का करना अथवा गाँव के लिए सहकारी समितियो का गठन करना ऐसे काम हैं, जिनकी गणना समाज कल्याण के कार्यां में नहीं होती। इसके विपरीत बाल–न्यायालय की स्थापना, वयस्क अपराधियों के लिए पैरोल की व्यवस्था, वृद्धों तथा असमर्थों के लिए आवास अथवा भिखारियों के लिए आवास की स्थापना आदि ऐसे काम हैं जिनकी गणना समाज कल्याण के कार्यों में होती है। ये समुदाय की समाज कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उसके लिए समुदाय के साधनो का उपयोग करते हैं। किन्तु किसी गाँव में

सहकारी समिति का गठन भी यदि इस दृष्टि से किया जाये कि उससे गाँव के लोगों को अपना जीवन उन्नत करने के प्रयास में मदद मिले और वे समुदाय के अन्य साधनों का उपयोग करने की ओर अग्रसर हों तो इस कार्य को समाज कल्याण का कार्य माना जाएगा। इसी प्रकार आत्म–सहायता के आधार पर गाँव या मुहल्ले की गलियों और सड़कों को पक्का करने का कार्यक्रम भी समाज कल्याण का कार्य समझा जायेगा। वर्तमान समय में समाज कल्याण सरकारों एवं स्वैच्छिक संगठनों के उन प्रयासों का बोध कराता है जिनका उद्देश्य परिवारों एवं व्यक्तियों की इस प्रकार सहायता करनी है जिससे–

- ❖ लोगों में आर्थिक समता आ सके।
- ❖ लोगों को जन स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हो सके।
- ❖ लोगों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके।
- ❖ समुचित आवास एवं सामुदायिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
- ❖ सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिल सके।
- ❖ मनोरंजन हेतु सुविधाएं उपलब्ध हो सके।
- ❖ शोषित व्यक्तियों की रक्षा हेतु न्याय मिल सके।

परिभाषाएं :

- **फ्रेडलैण्डर :** ''समाजकल्याण सामाजिक सेवाओं एवं एक संस्थाओं का एक संगठित विधान है, जो व्यक्तियों एवं समूहों को एक सन्तोषजनक जीवन स्तर और स्वास्थ्य एक ऐसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक सम्बन्धों को जो उनको अपनी पूर्ण योग्यताओं को विकसित करें, प्राप्त करने की अनुमति दे, और जो उनके अपने परिवार और समुदाय की आवश्यकता की लय में अपनी भलाई को बढ़ावा देने के लिए निर्मित किया जाता है।''
- **श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख :** श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख का कहना है कि ''समाज कल्याण की अवधारणा अन्य सामान्य सामाजिक सेवाओं जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से भिन्न है। समाज कल्याण जनसंख्या के निर्बल तथा अ़क्षम वर्ग के लाभ हेतु एक विशिष्ट

कार्य है, तथा इसमे महिलाओं बालकों, विकलांगों, मानसिक रुप से अविकसित तथा अन्य प्रकार से अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ सामाजिक सेवायें सम्मलित हैं।''

- **डी. पाल. चौधरी :** ''चौधरी के अनुसार समाज कल्याण का उद्‌देश्य कमजोर वर्ग की ऐसी जनसंख्या की सेवा उपलब्ध कराना है। जो विशिष्ट शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा बाधिताओं के कारण समाज द्वारा प्रदत्त सामान्य सेवाओं का उपभोग करने में असमर्थ होते हैं अथवा इन्हे इन सेवाओं के उपभोग से पारस्परिक रुप से बचिंत कर दिया गया हो ।

समाज कल्याण प्रशासन (Social Welfare Administration)

समाज कल्याण प्रशासन का व्यावहारिक रूप सामान्य प्रशासन के समान है। परन्तु इसमें मानव समस्याओं के समाधान हेतु तथा मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयत्न किया जाता है। अतः प्रशासक के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके लिए समाज कार्य के दर्शन, उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों से अवश्य परिचित होना चाहिए। उसे समाज कार्य के तरीकों, सामाजिक निदान के ढंग, समूह तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उनके संस्था से संबंध इत्यादि का ज्ञान आवश्यक होता है।

- **जान सी. किडनी के अनुसार** : समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने तथा सामाजिक नीति को मूल्यांकित एवं संशोधित करने में अनुभव के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

- **आर्थर डनहम के अनुसार** : समाज कल्याण प्रशासन से हमारा आशय उन सहायक एवं सुविधा–जनक क्रिया–कलापों से है जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य हैं।

- **प्रो. राजाराम शास्त्री के अनुसार** : सामाजिक अभिकरण तथा सरकारी या गैर सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासन को समाज कल्याण कहते हैं। यद्यपि इसकी विधियाँ–प्रविधियाँ या तौर–तरीके इत्यादि भी लोक–प्रशासन या व्यापार–प्रशासन की ही भाँति होते हैं किन्तु इसमें एक बुनियादी भेद यह होता है कि इसमें सभी स्तरों पर मान्यता और जनतांत्रिकता का अधिक से अधिक ध्यान करके ऐसे व्यक्तियों या वर्ग से संबंधित प्रशासन किया जाता है जो कि बाधित होते हैं।"

समाज कल्याण प्रशासन के उद्देश्य
(Objectives of Social Welfare Administration)

1. **सामाजिक विकास** – समाज कल्याण प्रशासन लोकशक्ति के अधिकतम विकास हेतु पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, आदि की व्यवस्था करता है । अनेक प्रकार की समाज कल्याण सेवायें सामान्यता ऐसे व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिन्हे उनकी कमजोर और निम्न स्थिति के कारण समाज में उनके व्यक्तित्व विकास और सामाजिक कार्यात्मकता से वंचित रखा गया है। इन सेवाओं में युवा, वृद्ध, श्रमिक, निर्धन, महिला और बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों के शोषित व्यक्ति, नगरीय मलिन बस्ती के सामाजिक रूप में अक्षम, शोषित व्यक्ति, विकलांग, बीमारियों के कारण कार्य न कर पाने वाले व्यक्ति आदि वर्गो हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम सम्मिलित किये गये है। ये सेवायें शासकीय एवं निजी संस्थानों के माध्यम से लागू की जाती हैं।

2. **सामाजिक संस्था** – उपचारात्मक और निरोधक समाज कल्याण सेवाओं का व्वस्था करने के लिए सामाजिक संस्थाओं की जरुरत होती है ताकि समुदाय की अपेक्षाओं और साधनों के अनुसार संस्था के उद्देश्यों को पूरा के लिए समाज कार्य की विधियों का प्रयोग किया जा सके। सामाजिक संस्थाएँ दो प्रकार की है – 1. सरकारी संस्था, 2. स्वैच्छिक संस्था

3. **आर्थिक विकास** – एक विकासशील देश में राज्य का प्रमुख कार्य आर्थिक विकास करना होता है। इससे राजकीय क्षेत्र में बढ़त होती है, और निजी क्षेत्र में व्यवस्था बनी रहती है। इसके द्वारा उचित प्रोत्साहन एवं नियंत्रण मिलता है। आर्थिक विकास में समाज कल्याण प्रशासन का सहयोग आवश्यक है।

4. **कानून और व्यवस्था का संरक्षण** – कानून और व्यवस्था की समस्या का लम्बे समय के लिए समाधान निकालने में भी समाज कल्याण प्रशासन संलग्न होता है जिससे वयस्क युवा और बाल अपराधों में कमी होती है, और इन अपराधियों के लिए मानवतापूर्ण व्यवस्था करते हुए इनका समाज में पुनर्वास करता है।

5. **राष्ट्र की सुरक्षा** – संकट के वक्त में समाज कल्याण प्रशासन नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था करने में लोगों की सहायता करता है, और जनता का उत्साह बढ़ाता है जिससे समाज में चिन्ताजनक घटनाओं के घटित होने पर भी मानसिक संतुलन बना रहता है। समाज कल्याण प्रशासन शांति के समय एकता के लिए कार्य करता है जिससे सामाजिक बैर–भाव की भावना का हास एवं एकता समन्वय का अधिक से अधिक विकास हो सके।

इस प्रकार यदि देखा जाए तो समाज कल्याण प्रशासन के अर्थ के अन्तर्गत कुछ प्रमुख बातें एवं उद्देश्य निहित हैं जैसे –

- ❖ सामाजिक न्याय की स्थापना करना
- ❖ समानता के अधिकार को सुनिश्चित करना,
- ❖ शोषण एवं अत्याचार से मुक्ति दिलवाना,
- ❖ राह भटके व्यक्तियों को सद्मार्ग दिखाना ।
- ❖ शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त लोगों का पुनर्वास करना,
- ❖ नागरिकों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा स्वाभिमान को बनाये रखने में सहायता करना,
- ❖ सामाजिक विकास को साकारात्मक दिशा प्रदान करना ।
- ❖ सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक आधार पर असमानता के शिकार अथवा दमित व्यक्तियो ंका कल्याण करना।
- ❖ मानव के समस्त कल्याण तथा राष्ट्रीय विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयास करना।
- ❖ वंचित (अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं विमुक्त जातियों) को लाभ दिलवाना।
- ❖ सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लाभ दिलवाना।
- ❖ अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम–1979 के क्रियान्वयन कराना।
- ❖ वंचित वर्ग हेतु आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन करना।
- ❖ निर्धन व्यक्तियों को शादी/बीमारी/मृत्युत पर अनुदान दिया जाना।
- ❖ वंचित वर्ग हेतु स्व–रोजगार योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- ❖ वंचित वर्ग हेतु आवास योजना के माध्यम से लोगों के कुटीर बनबाना।

समाज कल्याण प्रशासन का विश्लेषण

- ❖ समाज कल्याण प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान, सिद्धांत एवं निपुणता होती है।
- ❖ इसके द्वारा सामाजिक संस्थओं का नियंत्रण, संचालन तथा संगठन किया जाता है।

- इस प्रक्रिया में निर्देशन, नियोजन, अन्तर–उत्तेजना, संगठन, सहयोग, संबंध, अनुसन्धान आदि कारकों का उपयोग किया जाता है।
- व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों को सामाजिक सेवा प्रदान करता है।
- संस्था के उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों, बजट, सेवार्थी–चयन, कार्यकर्ता–चयन, कर्मचारी गण चयन का कार्य करता है। सेवाओं का मूल्यांकन भी करता है।
- सामाजिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति इसके द्वारा की जाती है।
- प्रशासन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होता है।

समाज कल्याण प्रशासन के मुख्य कार्य (Important Functions of Social Welfare Administration)

समाज कल्याण प्रशासन का मुख्य कार्य समान विचारों वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी ऊर्जा को व्यवस्थित करना है ताकि समाज का सुधार किया जा सके। संस्था द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाज कल्याण प्रशासन में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

1. संस्था के मुख्य उद्देश्य, सूचना प्राप्त करना और पूरी स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है। संस्था एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्ट समस्या पर ध्यान देती है।
2. एकत्र की गई सूचना का विश्लेषण करना ताकि सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए समुचित उपाय किए जा सकें। समाज कल्याण संस्था का कार्य निर्धारित क्षेत्र में समाज की सामाजिक समस्याओं को दूर करना है।
3. समस्याओं पर नियत्रण करना और समाज कल्याण संस्था की पहलो (प्रयासों) को शरू करने के लिए उपयुक्त कार्य योजना की पहचान करना, जाँच परख करना और चयन करना।
4. समाज कल्याण संस्था के उददश्यों को पाप्त करने के लिए प्रभावशाली ढंग से नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाए बनाना।
5. समाज कल्याण सस्था के लिए उचित अभिविन्यास (orientation) और पयवेक्षण (supervision) के साथ उपयुक्त कार्मिक (personnel) की पहचान करना (पता लगाना) ताकि वे उद्देश्यों को समझ सके और संस्था के लक्ष्यो को प्राप्त करने के

लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कैसे किया जाता है, इसके बारे मे भी जानकारी प्राप्त कर सकें।

6. उन स्वयंसेवियों का पता करना जो समाज कल्याण संस्था के लक्ष्य और उद्दश्यो में स्वयं को लगा सकें ।
7. पर्यवेक्षण के अतंर्गत प्रशासन विभिन्न विभागों को कार्य प्रत्यायोजित (आबंटित) करेंगें जो विभिन्न विभागों में दिए गए उस कार्य के लिए जवाबदेह होंगे जिसका समन्वय करना है ताकि वांछित परिणाम सरलतापूर्वक प्राप्त किए जा सके।
8. नियम, विनियम, व्यवहार और प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जाए ताकि संस्था में पूरे कर्मचारियों के बीच एकरूपता और जवाबदेही हो और संस्था के उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।
9. संस्था को समुचित अभिलेख और रिपोर्ट रखनी चाहिए। संस्था की प्रगति का पता लगाने के लिए इन अभिलेखों और रिपोर्टों का विश्लेषण और व्याख्या की जानी चाहिए।
10. वित्तीय व्यवहार (financial practices) बहुत किफायती ढंग से और सख्ती से निर्धारित किए जाने चाहिए। ताकि कोई दुरूपयोग न किया जा सके। वित्त का उचित प्रकार से उपयोग और लेखांकन किया जाना चाहिए क्योंकि वित्त किसी भी संगठन की रीढ़ होता है। अतः वित्त उपयुक्त ढगं से प्रबधंन होना चाहिए।

सामाजिक विकास (Social Development)

सामाजिक विकास क लम्बी प्रक्रिया है जिसके दूरगामी परिणाम प्राप्त होते हैं इसका उद्देश्य कुछ व्यापक सामाजिक लक्ष्यों एवं आदर्शो को प्राप्त करना है सामाजिक विकास आर्थिक विकास को भी अपने में समेटे हुए है आर्थिक विकास के माध्यम से उन सामाजिक तत्वों को प्रकाश में लाया जाता है जिनकी समाज को आवश्यकता है अतः साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि –

- सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके कारण अपेक्षाकृत एक सरल समाज विकसित समाज के रूप में परिवर्तित होता है।

उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि सामाजिक विकास के कारण उस समाज में शिक्षा के स्तर, सामाजिक गतिशीलता, नगरीकरण की दर एवं राजनैतिक दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है।

सामाजिक विकास ''अवधारणा''

21वीं सदी के लिए सामाजिक विकास आवश्यक है और वास्तव में विकास शब्द अपनी अन्तर्निहित विशेषताओं के कारण सभी सामाजिक विषयों के अध्ययन का केन्द्र बन गया है। विकास का तात्पर्य ऐसे संसाधनों से है जो प्रगति की ओर उन्मुख है। अपने प्रचलित अर्थ में आरम्भिक सामाजिक विकास को सामाजिक उद्विकास के पर्याय के रूप में देखा गया किन्तु आधुनिक समय में इस परिकल्पना को अलग कर दिया गया आधुनिक मत के अनुसार अब यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं जीवन की गुणवत्ता के सुधार के प्रश्न पर केन्द्रित है इस प्रकार हम सबसे पहले मानवीय आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे।

मानवीय आवश्यकताऐं (Human Needs)

हमारी बहुत सारी इच्छाऐं पशुवत है परन्तु उनकी पूर्ति सांस्कृतिक तरीके से की जा सकती है जैसे– पोषक आहार, यौन इच्छाओं की तृप्ति, संतानोत्पत्ति, दूसरों की देखभाल करना सुरक्षा, आवास इत्यादि जो सभी मूल आवश्यकता है – जो अन्य प्राणियों में भी मिलती है यही पर समानता समाप्त हो जाती है जब हम बकाया हुआ भोजन करते हैं, और खाने की हमारी पसन्द विभिन्न प्रकार की शैलियों में प्रतिकलित होती है एक समाज में जो स्वीकृत भोजन है वह दूसरे समाज में अस्वीकृत हो सकता है। यौन इच्छा की संतुष्टि तो मात्र दाशविक लक्ष्य है परन्तु मनुष्यों में ऐसा नहीं है (अर्थ धर्म काम मोक्ष) मनुष्यों में रक्त सम्बन्ध में ऐसा करने पर बन्धन है और अन्तगोत्रीय तथा बहिर्गोत्रीय यौन सम्बन्ध स्थापित करने के कड़े नियम है। समाज वैज्ञानिकों का मत है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि प्रजातियाँ सुरक्षित एवं स्वस्थ रहे इसलिए विवाह कहा होना चाहिए और कहा नहीं होना चाहिए, इस पर प्रतिबन्ध है प्रसव पूर्ण की अवधि मनुष्यों में अधिक होती है और मां इस अवस्था में बहुत ही असुरक्षित रहती है इसलिए अन्यों की तुलना में मनुष्य स्थाई घर बसाने की कोशिश करते हैं। मानव शिशु भी बड़ी ही पर निर्भर एवं असहाय होता है उसमें शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता दी है अवधि में आ जाती है इस अवधि में व्यक्ति को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की

आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य बनने के लिए व्यक्ति को शिक्षा एवं सामाजीकरण की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

उपरोक्त आवश्यकता के अतिरिक्त मानव जीवन का सौन्दर्यात्मक पक्ष भी महत्वपूर्ण है प्राचीन मानव भी नृत्य एवं संगीत में संतुष्टि का अनुभव करते थे वे अपने पीछे महत्वपूर्ण गुफा चित्र छोड़ गए है चित्र एवं प्रतिमाऐं जो काफी पुरानी है सौन्दर्य एंव सृजन की उत्कृष्ट इच्छा का प्रमाण देती है मानवीय आवश्यकता की अवधारणा पर विचार करते हुए इस आयाम को ध्यान में रखना होगा प्राणियों में केवल मनुष्य ही प्रार्थना करते हैं इससे भी जीवन को एक विशेष आयाम मिलता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन को गढ़ने में, सुन्दर बनाने में या उसका निर्माण करने में हमें बहुत से तत्वों को विचार के केन्द्र में रखना होगा।

सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे अधिक सीखने की क्षमता रखता है। सृजन और सीखना दोनों ही हमारे स्वभाव में निहित है हम अपने विचार और कृति दूसरे तक पहुँचा सकते हैं दूसरे लोग इनसे ग्रहण कर इनसे सीखते हैं हमे स्वीकृति प्यार एवं पहचान की आवश्यकता होती है सृजनात्मकता तथा शीघ्र सीखने की क्षमता से हम इन्हें पा सकते हैं। मानव जीवन में परम्परा को महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए हमें सृजनात्मकता एवं विचार से जुड़े मूल्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम संस्कृति का निर्माण करने वाले प्राणी हैं संस्कृति समस्या समाधान का एक उत्कृष्ट उपकरण है मानवीय आवश्यकताओं को संकुचित रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता ये अनिवार्य रूप से बदलती रहती है और यह भी स्पष्ट है कि दो या तीन पीढ़ियों में मूल आवश्यकताओं का प्रत्यक्षीकरण भी आधार भूत रूप से बदल जाता है।

वगत दो दशकों में मानवीय आवश्यकता की नई अवधारणाऐं मौलिक आवश्यकता न्यूनतम आवश्यकता इत्यादि प्रस्तुत हुई है। इनमें काफी समानता फिर भी ये अपने स्वरूप और जटिलता में भिन्न हैं वैसे भी आवश्यकता संरचना माडल सोचने के लिए एक उपकरण ही है और यह आवश्यक नहीं है कि वह वास्तविकता के विल्कुल निकट हो। किसी भी स्थिति में आवश्यकता संरचना (Need structure) में निम्न तत्व अवश्य विद्यमान रहेंगे।

1. **जीवन यापन सम्बन्धी आवश्यकताऐं** – जिनमें पोषाहार, आवास, वस्त्र उपयुक्त जीविता, बीमारी की रोकधाम, उपचार हेतु औषधियां तथा जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा सम्मिलित है।

2. **समाज स्तरीय आवश्यकता** – जिसमें समुदायों के निर्माण की क्षमता समुदाय भावना सामाजिक एकता में वृद्धि किसी प्रकार झगड़ों को प्रभावशाली समाधान सहमति के निर्माण के उपाय तथा सामाजिक शासन के मानकों का विकास संलग्न है।

3. **सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताऐं** – किसी स्वतंत्रता एवं वैयक्तिकता की व्यवस्था अवकाश एवं उसका रचनात्मक ढ़ंग से उपयोग के अवसर उन्नति एवं सर्वोन्मुखी विकास का समान अवसर संलग्न है।

4. **कल्याण की आवश्यकताएं** – इसमें दुर्बलपूर्ण, विकलांग और असहाय लोगों की सहायता के लिए उपाय सम्मिलित हैं।

5. **अनुकूलन की आवश्यकताएं**– सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक वातावरण की हड़ताल के अवसरों के तरीकों और उनमें आने वाले बदलाव के कारण वांछित परिवर्तनों को लाने के उपाय सम्मिलित हैं।

6. **प्रगति की आवश्यकताएं**– समस्याओं के पूर्वानुमान और उनके समाधान की क्षमताओं को बढ़ाना वैज्ञानिक तकनीकी शोध में वृद्धि और मानव यांत्रिकी के कौशलों का विकास सम्मिलित है।

आज की समस्याऐं निश्चित ही बड़ी एवं जटिल है व्यापक संस्थागत तथा मूल्यात्मक परिवर्तन अपेक्षित है। केवल उद्देश्य पूर्ण विचार एवं समाधान परक समाज कार्य ही इस कठिन परिस्थिति से उवार सकते हैं। समता एवं सामाजिक न्याय असम्भव आदर्श नहीं है संस्थागत क्रांति और मूल्यों के माध्यम से अपने भविष्य की पुनर्रचना सम्भावना की सीमायें हैं। इस प्रकार सामाजिक विकास की अवधारणा का दूसरा प्रमुख बिन्दु आता है। जीवन की गुणवत्ता जिसका यहां विवेचन भी महत्वपूर्ण है –

जीवन की गुणवत्ता

अब G.N.P. (Gross National Product) के बदले G.N.W. (Gross National Welfare) तथा सामाजिक विकास के बारे में सोचना शुरू करें इस नए लक्ष्य की निम्न अपेक्षायें हैं –

1. व्यक्ति की अपेक्षा बड़े समुदायों जिसमें बहुसंख्यक गरीब भी सम्मिलित हैं, पर बल देने की दिशा में बदलाव।

2. मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के आधार पर सामाजिक लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करना।

3. आर्थिक एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को ध्यान में रखकर नियोजन एवं कार्यान्वयन की शैलियों में परिवर्तन।

4. नए सामाजिक लक्ष्यों की व्यक्ति के लिए पुनः वितरण की संस्थागत संरचना का निर्माण एवं संगठनात्मक मूल्य सम्बन्धी परिवर्तनों को लाने के लिए व्यापक युक्तियों विकसित करना जिससे पुनः परिभाषित सामाजिक लक्ष्य शीघ्रता से पाया जा सके।

5. सामाजिक प्रगति के मूल्यांकन और जन्म ले रही नई प्रवृत्तियों के आंकने के लिए सूचकों का निर्माण।

6. यह देखने के लिए कि वृद्धि के स्तर बनाए रखने योग्य है तथा बाहय सीमाओं के बाहर तो नहीं है, निगरानी की व्यवस्था बनाना।

7. वृद्धि से जुड़ी एवं अन्य सामाजिक समस्याओं का पूर्वानुमान और उनको तत्काल एवं सक्षम ढ़ंग से हम करने की तत्परता ।

8. वर्तमान सामाजिक संरचना की उपयुक्तता तथा औचित्य के बारे में प्रश्न और पुनर्विचार सम्भव बनाने के लिए और उनकी पुनः रचना की दिशा में काम करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण।

इस प्रकार सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को एक ऐसा दिशा की ओर ले जाना जिनमें मानवीय संसाधनों का सम्पूर्ण विकास हो उन्हें कार्य के उपयुक्त अवसर मिल सके वे सुरक्षित एवं स्वस्थ परिस्थितियों में संतोषजनक कार्य की शर्तो पर कार्य कर सकें और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का समुचित आभास हो।

सामाजिक विकास की विशेषताएँ (Characteristics of Social Development)

1. समाज द्वारा व्यक्तित्व के विकास के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार की सेवाओं का प्रावधान करते हुए मानव संसाधनों का समुचित विकास।

2. समाज द्वारा विकसित किए गए मानव संसाधनों द्वारा उन्हें निर्धारित किए गए उत्तरदायित्वों को प्रभाव पूर्ण रूप से निभाते हुए सामाजिक क्रिया में अधिकतम योगदान।

3. सामाजिक क्रिया से होने वाले लाभों में दिए गए अंशदान तथा किसी भी प्रकार की बाधिता के शिकार व्यक्तियों को सामाजिक न्याय के आधार पर साम्यपूर्ण वितरण।

4. भौतिक पर्यावरण को अधिक अंशों में नियंत्रित करने की क्षमता।

5. अवैयक्तिक सामाजिक सम्बन्धों का प्रसार।

6. धर्म के प्रभाव में ह्रास।

7. विशेषीकृत श्रम विभाजन।

8. शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि।

9. निरन्तरता एवं दिशा का बोध आवश्यक है।

10. विकास में परिवर्तन प्रगति के अनुरूप होता है।

11. इसकी अवधारणा सार्वभौमिक एवं क्षेत्र व्यापक है।

12. विकास का प्रमुख कारण आर्थिक है जो प्रौद्योगिकीय विकास पर आश्रित करता है।

13. इस प्रक्रिया में सदैव सरल से जटिल अवस्था की प्राप्ति होती है।

सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

कल्याणकारी राज्यों में सामुदायिक जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं, रोग ग्रस्तता, वृद्धावस्था आदि कठिनाइयों में पड़े लोगों को सार्वजनिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना सामाजिक सुरक्षा है, ताकि ऐसी किसी समस्या व कठिनाई से उन्हे मुक्त कराने में सहायता मिल सके।

स्टैक के मतानुसार, "सामाजिक सुरक्षा से हमारा भावार्थ, आधुनिक जीवन सम्बन्धी आकस्मिक घटनाओं जैसे रूग्णता, बेकारी, वृद्धावस्था–पराश्रिता, उद्यम सम्बन्धी दुर्घटनाएँ तथा जिनके विरूद्ध अपनी योग्यता व दूरदर्शिता द्वारा स्वयं अपने व अपने परिवार की सुरक्षा कर सकने की असमर्थता की स्थिति में समाज द्वारा प्रदत्त संरक्षात्मक कार्यक्रम से है।"

स्टैक द्वारा व्यक्त की गई सामाजिक सुरक्षा की व्याख्या से ज्ञात होता है कि सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य समाज द्वारा नियोजित उन कार्यक्रमों से है, जो बेकारी, बीमारी वृद्धों की पराश्रिता व औद्योगिक दुर्घटनाओं के कुप्रभावों से व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु संचालित किए जाते है। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ये कठिनाइयाँ ऐसी हों जिनसे व्यक्ति अपनी योग्यता व

दूरदर्शिता का उपयोग करने पर भी न तो स्वयं अपना बचाव कर सकता हो ना ही अपने परिवार को सुरक्षित रख सकने में सक्षम हो। अर्थात कुछ कठिनाइयाँ व आकस्मिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे व्यक्ति अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा करने में असमर्थ होता है तो इसके लिए समाज ऐसे कार्यक्रम संचालित करता है, जिनके द्वारा व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके– उन्हीं सुरक्षात्मक कार्यक्रमों को सामाजिक सुरक्षा की संज्ञा दी जाती है, जैसे सार्वजनिक सहायता, समाजिक बीमा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, समाज कल्याण आदि।

समाज कार्य के अन्तर्गत व्यक्तियों समूहों व समुदायों की इस प्रकार सहायता की जाती है कि इन सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में उन्हें पूर्ण ज्ञान व जानकारी हो सके तथा वे आवश्यकतानुसार उनका उपभोग करके स्वयं अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा कर सके।

डी. पाल चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा को स्पष्ट रूप से विवेचित करते हुये अपनी पुस्तक **'ए हैण्ड बुक आफ सोशल वेलफेयर'** में कहा है कि–

'सामाजिक सुरक्षा को ऐसी सुरक्षा के रूप में समझा जा सकता है, जो समाज को ऐसे जोखिमों के विरूद्ध उपयुक्त व्यवस्था के रूप में समझा जाता है, जिनसे सदस्यों के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।' अर्थात समाज द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सुरक्षा को हम सामाजिक सुरक्षा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जो उपयुक्त संगठनों द्वारा अपने उन सदस्यों को प्रदान की जाती है जो जोखिम व खतरे के बीच कार्यरत होते हैं और उनकी असुरक्षा, दुर्घटनाओं अथवा अक्षमता के कारण क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बनी रहती है।

सामाजिक सुरक्षा के दो प्रमुख रूप हैंः–

सामाजिक सहायता	सामाजिक बीमा

(अ) सामाजिक सहायता

सामाजिक सहायता के अंतर्गत कमजोर एवं असहाय वर्ग, जो अतिरिक्त सहायता के बगैर सम्मानजनक जीवन–यापन नही कर सकते हैं, जैसे वृद्ध, दिव्यांग, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलायें इत्यादि को, विभिन्न योजनाओं एवं स्कीमो के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(ब) सामाजिक बीमा

किसी आकस्मिक दुर्घटना या भावी अपंगत्य की संभावना के समय परिवार को टूटने से बचाने के लिए समाज या शासन द्वारा भावी घटना के पहले ही बीमा करा दिया जाता है, जैसे किसान बीमा, पेंशन बीमा इत्यादि। उस घटना के घटित होने पर बीमित वर्ग या समुदाय के सदस्यों को निर्धारित धनराशि प्रदान कर उन्हें राहत दी जाती है।

सामाजिक सुधार (Social Reform)

समाज सुधार से तात्पर्य उन कार्यों से है, जिनके द्वारा सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक व्यवहारेां में परिवर्तन लाया जाये। समाज सुधार का प्रमुख उद्देश्य सामान्यतः संगठन के व्यवहार तथा कार्यो में परिवर्तन द्वारा सुधार करना है। अर्थात सामाजिक ढ़ाचे में प्रजातान्त्रिक या अन्य परिवर्तन लाकर उसे वैध रुप व सामाजिक मान्यता देना समाज सुधार है। समाज सुधार सामाजिक समस्याओं में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हैं।

महिलाओं के अधिकारों को मान्यता के लिए संघर्ष, हरिजनों के लिये सुधार की मांग करना, सती प्रथा, छुआ–छूत, बालविवाह, दहेज प्रथा इत्यादि को समाप्त करके सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न अधिनियम पारित किये गये। इस प्रकार मात्र वैधानिक नियन्त्रणों के द्वारा ही नही बल्कि शिक्षा, एवं ज्ञान द्वारा ही समाजिक सुधार सम्भव है। सामाजिक संस्थाओं, मूल्यों, व्यवहारों एवं संगठनों में किसी भी प्रकार का लाभकारी परिवर्तन लाना ही समाज सुधार है।

नटराजन (Natarajan) के अनुसार समाज सुधार में समाज सुधारक अपने और दूसरे व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है और सामाजिक प्रगति के लिये अनुकूल दशाओं का निर्माण करता है।''

सामाजिक सुधार के लिए सामाजिक सुधारक में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। समाज को ढर्रे पर चलने की आदत होती है, और लम्बा संघर्ष चलने के बाद ही अपेक्षित सुधार संभव हो पाता है।

सामाजिक न्याय (Social Jaustice)

सामाजिक न्याय की अवधारणा बदलती रही है। पूर्व में जो सामाजिक न्याय समझा जाता था आज वह सामाजिक अन्याय हो गया है। एक देश में जो सामाजिक न्याय माना जाता है, दूसरे देश में वह सामाजिक अन्याय हो सकता है। एक धर्म जिसे सामाजिक न्याय मानता है, दूसरा

धर्म उसे सामाजिक अन्याय मान सकता है। ज्यो–ज्यों समाज आगे बढ़ता जायेगा समाज का विकास होगा। सामाजिक न्याय की अवधारणा भी परिवर्तित होती जायेगी।

प्लेटो ने ऐसे समाज की कल्पना भी नही की थी जो दासता से मुक्त हो। **प्लेटो** के अनुसार दासता समाज का एक अभिन्न अंग है। पहले सामाजिक न्याय का (Keybord) दासता थी। आज समाज में दासता नजर नही आती। प्रत्यक्ष रुप से दास प्रथा की समाप्ति हो चुकी है। वर्तमान में सामाजिक न्याय का (Keybord) समानता है। वर्तमान समाज में समस्त गतिविधियां समानता पर केन्द्रित हैं। पूंजीवादी समाज में श्रमिक स्वतन्त्र नहीं है। साम्यवाद मे एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है। जिसमे प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतन्त्र समझें एवं दूसरे व्यक्ति उसके अधिकारों का हनन न करें।

आर्थिक प्रक्रिया के तीन प्रमुख अंग हैं–

उत्पादन (Production)	वितरण (Distribution)	उपभोग (Consumption)

यदि उत्पादन के आधार पर सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया जाये तो उत्पादन का समाज मे समान वितरण सामाजिक न्याय कहलायेगा, लेकिन यदि इसे व्यावहारिक रुप से लिया जाये और उत्पादन का समान वितरण किया जाये तो प्रति व्यक्ति प्राप्ति अत्यन्त कम होगी एवं उपभोग हेतु उसकी मात्रा अत्यन्त कम होगी। उपभोग के आधार पर यदि विश्लेषण किया जाये तो एक विशेष स्तर के लोगों का उपभोग ज्यादा है, क्योंकि वे परिष्कृत वस्तु ग्रहण करते हैं जिससे अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है।

वर्तमान समय में सत्ता जन सहयोग द्वारा प्राप्त होती है। आज पुरानी मान्यतायें बदल गई हैं। आज कानून सबको एक नजर से देखता है। कानून (Law) में कोई भेदभाव नही एक अपराध के लिये समस्त जाति के लोगों में समान सजा का प्रावधान है। यह विधिक न्याय (legal Jasticl) है। इस प्रचलित मान्यताओं के अनुसार समाज जिस व्यवहार को सामाजिक अन्याय मानता है, उसे न करने की व्यवस्था एवं प्रक्रिया ही सामाजिक न्याय है। वर्तमान प्रजातांत्रिक युग मे समानता पर विशेष बल दिया जाता है। असमानता का न होना ही न्याय है। किन्तु असमानता दो प्रकार की होती है –

- प्राकृतिक असमानता।
- सामाजिक असमानता।

कुछ असमानता प्रकृति प्रदत्त है, जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है या कोई मोटा है, कोई पतला है। इसी प्रकार स्त्री एवं पुरूष प्राकृतिक रूप से भिन्न–भिन्न है। प्राकृतिक असमानता हम समाप्त नही कर सकते हैं।

सामाजिक असमानता वह भेद–भाव है जिसे समाज ने बनाया है, जैसे अस्पृश्यता एवं स्त्री होने के कारण शिक्षा का अधिकार न होना। समाज द्वारा किए गए इस प्रकार के अन्याय को दूर करना ही सामाजिक न्याय है। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, विभिन्न प्रकार की सामाजिक कल्याण योजनायें इत्यादि के रूप में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

सामाजिक न्याय की विशेषतायें :

- सामाजिक न्याय क्रमशः होता है।
- समााजिक न्याय की आधारभूत आवश्यकता भौतिक संसाधन हैं।
- भौतिक संसाधन जिस मात्रा में उपलब्ध होंगे सामाजिक न्याय उसी मात्रा में अवतरित होता है।
- यदि भौतिक संसाधन सहयोग नही करेगें तो सामाजिक न्याय स्वतन्त्र नहीं होगा।
- यदि भौतिक संसाधन प्रचुर मात्राा में हो तो सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष नहीं होगा। जैसे वायु मण्डल में हवा प्रचुर मात्रा में है। अतः श्वसन के लिये हवा (आक्सीजन) प्राप्त करने में संघर्ष नही करना पड़ता है।
- श्रम के आधार पर आय का वितरण हो तो सामाजिक न्याय होता है।
- सामाजिक न्याय विषयगत (Objective) न्याय है, वैकल्पिक नहीं।

सामाजिक क्रिया (Social Action)

जब समाज के व्यापक स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन की चेष्टा की जाती है तो उसे सामाजिक क्रिया के अन्तर्गत समझा जाता है। सामाजिक क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि इसमें एक बड़ा समूह या समुदाय सचेष्ट हो। समूह अथवा समुदाय की सचेष्टता अच्छी प्रकार

पूर्व नियोजित, सुसंगठित और निरूपित होने से इसकी सफलता की अधिक अच्छी स्थिति होती है। जो भी व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय सामाजिक क्रिया में संलग्न हों उनके लिए यह जरूरी है कि वे सामाजिक प्रगति और परिवर्तन की आकांक्षा रखते हों तथा उन्हें इसमें दृढ़ आस्था हो। कोई भी सामाजिक क्रिया ऐसे नहीं नियोजित की जानी चाहिए कि वह सम्बन्धित शासन के विधान–संविधान के इतने प्रतिकूल हो कि उससे संभावित परिवर्तन की संभावना ही न हो; अर्थात् सामाजिक क्रिया का नियोजन करते समय अपने राज्य के विधान–संविधान की मान्यताओं और उसके अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों इत्यादि को अच्छी प्रकार समझ लिया जाना चाहिए। सामाजिक क्रिया के पीछे निहित व अनुपुंजित ताकत ऐसी ताकत होनी चाहिए जिसका कि एहसास या जिसकी कि इच्छा उन सभी व्यक्तियों को हो जो कि उससे सम्बन्धित हैं। सामाजिक क्रिया का नियोजन या उसकी कल्पना करते समय यह बड़ा ही उपयोगी होता है कि समाज की तमाम भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैयक्तिक तथा राजनीतिक स्थितियों और संभावनाओं को भली प्रकार समझ लिया जाय। इन स्थितियों या संभावनाओं को समझते समय इनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तात्कालिक तथा दूरगामी प्रभावों को भी समझा जाना चाहिए। इनके समुचित ज्ञानोपरान्त ही सामाजिक क्रिया हेतु आवश्यक समस्या का चुनाव एवं उसके निराकरण की संभावनाओं का अन्दाजा लगाया जा सकता है। जब समूह या समुदाय सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित सामाजिक आवश्यकता या समस्या को भली–भाँति समझ जाते हैं तो वे अपने कार्य की दिशा निश्चित करने में सहूलियत अनुभव करते हैं। स्थितियों के अध्ययन से न सिर्फ समस्या के निरूपण या चयन में मदद मिलती है वरन् समस्या समाधान के कुछ सूत्र भी जाने–समझे जा सकते हैं। किसी भी सामाजिक क्रिया के पूर्व किया जापने वाला उससे सम्बन्धित यह अध्ययन तभी उत्तम और पूर्ण हो सकता है जब कि हम उससे सम्बन्धित तमाम अभिलेखों एवं अन्य साहित्यों का भली–भाँति अध्ययन करें। ये साहित्य सरकारी दफ्तरों, पुस्तकालयों, अभिकरणों एवं कतिपय व्यक्तियों के पास से प्राप्त हो सकते हैं और इन्हें प्राप्त कर इनका अच्छी प्रकार अध्ययन करना चाहिए। समाचार–पत्र, पत्रिकाएँ, चलचित्र इत्यादि से भी ऐसे सन्दर्भ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और इनकी भी मदद लेनी चाहिए। बहुत बार व्यक्तिगत अनुभव और परिस्थितियों के स्वयं के अवलोकन में माध्यम से या व्यक्तियों के शिकवे–शिकायतों या सर्वेक्षण और शोध इत्यादि के माध्यम से भी इनका ज्ञान होता है। सामाजिक क्रिया का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सम्बन्धित समूह या समुदाय के व्यक्तियों में समस्या के तादात्मीकरण और कार्यक्रमों के निर्माण में स्वयं की

भागीदारी हो। ऐसा होना समाज–कार्य के मूल सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यक है। जो व्यक्ति अथवा समूह सामाजिक क्रिया में लगें उन्हें ऐसे निर्देशन और ज्ञान की सुविधा मुहैया की जानी चाहिए जो कि उन्हें उनके कर्त्तव्यों की ओर उत्प्रेरित करें और समय–समय पर आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाये रखें। उन्हें यह काफी स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि उनकी उपलब्धियों का स्वरूप क्या होगा और उनकी सामाजिक उपादेयता की क्या आवश्यकता है। सामाजिक क्रिया की गति उसमें लगे नेतृत्व से बहुत कुछ सम्बन्धित होती है। यदि नेतृत्व समझदार, आस्थावान्, धैर्यवान् तथा विचार और विवेक से युक्त है तो सफलता ज्यादा निश्चित होती है। सामाजिक क्रिया का आन्दोलन मानवीय भावनाओं के बीच से गुजरने वाला आन्दोलन है – इसलिए उसके संचालन के प्रमुख कर्त्ता में ये गुण होने ही चाहिए। प्रायः उनकी मानवीय कठिनाइयाँ ऐसे आन्दोलनों में बाधा स्वरूप उपस्थित हो जाया करती हैं। उनका सफल निराकरण तभी हो सकता है, जबकि नेतृत्व सक्षम और कुशल हो। सामाजिक आन्दोलनों या सामाजिक क्रिया के दरम्यान चूँकि एक बड़ा सामाजिक समूह संलग्न होता है इसलिए इस बात की काफी संभावना होती है कि उसके अन्तर्गत भिन्न–भिन्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्थिति के व्यक्ति सम्मिलित हों और उनकी भावनाएँ या कार्यक्षमता भी भिन्न–भिन्न हों। बहुत बार यह भिन्नता इस हद तक होती है कि विचारों या कर्त्तव्यों में आपसी प्रतिकूलता भी पैदा हो जाती है। इस प्रतिकूलता से सामाजिक क्रिया की गति अवरुद्ध होती है और इस हेतु इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। सभी प्रकार के व्यक्तियों को समय–समय पर आवश्यक निरीक्षण और निर्देशन से बाँध कर उनको कर्त्तव्यनिष्ठ बनाये रखना चाहिए। जो भी लोग सामाजिक क्रिया में संलग्न हों उन सबको सावधानीपूर्वक और सतत् समझदारी से काम लेना चाहिए तथा अपने कार्य के दौरान उन्हें यह हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि उनके कार्य सामाजिक और वैयक्तिक न्याय पर आधारित हों। ऐसा नहीं कि उनके कर्त्तव्य के जो परिणाम हों उनसे वैयक्तिक अथवा सामाजिक तौर पर कोई विभेदीकरण या अन्याय की बात बढ़े।

सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment)

किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। सामाजिक सशक्तिकरण वे सेवायें अथवा गतिविधियां हैं जिन्हें समाज के कमजोर वर्गों को शक्ति प्रदान करने के लिए की जाती है, जिसमें उनके स्वातंत्रता, आत्मविश्वास, उच्च जीवन सारयुक्त गरिमामय जीवन जीने

की क्षमता प्राप्त हो सके। इस प्रकार यह ऐसी प्रक्रिया है, जिसमे दलित एवं कमजोर वर्ग के लोगों के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक कमियों को दूर करने के लिए किए गए प्रयास आते हैं। इसकी निम्नांकित रणनीति हो सकती है :–

1. आर्थिक सहायता।
2. कौशल विकास।
3. समूहों में संग्रहित करना।
4. गैर लाभकारी संगठनों का निर्माण।
5. सामाजिक सहायता कार्यक्रम।
6. जीवन स्तर में सुधार की योजनायें बनाना।

मानव अधिकार (Human Rights)

'मानव अधिकार' वे न्यूनतम अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को इसलिये प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानव अधिकारों की धारणा मानव गरिमा की धारणा से जुड़ी है। अतएव जो अधिकार मानव गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें मानव अधिकार कहा जा सकता है।

इस प्रकार मानव अधिकारों की धारणा न्यूनतम मानव आवश्यकताओं पर आधारित है। इनमे से कुछ शारीरिक जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हैं और अन्य मानसिक जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हैं। यद्यपि मानव अधिकारों की संकल्पना उतनी ही पुरानी है, जितनी कि प्राकृतिक विधि पर आधारित प्राकृतिक अधिकारों का प्राचीन सिद्धान्त, तथापि 'मानव अधिकारों' पद की उत्पति द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय चार्टरों और अभिसमयों से हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् व्यक्तियों की स्थिति में रूपान्तरण हुआ जो समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकास है। मानव अधिकार राज्यों के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय विधि से उत्पन्न अधिकारों और कर्तव्यों से युक्त होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय हो गया है। जबकि कतिपय नियम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की स्थिति और कार्यकलाप के विनियमन से सम्बन्धित हैं, कतिपय अन्य प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करते हैं।

'मानव अधिकारों' पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमरीकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी, 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने प्रसिद्ध संदेश में किया था जिसमें उन्होंने चार मर्मभूत स्वतंत्रताओं

पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। इनको उन्होंने इस प्रकार सूचीबद्ध किया था– 1. वाक् स्वातंत्र्य, 2. धर्म स्वातंत्र्य, 3. गरीबी से मुक्ति और 4. भय से स्वातंत्र्य।

संदेश के अनुक्रम में राष्ट्रपति ने घोषणा किया कि ''स्वातंत्र्य से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेत है। हमारा समर्थन उन्हीं को है, जो इन अधिकारों को पाने के लिए या बनाये रखने के लिए संघर्ष करते हैं।'' मानव अधिकारों' पद का प्रयोग फिर अटलांटिक चार्टर में किया गया था। तदनुरूप मानव अधिकारों का लिखित प्रयोग संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पाया जाता है, जिसको द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् सैनफ्रांसिस्को में 25 जून, 1945 को अंगीकृत किया गया था। उसी वर्ष के अक्टूबर माह में भारी संख्या में हस्ताक्षरकर्ताओं ने इसका अनुसमर्थन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की उद्देशिका में घोषणा की गयी अन्य बातों के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद–1 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के 'प्रयोजन' ''.....मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना'' होंगे।

संयुक्तराष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को "मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा" को स्वीकार किया। इस घोषणा से राष्ट्रों को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वे इन अधिकारों को अपने संविधान या अधिनियमों के द्वारा मान्यता देने और क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर हुए। इस घोषणा–पत्र में कुल 30 अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक अधिकार, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार तथा बालकों एवं स्त्रियों इत्यादि के अधिकारों का प्रावधान है।

मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं प्रांतीय मानवाधिकार आयोंगो की स्थापना की गयी है।

अनुच्छेद	मानवाधिकार घोषणापत्र में वर्णित मानवधिकारों का विवरण
1.	सभी मनुष्यों को गौरव, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अधिकार प्राप्त है।
2.	जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, विचारधारा, जन्म, सम्पत्ति, मर्यादा के आधार पर भेदभाव का न होना।

3.	प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।
4.	गुलामी प्रथा और गुलामो का व्यापार अपने सभी रूपों में वर्जित होगा।
5.	किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक यातना, निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार नही किया जायेगा।
6.	कानून की दृष्टि में सभी को समान स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है।
7.	बिना किसी भेद—भाव के सभी कानून का समान संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
8.	अधिकारों के अतिक्रमण होने पर राष्ट्रीय अदालतो मे सहायता पाने का अधिकार है।
9.	किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निष्कासन नही किया जायेगा।
10.	आरोपित फौजदारी मामलों की सुनवायी न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष और निषपक्ष न्यायालय द्वारा हो।
11.	बिना अपराध सिद्ध हुये और बिना प्रचलित कानूनो के प्रावधान के किसी को अपराधी नही माना जायेगा।
12.	किसी भी व्यक्ति की एकांतता और सम्मान के विरूद्ध हस्ताक्षेप नही किया जा सकेगा।
13.	प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सीमाओं मे स्वतंत्रता पूर्वक आने—जाने, बसने तथा पराये देश को छोंडकर अपने देश वापस आने का अधिकार है।
14.	गैर राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्यो के अलावा सताये जाने पर दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार है।
15.	प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र की नागरिकता का अधिकार है तथा मनमाने ढंग से उसे उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता।

16.	बालिक स्त्री–पुरूषों को आपस में विवाह करने अथवा विवाह विच्छेद का अधिकार है।
17.	प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है, जिससे वंचित नही किया जा सकता।
18.	प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा, धर्म, विश्वास, क्रिया, उपासना, की स्वतंत्रता है।
19.	प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।
20.	प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने, समिति बनाने एवं किसी भी संस्था का सदस्य बनने की स्वतत्रंता है।
21	प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेने, शासकीय नौकरियों को प्राप्त करने एवं मतदान द्वारा शासन के लिए अपना मत प्रकट करने का अधिकार है।
22	समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति, व्यक्तित्व विकास एवं गौरव हेतु आवश्यक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का हक है।
23	प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, समान्य कार्य के लिये समान वेतन पाने और श्रमजीवी संघ बनाने तथा उसमे अपने हितों की रक्षा के लिये भाग लेने का अधिकार है।
24	प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है।
25	प्रत्येक व्यक्ति को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने, बेकारी, बिमारी, असमर्थता, वैधव्य, बढ़ापे इत्यादि में सुरक्षा एवं प्रत्येक बच्चे को समान सामाजिक संरक्षण पाने का अधिकार है।
26	प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी और माता–पिता को अपने बच्चे की शिक्षा का स्वरूप जानने का अधिकार है।

27	प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने तथा किसी वैज्ञानिक, साहित्यिक कृति जिसका वह रचैता है के आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है।
28	प्रत्येक व्यक्ति को इस घोषणापत्र में उल्लखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त करने का अधिकार है।
29.	प्रत्येक व्यक्ति जिस समाज में रहकर अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर रहा है के प्रति उसके कर्त्तव्य हैं और अपने अधिकारों का उपयोग कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं मे करेगा।
30.	किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को इस घोषणापत्र में उल्लखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं के हनन से संबंधित किसी भी कार्य में संलग्न होने का अधिकार नहीं है।

- किसी आकस्मिक दुर्घटना, भावी अपंगता या समस्या की संभावना के समय पीड़ित परिवार को टूटने से बचाने के लिए समाज द्वारा पहले से की जाने वाली सुरक्षात्मक व्यवस्था को सामाजिक सुरक्षा कहते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा के मुख्य दो रूप हैं– सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा।
- समाज सुधार वे प्रयास हैं जिनसे सामाजिक विकास में बाधक सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक व्यवहारों को परिवर्तित किया जाता है।
- राज्य द्वारा ऐसे कार्यों की स्वीकृति जो समाज के विकास एवं कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करें, सामाजिक नीति कहा जाता है।
- सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक सहायक तकनीक है, जो सामाजिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है।
- मानव की गरिमा एवं समानता को बाधित करने वाले सामाजिक अन्याय को दूर करने की प्रक्रिया सामाजिक न्याय है।

- मानव की गरिमा को स्थापित करने तथा मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होने, योग्य आवश्यक परिस्थितियों एवं स्वतंत्रताओं को समाज व राज्य द्वारा प्रदान किया जाना ही मानवाधिकार कहलाता है।
- मानवाधिकार के अंतर्गत नागरिक व राजनैतिक अधिकार जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता इत्यादि जैसे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं।

व्यावसायिक समाज कार्य एवं स्वैच्छिक समाज कार्य

स्वैच्छिक समाज कार्य तथा व्यावसायिक समाज कार्य की तुलना

हम जान चुके हैं कि समाज कार्य प्रारम्भ में एक स्वैच्छिक सेवा कार्य के रूप में था। बाद में समाज विज्ञानियों ने इसे क्रमबद्ध, व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। अवधारणा की स्पष्टता न होने के कारण आज भी स्वैच्छिक और व्यावसायिक समाज कार्य में विभेद करना कठिन होता है। हम यहां दोनो कि समानताओं और असमानताओं को आपकी जानकारी के लिए अलग–अलग स्पष्ट कर रहे हैं।

स्वैच्छिक एवं व्यावसायिक अथवा वैज्ञानिक समाज कार्य की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इनके मध्य निम्नलिखित समानतायें एवं विभिन्नतायें है :–

समानता :

स्वैच्छिक समाज कार्य	व्यावसायिक समाज कार्य
• यह दुःखी, पीड़ित एवं निर्धन तथा असहाय व्यक्तियों की सहायता करता है।	• यह भी निर्धन, निराश्रित अथवा असहाय व्यक्तियों की सहायता करता है।
• सहायता का कार्य धार्मिक–संगठनो अथवा सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अथवा स्वयं किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है।	• इसके अन्तर्गत भी सामाजिक अभिकरणो के माध्यम से ही सहायता कार्य किया जाता है।

• सहायता देने का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण होता है।	• इसमें भी सहायता देने का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का कल्याण करना ही होता है।

असमानता :

• परम्परागत समाज कार्य धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर पापों से छुटकारा तथा पुण्य एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए सम्पन्न किया जाता है।	• व्यावसायिक समाज कार्य को कार्यकर्ता पेशा के रूप में सम्पन्न करता है, जिस प्रकार अन्य पेशों (जैसे–चिकित्सा, वकालत) के व्यक्ति अपना कार्य करते हैं उसी प्रकार व्यवसायिक समाज कार्यकर्ता भी अपना कार्य सम्पन्न करता है।
• परम्परागत अथवा स्वैच्छिक समाज कार्य के अंतर्गत कोई निश्चित मूल्य नही होते हैं कार्यकर्ता अपनी इच्छा एवं सुविधानुसार लोगों की सहायता करता है।	• व्यवसायिक अथवा वृत्तिक समाज कार्य के कुछ निश्चित मूल्य एवं मान्यतायें होती है, इन्ही को आधार मानकर सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तियों की सहायता करता है।
• इसमें सामाजिक कार्यकर्ता को किसी आचार संहिता के पालन की आवश्यकता नही होती है। यदि यह कहा जाय कि परम्परागत समाज कार्य की कोई अचार संहिता नही है तो अतिशयोक्ति नही होगी।	• व्यवसायिक समाज कार्य की अचार संहिता है। इन्ही अचार संहिताओं का पालन सामाजिक कार्यकर्ता को करना पड़ता है।
• परम्परागत समाज कार्य सम्पन्न करने हेतु कार्यकर्ता को किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नही होती है।	• व्यवसायिक समाज कार्यकर्ता के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वह तभी सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है, जब प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लेता है।

• परम्परागत समाज कार्य में कोई सिद्धान्त अथवा प्रविधि नही होती कार्यकर्ता तत्कालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानवीय भावनाओं के आधार पर सहायता कार्य सम्पन्न करता है।	• व्यवसायिक समाज कार्य के कुछ नियत सिद्धान्त एवं प्रविधियाँ हैं इनके अनुसार ही कार्यकर्ता व्यक्ति, समूह तथा समुदाय की सहायता करता है।
• स्वैच्छिक अथवा परम्परागत समाज कार्य के लिए सामाजिक अभिकरणों की आवश्यकता नही होती है।	• व्यवसायिक समाज कार्य सामाजिक अभिकरणों के माध्यम से ही सम्पन्न किया जाता है।
• परम्परागत समाज कार्य के अंतर्गत को कोई वृत्ति नही मिलती और न ही वह वृत्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है।	• व्यवसायिक समाज कार्यकर्ता को सेवाप्रदानकरने के लिए एक निश्चित वृत्ति मिलती है।
• परम्परागत समाज कार्य में व्यक्ति को तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक अथवा तत्सम्बन्धी सहायता प्रदान करके ही सेवाओं की इतिश्री मान ली जाती है।	• व्यवसायिक समाज कार्य के अंतर्गत व्यक्ति, समूह तथा समुदाय की समस्याओं का निवारण होने तक सहायता प्रदान की जाती है।
• स्वैच्छिक समाज कार्य के अंतर्गत कार्यकर्ता स्वयं सेवार्थी के पास जाकर सहायता देने का कार्य करता है।	• व्यवसायिक समाज कार्य के अंतर्गत समस्याग्रस्त सेवार्थी कार्यकर्ता के पास स्वयं जाता है और सहायता की याचना करता है।
• परम्परागत समाज कार्य के अंतर्गत मात्र आंशिक आर्थिक सहायता अथवा तात्कालिक आवश्यकता की वस्तुओं को प्रदान करके ही अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस विधि में सेवार्थी हमेशा दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है।	• व्यवसायिक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की सहायता इस आशय के साथ करता है कि वह आत्मनिर्भर बन सके तथा भविष्य में वैसी समस्याओं का समाधान स्वयं करने मे सक्षम हो जाय।

सामाजिक नीति (Social Policy)

वह नीति है जो समाज की आवश्यकताओं जटिलताओं, संरचना तथा समस्याओं के अनुरूप तैयार की जाती हैं, तथा उसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक कल्याण और सामाजिक विकास होता है। यह सरकार द्वारा जानबूझकर किया गया वह कार्य है जो नागरिकों के कल्याण में वृद्धि करने हेतु है । सामाजिक नीति का अर्थ समाज के सभी सदस्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में सामंजस्य स्थापित करना होता है। यह वह माध्यम है जिसके जरिए समाज के सभी सदस्यों का हितवर्धन होता है। यह सामाजिक संरचना में विद्यमान कमियों का पहचानने, उन्हें दूर करने का प्रयास करती है। विभिन्न असमानता उत्पन्न करने वाले तत्वों को कम दूर करने का प्रयास करती है। इसके जरिए कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। यह सार्वजनिक नीति का ही भाग होती है परन्तु मुख्यतः सामाजिक सरोकारों से संबंध रखती है। यह नीति निर्माण के केंद्र में लोगों को लाने का माध्यम है। यह सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के साथ जुड़ी हुई अवधारणा है।

यह अपने मूल रूप में लोगों के बीच समता स्थापित करने का प्रयास करती है। वंचित समूहों और हशिए पर रह रहे वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने का उद्देश्य रखती है। यह सरकारों और विभिन्न संस्थाओं/ प्रयासों को लोगों के कल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने का प्रयास करती है ताकि उनमें जनता का विश्वास मजबूत हो सके। यह विभिन्न आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक इत्यादि नीतियों के नकारात्मक प्रभावों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम भी है।

संविधान की प्रस्तावना :

भारत में भारतीय संविधान, सामाजिक नीति का मुख्य स्रोत है। संविधान को ध्यान में रखकर ही सामाजिक नीति बनाई जाती है। सामाजिक नीति मानव कल्याण मानव जीवन को प्रभावित करती है। यह सिद्धांतों और कानूनों से संबंधित है। सामाजिक नीति समस्याओं का समाधान करती है और परिवर्तन लाती है।

सामाजिक नीति का अर्थ :

सामाजिक नीति दो शब्द से मिलकर बना है– 'सामाजिक' एवं 'नीति'। 'सामाजिक' शब्द का तात्पर्य समाज से संबंधित है, 'नीति' शब्द का अभिप्राय है कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के

लिए सोच–समझकर लिया गया कदम है। समाजिक नीति समाज व सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति है जो समाज के कल्याण विकास, सामाजिक परिवर्तन, समाज के सदस्यों का विकास एवं सेवाएं आदि से संबंधित है ।

सामाजिक नीति की परिभाषा :

- "सामाजिक नीति समिष्टवाद की राजनीति के रूप में एवं सामाजिक समस्याओं से निपटने में राज्य में हस्तक्षेप के अभ्यास के रूप में जानी जाती है" – **विलियम्स**
- "सामाजिक नीतियों के सिद्धांतों तथा क्रियाएं इस प्रकार से रचित की जाती है, जो एक समाज में जीवन की संपूर्ण वास्तविकता को प्रभावित करती है" – **गिल**
- "सामाजिक नीति विशेष सामाजिक उद्देश्यों को समाप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों पर नियंत्रण एवं प्रयोग और प्रभावपूर्ण इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है" – **कुलकर्णी**
- "सामाजिक नीति उन दशाओं/परिस्थितियों की प्राप्ति से संबंधित है जिसमें यह समझा जाता है कि नागरिक अच्छा जीवन प्राप्त कर सके " – **आइडेन**
- "सामाजिक नीति समाज विज्ञान में अध्ययन क्षेत्र के एक अनुशासन के रूप में या वास्तविक जगत के सामाजिक क्रिया के रूप में परिभाषित की जा सकती है – **एल्काक**

सामाजिक नीति की विशेषताएँ –

विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न विशेषताएँ है –

1. सामाजिक नीति एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है।
2. सामाजिक नीति लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है।
3. समाजिक नीति अभ्यास का क्षेत्र है।
4. सामाजिक नीति समाज के सदस्यों के कल्याण से संबंधित है।
5. सामाजिक नीति संसाधन, संपत्ति, लाभांश के वितरण में भूमिका निभाती है।
6. सामाजिक नीति के अंतर्गत समाज से संबंधित समाजिक मुद्दे आते हैं।
7. सामाजिक नीति समाज में परिवर्तन लाती है व नियंत्रित करती है।
8. सामाजिक नीति समाज में सामाजिक समस्याओं को हल करने में प्रयोग किया जाता है।

सामाजिक नीति के लक्ष्य एवं कार्य :–

सामाजिक नीति के निम्न लक्ष्य एवं कार्य हैं –

1. वर्तमान कानूनों को अधिक प्रभावी बनाकर सामाजिक अयोग्यता को दूर करना।
2. जन सहयोग और संस्थागत सेवाओं के द्वारा आर्थिक अयोग्यता को कम करना।
3. सुधारात्मक एवं सुरक्षात्मक प्रयासों में वृद्धि करना।
4. खण्डित व बाधितों को पुनर्स्थापित करना।
5. पीड़ित मानवता के कष्टों और दुःखों को कम करना।
6. शिक्षा–दीक्षा की समुचित व उपयुक्त व्यवस्था करना।
7. जीवन स्तर की असमानताओं को कम करना ।
8. स्वास्थ्य एवं पोषण की स्तर को ऊँचा उठाना ।
9. व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसरों को उपलब्ध कराना ।
10. परिवार कल्याण की सेवाओं में वृद्धि करना ।
11. सभी क्षेत्रों में संगठित रोजगार का विस्तार करना ।
12. कमजोर वर्ग के व्यक्तियों विशेष संरक्षण प्रदान करना ।
13. उचित कार्य की शर्तों तथा परिस्थितियों का आश्वासन दिलाना ।
14. कार्य से होने वाले लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना ।

सामाजिक नीति के उद्देश्य :–

सामाजिक नीति के मूलभूत एवं सर्वमान्य उद्देश्य निम्न है –

1. **सामाजिक न्याय** :– सामाजिक निति का उद्देश्य समाज में सामाजिक न्याय को प्रभावी व सुनिश्चित करना है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाज के सभी वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा किया जाता है। सामाजिक नीति द्वारा समाज में आर्थिक, सामाजिक असमानता, व भेदभाव को समाप्त करने के लिए नीतियां बनाई जाती है।
2. **सामाजिक परिवर्तन** :– सामाजिक नीति के द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है जिस समाज में विभिन्न प्रकार के समस्याओं व बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, और कुरीतियों को हटाया जाता है।
3. **सामाजिक समस्याओं का समाधान** :– सामाजिक नीति के द्वारा समाज समाज में व्याप्त समाजिक समस्याओं का समाधान करना है।

4. **सामाजिक एकता** :– सामाजिक नीति के द्वारा समाज में सामाजिक तनाव व संगर्ष को कम करना है। समाज में विभिन्न धर्म, वर्गों और जातियों के लोग रहते हैं जो समाज में विद्यमान संसाधन का मिलकर उपयोग करते हैं। सामाजिक नीति के द्वारा सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। जिससे समाजिक एकता स्थापित होता है।

5. **मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार** : सभी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना सामाजिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आवाज और रोजगार आदि है।

सामाजिक नीति के क्षेत्र :–

डिवरेक्स एवं कुक के अनुसार 5 के अंतर्गत निम्न क्षेत्र है –

- **सामाजिक क्षेत्र** – स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं स्वच्छ आवास
- **सामाजिक बीमा** – पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बाधिता भत्ता
- **सामाजिक संरक्षण** – खाद्य सहायता, पूरक आहार, आय का हस्तांतरण
- **सामाजिक सेवाएं** – समाज के कमजोर वर्ग और असुरक्षित वर्ग की देखभाल एवं सहायता करना।
- **सामाजिक अधिकार** – श्रमिकों, महिला एवं बाल अधिकार।

इस प्रकार सामाजिक नीति के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न है –

- सामाजिक सुरक्षा
- सामाजिक देखभाल
- समाज कल्याण
- सामाजिक नियंत्रण
- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- आवास
- पेंशन
- बेरोजगारी भत्ता
- न्याय
- पुनर्वास
- श्रम नियमन

सामाजिक नीति के निर्धारक तत्व :–

सामाजिक नीति राजनेताओं के धार्मिक विचारों एवं धर्म के द्वारा प्रभावित हो सकती हैं। सामाजिक नीति के निर्धारक तत्व निम्न हैं –

- ❖ राजनैतिक और संस्कृतिक कारक

- ❖ परम्परा तथा परिवर्तन
- ❖ आर्थिक कारक
- ❖ अहंकार व अहंभाव
- ❖ अन्तर्राष्ट्रीय अनुदान
- ❖ परिवार
- ❖ उत्सव
- ❖ कठोर तथा व्यवस्थित अनुशासन एवं नियंत्रण
- ❖ लाल फीताशाही (जब अत्यधिक नियमों और नियंत्रण के कारण अनावश्यक देर किया जाता है तो इसे लाल फीताशाही कहते हैं)
- ❖ अवैयक्तिक (सार्वजनिक) सम्बन्ध
- ❖ वेतन और पेंशन अधिकार
- ❖ अधिकारिक रिकार्ड
- ❖ विशेषज्ञता

सामाजिक नीति के स्रोत :–

सामाजिक नीति, मानव कल्याण को प्रेरित करने से सम्बन्धित जीवन की आवश्यक शर्तें का निर्माण करने और बनाए रखने व परिवर्तन लाने की निर्देश की ओर इंगित करता है। मानव कल्याण के लिए सामाजिक नीति को निम्नवत् स्रोतो का सहारा लेना पड़ता है–

- संविधान
- प्रशासन
- कानून विधान
- राष्ट्रीय योजनाएं

सामाजिक क्रान्ति (Social Revolution)

अधिकारों या संगठनात्मक संरचना में होने वाला एक मूलभूत परिवर्तन है जो अपेक्षाकृत कम समय में ही घटित होता है। मानव इतिहास में अनेकों क्रान्तियां घटित होती आई हैं और वह पद्धति, अवधि व प्रेरक वैचारिक सिद्धांत के मामले में काफी भिन्न हैं। समाज को एक स्तर पर

स्थिरता तथा सातत्य प्रदान करती है। सामाजिक संरचना मुख्यतः सामाजिक यथार्थ है जिसका असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक संरचना समाज के संभावित संबंधों को व्यवस्थित करने का तरीका है। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक संरचना से गहरी जुड़ी है।

1. **सामाजिक क्रान्ति का अर्थ (Meaning of Social Revolution)**

   सामाजिक क्रान्ति के विषय में निम्नलिखित विद्वानों के विचार उल्लेखनीय हैं :

   - **ब्रूम–सेल्जनिक–** सामाजिक क्रान्ति एक प्रकार की सामूहिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी विद्यमान कानूनी व्यवस्था को पलटने का प्रयत्न किया जाता है या पलट दिया जाता है। यह आधारभूत परिवर्तनों की एक माँग है जिसे सीधी कार्यवाही द्वारा प्राप्त किया जाता है।
   - **पीटर काल्वर्ट–** सामाजिक क्रान्ति से अभिप्राय ऐसे राजनीतिक परिवर्तन लाने से है जिसके द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में आकस्मिक परिवर्तन लाया जाता है। प्रक्रिया, घटना, योजना तथा राजनीतिक गाथा इसके प्रमुख तत्व होते है।
   - **मार्क्स–एंजिल्स–** उत्पादन सम्बन्धों में जनसंघर्ष के द्वारा ऐतिहासिक परिवर्तन लाना क्रान्ति है ।
   - **सल्वाडोर गिनर–** सामाजिक क्रान्ति एक गहन एवं तीव्र सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक संरचना में तेजी से व्यापक परिवर्तन लाये जाते हैं या आ जाते हैं ।
   - **आर्थर बौर–** जो परिवर्तन समाज में बलपूर्वक लाये जाते हैं या जिनके द्वारा सामाजिक संरचना में आमूल–चूल परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है, सामाजिक क्रान्ति कहलाते है।
   - **एडमंड ब्रुर्क–** सामाजिक क्रान्ति का सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें तेजी से परिवर्तन घटित होता है ।

2. **सामाजिक क्रान्ति की परिभाषायें (Definition of Social Revolution)**

   - **आर्नोल्ड एम. रोज–** "सामाजिक क्रान्ति से अभिप्राय किसी समाज में घटित होने वाले आमूल–चूल तथा दूरगामी परिवर्तनों की श्रृंखला से है, जो प्रायः तेजी से घटित होते है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह हिंसात्मक हों।"

- **विल्बर्ट मूर**– सामाजिक क्रान्ति से अभिप्राय समाज के सामाजिक ढाँचे में बड़े पैमाने पर होने वाले अनियमित परिवर्तनों से है। धुर्वीकरण की प्रक्रिया आने वाली क्रान्ति का मुख्य अग्र–सूचक होती है।
- **एन्थोनी वैलेस**– "यह जान बूझकर संगठित रूप में किया गया एक प्रयास है जो समाज के कुछ सदस्यों द्वारा किन्हीं नवीन विचारों के प्रतिमान को तेजी से ग्रहण करके ऐसी संस्कृति को स्थापित करने के रूप में किया जाता है जो अपेक्षाकृत अधिक सन्तुष्टि प्रदान कर सके।"
- **अरस्तू**– समाज के आधारभूत मूल्यों में परिवर्तन लाना क्रान्ति कहलाता है।
- **सोरोकिन**– जब किसी सामाजिक व्यवस्था की विद्यमान व्यवस्था अथवा संस्थाओं में तीव्रता, गहनता तथा भयंकर परिवर्तन लाये जाते हैं तब उन परिवर्तनों को हम सामाजिक क्रान्ति कहते हैं ।
- **क्रेन ब्रिटन**– सामाजिक क्रान्ति समाज का एक बुखार है जिसके समाप्त हो जाने पर समाज की व्यवस्था स्वस्थ तो हो जाती है लेकिन पूर्ववत् नहीं रहती।

आजकल "क्रान्ति" को इतने ढीले–ढाले अर्थों में प्रयोग किया जाने लगा है कि "सामाजिक क्रान्ति" की वास्तविक अवधारणा अस्पष्ट होकर रह गई है। एक ओर जहां हम फ्रांस की क्रान्ति की चर्चा करते हैं वहां दूसरी ओर औद्योगिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, धार्मिक क्रान्ति, हरित क्रान्ति, वैचारिक क्रान्ति, रहन–सहन तथा वेषभूषा के दंग में क्रान्ति, फैशन में क्रान्ति इत्यादि की चर्चा करते हैं। वास्तव में सामाजिक क्रान्ति की परिभाषा केवल ऐतिहासिक रूप में ही की जानी चाहिए तथा इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक पहलू की प्रधानता होनी चाहिए।

ऐतिहासिक रूप में विचार करने पर फ्रांस की 1789 की क्रान्ति के बाद से आधुनिक क्रान्ति के युग का इतिहास शुरू होता है। आधुनिक काल में हम रूस, चीन, इंग्लैण्ड, फ्रांस, अमेरिका, क्यूबा, वियतनाम, अफ्रीकाई देशों, एशियाई देशों, कोरिया, इत्यादि में हुई राजनीतिक क्रांतियों का उल्लेख कर सकते है।

सामाजिक क्रान्ति के मूल तत्व (Main Elements of Social Revolution)

1. इसमें सामाजिक परिवर्तन होते है ।

2. इसमें परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था में आते है जिनके परिणामस्वरूप एक विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है ।
3. इसमें परिवर्तन धीरे–धीरे नहीं आते बल्कि अचानक, तेजी से तथा तीव्रता से आते हैं।
4. इन परिवर्तनों से न केवल राजनीतिक ढाँचा ही प्रभावित होता है बल्कि सामाजिक संस्थायें तथा इनसे सम्बन्धित मूल्य–व्यवस्था भी प्रभावित होती है ।
5. इनसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी घटित होते हैं, यहाँ तक कि कालान्तर में सामाजिक चरित्र की प्रकृति में ही अन्तर आ जाते हैं ।
6. ये परिवर्तन सम्पूर्ण सामाजिक संरचना में परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं, जिसमें राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक व्यवस्थायें भी सम्मिलित होती हैं । ये परिवर्तन साधारण न होकर व्यापक तथा आमूल–चूल आकार के होते है ।
7. परिवर्तन लाने की विधि में बल तथा हिंसा का प्रयोग भी किया जाता है जिसमें अनेक प्रकार से जान–माल की हानि तथा रक्तपात भी सम्मिलित है ।

इस प्रकार सामाजिक क्रान्ति एक ऐसा राजनीतिक परिवर्तन है जिसमें सम्पूर्ण सामाजिक संरचना अचानक, तेजी एवं तीव्रता से आमूल–चूल रूप से परिवर्तित हो जाती है जिसमें आवश्यकतानुसार बल तथा हिंसा का प्रयोग भी होता है ।

सामाजिक क्रान्तियों के प्रकार (Types of Social Revolution)

सारोकिन ने निम्नलिखित छः प्रकार की क्रान्तियों की चर्चा की हैः

1. **राजनीतिक क्रान्ति :**

   जब कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन विशेष रूप से केवल किसी समूह की राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध होता है, जिसमें राजप्रसादों में होने वाली क्रान्तियों से लेकर शासक वर्ग तथा सरकार में तीव्र परिवर्तन सम्मिलित किया जाता है, तब ऐसे परिवर्तनों को "राजनीतिक क्रान्ति" की संज्ञा दी जाती है ।

2. **आर्थिक क्रान्ति :**

   जब कोई क्रान्तिकारी आन्दोलन किसी समूह की आर्थिक व्यवस्था सम्पत्ति के स्वरूप तथा स्वामित्व, उत्पादन, वितरण तथा उपभोग में तीव्र परिवर्तन लाने का प्रयास करता है तब उसे "आर्थिक क्रान्ति" कहा जाता है।

3. **धार्मिक क्रान्ति :**

जब किसी क्रान्तिकारी आन्दोलन द्वारा समूह के धार्मिक मूल्यों में तीव्र परितर्वन लाये जाते है तब इन्हें "धार्मिक क्रान्ति" कहा जाता है।

4. **पारिवारिक क्रान्ति :**

जब किसी समूह की पारिवारिक तथा वैवाहिक व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाती है तब इन्हें "पारिवारिक क्रान्ति" कहा जाता है।

5. **प्रजातीय या राष्ट्रवादी क्रान्ति :**

जिन संस्थाओं, सम्बन्धों तथा मूल्यों को बदलने की कोशिश की जाती है यदि वे प्रजातीय अथवा राष्ट्रीय हों तब ऐसी क्रान्तियों को प्रजातीय या राष्ट्रवादी क्रान्ति कहा जाता है ।

6. **सम्पूर्ण क्रान्ति :**

जब सम्पूर्ण स्थापित कानून, समूह की समस्त संस्थाओं एवं मूल–अवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है तब उन्हें "सम्पूर्ण क्रान्ति" कहा जाता है

इनके अतिरिक्त इन निम्न प्रकार की क्रान्तियों की चर्चा भी हम कर सकते हैं:

(1) **प्रतिक्रान्ति** : म्यूजल ने प्रतिक्रांति की चर्चा करते हुए बतलाया है कि क्रांति के काल में उच्च वर्ग को हटाकर एक नवीन वर्ग सत्तारूढ़ हो जाता है। परन्तु जब यह उच्च वर्ग पुनः क्रान्ति करके सफलता प्राप्त कर लेता है, अपनी पहले की सत्ता स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तथा क्रान्ति काल में घटित होने वाले सभी परिवर्तनों को पलट देता है, तब इस प्रकार की घटना प्रतिक्रान्ति कहलाती है।

(2) **वाममार्गी, दक्षिणमार्गी तथा मध्यमार्गी क्रांतियाँ** : एस. एम. लिप्सेट ने क्रान्तियों के मुख्य रूप से तीन प्रकारों की चर्चा की है–वाममार्गी, दक्षिणमार्गी तथा मध्यमार्गी। इस प्रकार साम्यवाद की क्रान्तियाँ वाममार्गी क्रान्तियाँ हैं जिनमें एक सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है।

परम्परागत सत्तावाद प्रकार की क्रान्ति दक्षिणमार्गी होती है जिसमें विद्यमान व्यवस्था में ही आवश्यक संशोधन अथवा सुधार करके उभरती हुई मांगों की सन्तुष्टि के योग्य बनाया जाता है।

फासिस्टवाद प्रकार की क्रान्ति मध्यमार्गी क्रान्ति कहलाती है। जिसमें एक ओर वैयक्तिक स्वतंत्रता की मांग की जाती है और दूसरी ओर स्थापित सत्ता को बनाये रखने का प्रयत्न किया जाता है।

(3) **उदारवादी तथा उग्र क्रान्तियाँ** : दक्षिणमार्गी तथा वाममार्गी क्रान्तियों को कुछ विद्वान उदारवादी तथा उग्रवादी क्रान्तियों की संज्ञा भी देते हैं । दक्षिण मार्गी प्रकार की क्रान्ति को उदारवादी क्रान्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार की क्रान्ति का उद्देश्य वर्तमान राजनीतिक अथवा सामाजिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना नहीं होता ।

इस प्रकार की क्रान्ति में पहले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था में जो दोष उत्पन्न हो जाते है अथवा इसके नेता जिस प्रकार की नीतियों का अनुसरण करते है उनसे असन्तोष दूर करने के लिए क्रान्ति के नेता एक ऐसा सामूहिक प्रयास करते हैं जिसमें प्रचलित नीतियों अथवा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यक संशोधन, परिवर्तन या सुधार करने के लिए सत्तारूढ़ नेताओं को विवश किया जाता है तथा उन संशोधनों को प्रभावोत्पादक ढंग से क्रियान्वित करवाया जाता है।

इस प्रकार की क्रान्ति के नेता एक विरोधी दल या 'दबाव समूह' के रूप में काम करते हैं। अनेक प्रजातांत्रिक देशों में इस प्रकार का उदारवादी समूह सदैव विद्यमान रहता है। यह समूह जब सत्ता प्राप्त कर लेता है तब भी यह विद्यमान व्यवस्था को बिलकुल उखाड़ कर नहीं फेंक देता बल्कि उसमें अपनी नीतियों के अनुसार आवश्यक हेर–फेर कर देता है।

इसके विपरीत वाममार्गी क्रान्ति को उग्रवादी क्रान्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नेता यह विश्वास करते हैं कि समाज में जो व्यापक असन्तोष विद्यमान है उसको केवल वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का जड़ से उन्मूलन करके और उसके स्थान पर एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करके ही दूर किया जा सकता है।

उग्रवादी नेता अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक कार्यवाहियाँ करने में संकोच नहीं करते बल्कि सम्पूर्ण क्रान्ति के काल में अनेक बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उदारवादी नीतियों के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति असम्भव सी प्रतीत होती है ।

उदारवादी हिंसात्मक नीतियों में विश्वास नहीं करते, वे शांति एवं समझौते तथा दबाव की यांत्रिकी अपनाते है ।

(4) **सांस्कृतिक क्रान्तिः** 1950–1960 के दशक में चीन में एक नये प्रकार की क्रान्ति का सूत्रपात हुआ जो सांस्कृतिक क्रान्ति के नाम से जानी जाती है । इस क्रान्ति का उद्देश्य उन सभी तत्वों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना था जो साम्यवादी संरचना के विरुद्ध उत्पन्न हो गये ।

(5) **सामाजिक क्रान्ति की अवस्थायें : ग्रेट** ब्रिटेन ने फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड तथा रूस की क्रान्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करके इनके विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं बताई हैं :

- ❖ **प्रथम अवस्था** : आर्थिक दृष्टि से उपरोक्त चारों देश क्रांति से पहले अच्छी स्थिति में थे। यहाँ क्रान्तियाँ उन असमृद्धशाली व्यक्तियों ने नहीं की जो अपने को नियंत्रण में बंधा या असन्तुष्ट या असहाय समझते थे, बल्कि क्रान्तियाँ शासकों की भयंकर दमनकारी नीति के कारण उत्पन्न हुई। इन क्रान्तियों में भाग लेने वाले भूखे–नंगे, दलित लोग नहीं थे, ये निराश व्यक्ति भी नहीं थे। ये क्रान्तियाँ तो आशा की लहर से उत्पन्न हुईं और इनका दर्शन आशावादी था।

- ❖ **दूसरी अवस्था** : क्रांति से पूर्व के इन समाजों में निश्चित रूप से तीव्र वर्ग का विरोध विद्यमान था। यह प्रतिरोध 1640, 1776 तथा 1789 की क्रान्तियों में सामनावादियों का बुर्जुओं के प्रति, या 1917 की क्रांति में बुर्जुओं का श्रमिकों के प्रति नहीं था।

  क्रान्ति की तीव्र भावना उन पुरुषों और स्त्रियों के मन में उपजी जिनके पास जीवन–निर्वाह के लिये पर्याप्त धन था और जिन्होंने सामाजिक रूप से सुविधा–सम्पन्न कुलीनतंत्र की असमानताओं पर गहन चिन्तन किया था। क्रान्तियाँ उस समय अधिक सम्भव होती है जब सामाजिक वर्ग एक दूसरे से अधिक दूर होने की अपेक्षा काफी निकट होते है। अस्पृश्य व्यक्ति कदाचित ही ईश्वरीय कुलीनतत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं।

- ❖ **तीसरी अवस्था** : सभी समाजों की क्रान्तियों में एक सामान्य तत्व बुद्धिजीवियों का अलगाव देखा गया।
- ❖ **चौथी अवस्था** : उपरोक्त सभी समाजों में क्रान्ति पूर्व काल में यह देखा गया कि सरकारी व्यवस्था स्पष्ट रूप से अकुशल थी, जिसका कारण आशिक रूप में लापरवाही था तथा आशिक रूप में पुरानी संस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन न करना था। इन सभी समाजों में यह देखा गया कि आर्थिक विस्तार तथा विकास की नई दशाओं, नये धनिक वर्गों के प्रादुर्भाव, यातायात के नवीन साधनों के विकास, व्यापार की नई पद्धतियों इत्यादि नवीन दशाओं ने एक ऐसा दवाब डाला जिसको साधारण अपेक्षाकृत आदिम दशाओं में अनुकूलित सरकारी व्यवस्था सहन न कर सकी।
- ❖ **पाँचवीं अवस्था** : पहले से जो शासक वर्ग चला आ रहा था उस शासक वर्ग के अनेक व्यक्ति स्वयं अपने पर विश्वास खो बैठे अथवा अपने वर्ग की प्रथाओं तथा परम्पराओं में आस्था खो बैठे, तथा बुद्धिजीवियों के रूप में विकसित हो गये या उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपना लिया या स्वयं विरोधी वर्गों में जाकर मिल गए । इनमें से अधिकांश व्यक्ति अनैतिक जीवन व्यतीत करते थे । दूसरे शब्दों में शासक वर्ग राजनीतिक रूप से बिल्कुल निरर्थक एवं अयोग्य हो गया था ।

6. सामाजिक क्रान्तियों के कारण (Causes of Social Revolution) : सामाजिक क्रान्तियों के सिद्धान्तों ने क्रान्तियों के सामाजिक कारणों का जो विश्लेषण किया है। उसमें तीन कारणों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया हैः

- ○ शक्ति पतन
- ○ नेताओं का व्यवहार तथा
- ○ आकस्मिक घटना

तकावली तथा मार्क्स के विचारों का सम्मिश्रण करके जेठ, डेविस ने सामाजिक क्रान्ति होने के लिए निम्न सैद्धान्तिक प्रतिस्थापना व्यक्त की है । "क्रान्तियाँ होने की सम्भावना उस समय अधिक होती है जब एक लम्बी अवधि के स्पष्ट आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बाद एक छोटी सी अवधि आती है जिसमें तीव्र विपरीत प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है ।

पहले की स्थिति में समाज के व्यक्तियों में यह विश्वास उत्पन्न हो जाता था कि उनमें अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने की योग्यता है; लेकिन बाद की स्थिति में वे मानसिक चिन्ता एवं निराशा का अनुभव करने लगते है कि वास्तविकता वह नहीं है जो स्पष्ट दिखती है । यह स्थिति क्रान्तियों को उत्पन्न करती है ।"

7. **सामाजिक क्रान्तियों के सामाजिक परिणाम (Social Outcomes of Social Revolution):** सोरोकिन ने भी आधुनिक काल की अनेक क्रान्तियों का विस्तृत अध्ययन करके कुछ सामाजिक परिणाम निकाले हैं जो इस प्रकार हैं:

- **क्रान्ति का चक्र** : क्रान्तिकारी परिवर्तनों में प्रायः एक पुनरावृती चक्र देखने को मिलता है । प्रत्येक क्रान्ति में दो अवस्थायें होती हैं, एक तो 'विनाशकारी अवस्था' जिसमें क्रांति न केवल शुष्क संस्थाओं तथा मूल्यों को, बल्कि उन संस्थाओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों को भी नष्ट करती है जो महत्वपूर्ण, सृजनात्मक तथा विकासगामी होते हैं। इनको अस्थाई रूप से छिन्न–भिन्न कर दिया जाता है और उनका विकास रोक दिया जाता है।
- दूसरी अवस्था होती है 'अवनति अवस्था' जिसमें महत्वपूर्ण संस्थायें तथा मूल्य पुनः उभरने लगते है, विकसित होते है तथा क्रान्ति की विनाशकारी शक्तियों को पीछे हट जाने को प्रोत्साहित करते है।
- **ध्रुवीकरण का सिद्धान्त** : लगभग सभी क्रान्तियों में ध्रुवीकरण का नियम क्रियाशील देखा जा सकता है। इस नियम का सम्बन्ध क्रान्ति में जनसंख्या के विभिन्न तत्वों तथा स्वयं उसकी अपनी गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव से है । सामान्य समय में अधिकांश जनसंख्या न तो स्पष्ट रूप से बुरी, न ही स्पष्ट रूप से भली, न अत्यधिक सामाजिक और न ही अत्यन्त समाज–विरोधी, न स्पष्ट रूप से धार्मिक या अधार्मिक होती है। क्रांति के समय ये उदासीन विरोधी ध्रुवों की ओर चल पड़ते हैं, कुछ पापी, कुछ सन्त, कुछ सामाजिक परमार्थवादी तथा कुछ समाज–विरोधी अहंमवादी हो जाते है । इस प्रकार का ध्रुवीकरण समस्त सामाजिक तथा सांस्कृ तिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है।
- **महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में परिवर्तन** : प्रमुख क्रान्तियों में जनसंख्या में जन्म दर गृह युद्ध के लगभग नौ माह बाद घटने लगती है। विनाशकारी अवस्था का अन्त होने के बाद यह पुनः बढ़नी शुरू होती है और बाद के दो तीन वर्षों के दो तीन वर्षों में क्रान्ति पूर्व काल के स्तर से भी ऊपर चली जाती है। तब इसके बाद वह अपने

क्रान्ति पूर्व स्तर पर आती है। इसी प्रकार मृत्यु दर भी घटती–बढ़ती हैं। यही बात विवाह–दर तथा तलाक या परित्याग दर के साथ भी लागू होती है। आत्म–हत्याओं की दर में भी इसी प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं।

मनोविज्ञान तथा व्यवहार में परिवर्तनः

ये परिवर्तन निम्न रूप में समझे जा सकते हैं –

- ❖ व्यक्तित्व संरचना का छिन्न–भिन्न होना।
- ❖ प्रत्यक्ष व्यवहार पर प्रभाव।
- ❖ विचारों की प्रतिक्रिया तथा सम्बन्धित वैचारिकी का प्रभावित होना।
- ❖ सम्पत्ति सम्बन्धों पर प्रभाव।
- ❖ लैंगिक व्यवहार तथा सम्बन्धों पर प्रभाव।
- ❖ नैतिक एवं धार्मिक आवरण पर प्रभाव।
- ❖ सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन।
- ❖ क्रान्तियों में सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते है जिन्हें निम्न रूप में देखा जा सकता है।
- ❖ अन्तःसमूह सामाजिक विभेदीकरण।
- ❖ अन्तर्समूह संस्तरण।
- ❖ अन्तर्समूहों में विभेदीकरण।
- ❖ पारस्परिक संस्तरण।

सारांश (Summary)

- इस इकाई में समाज कार्य शब्द को समझते हुए इसे एक विषय के रूप में प्रस्थापित किया गया। समाज कार्य का अवधारणात्मक स्वरूप की व्याख्या करते हुए समाज कार्य विषय के समान अर्थ रखने वाले अन्य शब्दों या अवधारणाओं की भी व्याख्या की गई है जिससे अन्य शब्दों की समाज कार्य शब्द से विभिन्नता को समझा जा सके। जैसे– समाज कार्य की तुलना में समाजसेवा, समाज कल्याण प्रशासन, समाज कल्याण कैसे समाज कार्य से किस रूप से सम्बद्ध है।
- कैसे समाज कार्य के अंतर्गत एक क्षेत्र या भाग के रूप में सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक सुरक्षा महत्व रखती है।

- व्यावसायिक एवं स्वैच्छिक समाज कार्य की अवधारणा हमें और गहराई से समाज कार्य के अर्थ को बताती है। इसी प्रकार सामाजिक सशक्तिकरण, मानव अधिकार भी इसी इकाई के महत्वपूर्ण भाग है। जिससे सशक्तिकरण की प्रक्रिया, मानव अधिकारों की समझ एवं सामाजिक क्रांति और सामाजिक विकास की अवधारणा को भी समझने में सहायता होगी।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ **(Meaning of Conceptual terms)**

- **सामाजिक सुरक्षा** : सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति को विभिन्न आकस्मिकताओं से होने वाले आर्थिक संकट के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करती है तथा उसके लिए राष्ट्र की भुगतान क्षमता अनुसार न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करती है।
- **समाज कल्याण प्रशासन** : सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया समाज कल्याण प्रशासन है।
- **व्यावसायिक समाज कार्य** : समाज कार्य का वह स्वरूप जिसमें क्रमबद्ध एंव वैज्ञानिक ज्ञान के साथ निपुणताएं प्रविधियां, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं सामाजिक अनुमोदन हो।

स्व–मूल्यांकन **(Self-Assesment)**

- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न **(Long answer type questions)**
  1. सामाजिक विकास की अवधारणा स्पष्ट करें।
  2. सामाजिक विकास के सम्बन्ध में मानवीय आवश्यकताओं को स्पष्ट करें।
  3. समाज कल्याण प्रशासन के मुख्य कार्यों को लिखें।
  4. सामाजिक नीति को विस्तार में लिखें।
  5. स्वैच्छिक समाज कार्य एवं व्यावसायिक समाज कार्य में अंतर स्पष्ट करें।
- लघु उत्तरीय प्रश्न **(Short answer type questions)**
  1. समाज कल्याण प्रशासन के उददेश्यों को लिखें।
  2. सामाजिक विकास की अवधारणा स्पष्ट करें।
  3. सामाजिक सशक्तिकरण को स्पष्ट करें।
  4. मानवाधिकार घोषणा–पत्र में वर्णित मानवाधिकारों को लिखें।
  5. सामाजिक क्रान्तियों के प्रकार लिखें।
- अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न **(Very short/ Objective type questions)**
  1. समाज कार्य की परिभाषा दें।
  2. समाज सेवा को स्पष्ट करें।

3. सामाजिक सुधार को लिखें।
4. समाज कल्याण प्रशासन को स्पष्ट करें।
5. सामाजिक क्रान्ति को स्पष्ट करें।

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के बारे में संबंधित विभाग में जाकर जानकारी लें एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
2. अपने अध्ययन क्षेत्र में किस तरह के सामाजिक सुधार की आवश्यकता है, इसे पता लगाने के लिए क्षेत्र के निवासियों से बातचीत के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करें।
3. विद्यालयीन स्तर पर विद्यार्थियों के मध्य जाकर मानव अधिकारों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों को चलाएं एवं प्रतिवेदन तैयार करें।

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ :

- प्रसाद मणिशंकर, सत्यप्रकाश, – समाज कार्य, अरिहंत पब्लिकेशन्स इण्डिया लि., दरियागंज, नई दिल्ली–002।
- मिश्रा डॉ. प्रयागदीन – सामाजिक सामूहिक कार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- मिश्रा डॉ. प्रयागदीन – सामाजिक वैयक्तिक कार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- सिंह डॉ. ए. एन – सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़।
- नेमा डॉ. जी. पी. शर्मा, डॉ. के.के. – मानव अधिकार, सिद्धांत एवं व्यवहार। कॉलेज बुक डिपो, जयपुर–2।

वेब संदर्भ :

- https://www.scotbuzz.org/2020/08/vaiyaktik-samaj-kary-ka-itihas.html?m=1
- https://www.scotbuzz.org/2020/07/samaj-kary.html?m=1
- https://www.samajkaryshiksha.com/2017/02/blog-post.html?m=1

इकाई–3 : भारत में समाज कार्य का इतिहास (History of Social Work in India)

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- विशेष रूप से भारत में समाज कार्य के प्रादुर्भाव के प्रमुख कारणों को जान सकेंगे।
- भारत के विभिन्न कारणों के अनुरूप समाज कार्य के स्वरूपों को समझ सकेंगे।
- समाज कार्य विषय के वैज्ञानिक स्वरूप एवं व्यावसायिक स्वरूप को समझने में सहायता होगी।

भारत में समाज कार्य (Social Work in India)

भारतीय समाज एक परम्पकरागत समाज रहा है। भारतीय समाज अति प्राचीनकाल में एक प्रकार का साम्यवादी समाज था जिसमें निजी सम्पत्ति का जन्म अभी नहीं हुआ था। निजी सम्पत्ति के जन्म के साथ 'राजा' का भी जन्म हुआ एवं युद्ध से जीती गई सम्पत्ति विजेता की हो गई जिसे वितरित करना उसकी अपनी इच्छा पर था। पीडितों की सहायता करना प्राचीनकाल से भारत की परम्परा रही है। मजूमदार के अनुसार राजा, व्यापारी, जमींदार तथा अन्य सहायता संगठन धर्म के पवित्र कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते थे।

हडप्पा संस्कृति से लेकर बौद्ध काल तक जनता की भलाई के लिए उपदेश दिए जाते थे। बुद्ध अपने जीवन काल में काफी लोगों को उपदेश दिया करते थे। मौर्यकाल में भी जनता की भलाई के लिए उपदेश दिए गए। अशोक ने भी कहा कि सहायता के लिए मेरी प्रजा किसी भी समय मुझसे मिल सकती है चाहे मैं अन्तरःपुर में ही क्यों न रहूँ। गुप्तकाल एवं हर्ष के काल में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ देखने को मिलती हैं।

भारत में जब मुसलमान आये तो उन्होंने भी अपने धर्म के आदेशानुसार दान–पुण्य् पर अधिक धन व्यय किया । इस्लाम में जकात एक महत्वपूर्ण तत्त्व है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति, विशेष प्रकार से धन या स्वर्ण का ढाई प्रतिशत भाग जकात के रूप में व्यय करना आवश्यक हैं जकात की रकम निर्धन एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों पर व्यय की जाती है। इसके अतिरिक्त इस्लाम में एक संस्था खैरात की भी है। जिसके अनुसार अभावग्रस्त व्यक्तियों की आर्थिक सहायता व्यक्तिगत रूप से की जाती है। इसके लिये कोई दर निश्चित

नहीं है और यह इच्छानुसार दी जाती है। इस्लाम में धन के प्रति घृणा का प्रचार किया गया है और अधिक से अधिक धन को अभावग्रस्त व्यक्तियों में वितरित करने पर बल दिया गया है।

दिल्ली के सुल्तानों ने अपने धर्म के सिद्धांन्तों के अनुसार, जो दान पर अधिक बल देता है, निर्धनों एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों पर अधिक धन व्यय किया। जकात द्वारा प्राप्त धन के अतिरिक्त, जो वैधानिक रूप से दान–सम्बन्धी कार्यों के लिए निर्दिष्ट होता था, अन्य साधनों से प्राप्त बड़ी–बड़ी धन राशियाँ निर्धनों पर व्यय की जाती थी।

इस सम्बन्ध में शेरशाह का एक विश्वसनीय शिष्ट मनुष्य खवास खां बहुत प्रसिद्ध है। हजारों नर नारी उसके बनवाए घरों और खेमों में रहते थे और वह स्वयं उनके लिए भोजन परोसता था। हिन्दुओं को कच्चा भोजन मिलता था – महमूद गवान जो एक राज्य का मालिक था अपना सारा धन निर्धनों पर व्यय कर देता था और स्वयं कृषकों वाला साधारण भोजन लेता था और चटाई बिछाकर जमीन पर सोता था। खानकाहें भी निर्धन सहायता का केन्द्र था क्योंकि वहाँ भोजन निःशुल्क मिलता था और अभावग्रस्तों एवं यात्रियों के ठहरने का स्थान मिलता था। राज्य की ओर से या निजी व्यक्तियों की ओर से जो धन उन्हें मिलता था उसका एक बड़ा भाग शिक्षा, समाज सेवा, एवं निर्धन सहायता पर व्यय होता था। यह दान पुण्य इतना विस्तृत था कि इसके कारण व्यावसायिक भिक्षुकों का एक वर्ग उत्पन्न हो गया– इब्ने बूतता ने एक विभाग के विषय में लिखा है जिसमें अभावग्रस्त पुरूषों एवं स्त्रियों की सूची रखी जाती थी और उन्हें अनाज दिया जाता था। विद्वानों को निरीक्षक नियुक्त किया जाता था ताकि तटस्था रूप से कार्य हो सके।

फिरोजशाह ने अपने कोतवाल को आदेश दे रखा था कि वह वृत्तिहीनों को उसके सामने प्रस्तुत करे – वे उसके सामने प्रस्तुत किये जाते थे और उनके लिए रोजगार उपलब्ध करता था। इस बात में वह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का अनुसरण करता था जिसके अनुसार अपराध अभाव का परिणाम था। अतः वह निर्धनों के लिए कोई कार्य या व्यवसाय उपलब्धः करता था। वह उन्हें धन या भूमि अनुदान के रूप में देता था जिससे वह कृषि कर सकें। उसने इस बात का प्रयास किया कि भिक्षावृत्ति उसके राज्य से समाप्त हो जाये और इसके लिये वह भिक्षुओं को किसी लाभदायक व्यवसाय ग्रहण करने के लिये तैयार करता था। ''भैष्जिक सहायता की भी उपेक्षा न की जाती थी–मुहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली नगर में सत्तर चिकित्सालय थे''।

मुस्लिमकाल में भी शासकों ने इस्ल्म के सिद्धान्तों के अनुसार ही समाज की शासन व्यवस्था को संगठित किया। जकात एवं खैरात जैसी इस्लामी अवधारणाओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त हुई। असहाय तथा निर्धन व्यक्तियों की सहायता करना इस्लाम धर्म का एक आधारभूत अंग था। (फिरोज तुगलक) के समय अनेक औषधालयों का निर्माण किया था जहाँ गरीब व्यक्तियों का निःशुल्क उपचार किया जाता था। अकबर के काल में अनेक समाज सुधार किए गए। अकबर ने दीन इलाहीं चलाया। दास प्रथा को समाप्त किया एवं यात्री कर तथा जंजिया कर लगाया ताकि कल्याण कार्य किया जा सके। अकबर ने एक आदेश दिया कि यदि कोई विधवा सती न होना चाहे तो उसे बाध्य नहीं किया जाए।

भारत में काफी अधिक समय से पारसी लोग भी रहते हैं। पारसियों के धर्म में भी दान को बड़ा महत्त्व दिया गया है। पारसियों ने यहाँ धर्मशालाएँ, तालाब, कुयें, विद्यालय आदि बनवाए। उन्होंने बहुत से न्यास स्थापित किये जिनमें से एक प्रसिद्ध न्यास बाम्बे पारसी पंचायत ट्रस्टा फन्ड्स है। इन प्रन्यास के उद्देश्यों में पारसी विधवाओं की सहायता,पारसी बालिकाओं की विवाह सम्बन्धी सहायता, नेत्रहीन पारसियों की सहायता, निर्धन पारसियों की सहायता और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी सहायता सम्मिलित है।

समाज कार्य व्यवसाय का उद्भव (Origin of Social Work Profession)

समाज कार्य एक विकसित व्यवसाय है जिसका निश्चित ज्ञान, प्रविधियाँ और कौशल होते है और जिन्हें सीखना प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है। समाज कार्य का विकास विभिन्न समाजों में उनकी अपनी विशिष्टताओं के अनुसार भिन्न–भिन्न रुपों में हुआ है। किसी समाज में इसका समुचित विकास व्यावसायिक सेवा के रुप में हुआ है जो कहीं यह दान, दया, और मानवता के आधार पर मात्र अर्थदान के रुप में विकसित हुआ है। हैलन क्लार्क ने अपनी पुस्तक "प्रिंसीपल एण्ड प्रेक्टिस ऑफ सोशल वर्क" में समाज कार्य को तीन युगों के आधार पर वर्गीकृत करके स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

1. **प्राचीन काल** – श्रीमती हैलन क्लार्क के अनुसार समाज कार्य की जड़े मानव समाज की उत्पत्ति के साथ प्राचीन काल से जुड़ी है। उस युग में समाज कार्य का रुप आज के व्यावसायिक समाज कार्य से भिन्न था। प्राचीन काल में निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध तथा निराश्रित व्यक्तिओं की सहायता व सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर अर्थदान या वस्तुदान के द्वारा व्यक्ति उनकी सहायता करने का प्रयास करते थे।

2. **मध्यकाल–** अठ्ठारहवी शताब्दी में मानववादी दृष्टिकोण की उत्पति हुई। इस काल में समाज सेवा की प्रेरणा धर्म या दया की भावना का फल न होकर मानवतावाद पर आधारित पायी गई थी। मानव–मानव के प्रति जागरुक हुआ और उसने मनो–सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक कठिनाइयों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझा। अपनी क्षमता के अनुरूप जन सेवा में भाग लिया।

3. **आधुनिक काल–** इस काल में दया, धर्म व मानवता के प्रति कर्तव्य की मानव के आधार पर सेवा कार्य का प्रचलन नाम मात्र ही रह गया है और इसके स्थान पर समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा के रुप में विकसित हुआ। समाज कार्य की विशिष्ट विधियों एवं प्रविधियों तथा सिद्वान्तों का विकास हुआ जिसके द्वारा समस्या ग्रस्त व्यक्तिओं को अपनी सहायता स्वयं करने हेतु प्रेरित व निर्देषित किया जाता है।

रेडंरसन (1945) समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसका उद्देश्य जनसाधारण की व्यक्ति के रुप में अथवा समूह में इस प्रकार सहायता प्रदान करना है कि वे सामुदायिक ईच्छाओं व क्षमताओं के सन्दर्भ में संतोषप्रद सम्बन्ध व जीवन स्तर प्राप्त कर सकें। हैलन क्लार्क (1947) समाज कार्य व्यावसायिक सेवा का स्वरुप है जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणता के मिश्रण पर आधारित है। यह एक तरफ सामाजिक सन्दर्भ में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यक्ति की सहायता करता है तथा दूसरी और व्यक्तियों की योग्यतानुसार विकास करने में अवरोध उत्पन करने वाली सम्भावनाओं के निराकरण का प्रयास करता है। हैलन क्लार्क ने समाज कार्य को ज्ञान व निपुणता पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा के रुप में विवेचित किया है।

फ्रीडलैण्डर (1955) समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो मानवीय सम्बन्धों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान व निपुणओं पर आधारित है जो व्यक्तियों की अकेले एवं समूहों में इस प्रकार सहायता करता है कि वे सामाजिक एवं व्यक्तिगत संतुश्टि तथा आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकें। फ्रीडलैण्डर के मतानुसार भी समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है परन्तु इन्होनें क्लार्क की भांति पर्यावरण को अधिक महत्व न देकर वैज्ञानिक व मानवीय सम्बन्धों को महत्वपूर्ण माना है तथा इसके आधार पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उद्देश्य सामाजिक व व्यक्तिगत सन्तुश्टि तथा आत्म निर्भरता की प्राप्ति में व्यक्तियों की सहायता करना बताया है।

समाज कार्य का व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक परिचय
(Professional and Scientific Introducation of Social Work)

समाज कार्य का उद्भव सेवा कार्य से हुआ है। जिसमें किसी पीड़ित अथवा समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति की सहायता धार्मिक अथवा मानवीय भावना से प्रेरित होकर की जाती थी। प्रारम्भिक काल में समाज कार्य की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को निर्धनों की सहायता, दान–पुण्य, परोपकार या समाज सुधार आदि की संज्ञा दी जाती थी। इसी प्रकार मध्यकालीन युग में समाज कार्य मानवता के आधार पर किया जाता रहा। धीरे–धीरे धर्म, दान–दया, और मानवता के आधार पर निर्धनों, रोगियों, निराश्रितों, अपंगों आदि की सेवा व्यक्तिगत भावना से प्रेरित होकर करने की धारणा में परिवर्तन आया। वर्तमान समय में समाज कार्य एक व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया बन गया है। निम्नांकित आधार स्पष्ट करते हैं कि समाज कार्य का वर्तमान स्वरूप व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त है–

- वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध ज्ञान ।
- विशिष्ट प्रणालियाँ, विधियाँ व प्रविधियाँ।
- शैक्षिक एवं प्रशिक्षण पद्धतियाँ।
- व्यावसायिक संगठन एवं समितियाँ।
- सामुदायिक मान्यता एवं सामाजिक अनुमोदन।
- आचार–संहिता।

- ❖ **वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध ज्ञान** : आधुनिक समाज कार्य एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान है। समाज कार्य के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाएं और सहायता वैज्ञानिक होती हैं।
- ❖ **विशिष्ट प्रणालियाँ तथा विधियाँ व प्रविधियाँ** : समाज कार्य के उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि समाज कार्य मानव कल्याण व हित से सम्बद्ध है। समाज कार्य ही नहीं वरन् कई व्यवसाय मानवीय कल्याण व विकास में रूचि रखते हैं परन्तु समाज कार्य की अपनी विशिष्ट प्रणालियाँ, विधियाँ व प्रविधियाँ होती हैं। जिनका प्रयोग सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में करता है।

- **शिक्षण एवं प्रशिक्षण पद्धतियाँ** : समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायों के लिए कुछ विशिष्ट शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। इन क्षेत्रों के प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकताओं को ही व्यावसायिक कार्यकर्ता का स्तर प्रदान किया जाता है। यह शिक्षा समाज कार्य के विद्वान एवं अनुभवी अभ्यासकर्ताओं एवं अध्यापकों द्वारा दी जाती है। वर्तमान मे समाज कार्य की शिक्षा वैज्ञानिक स्वरूप में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रदान की जाती है।

- **व्यावसायिक संगठन एवं समितियाँ** : किसी भी व्यवसाय के सदस्यों को संगठित होने की आवश्यकता होती है। कोई भी जीविका व्यावसायिक स्तर पर तभी प्राप्त की जा सकती है जब उसका कोई व्यावसायिक संघ, समिति अथवा सोसाइटी गठित हो। संगठन द्वारा सेवा के स्तर या मानदण्ड निर्धारित किये जायें। साथ ही कार्यकर्ता एक निश्चित आचार– संहिता का पालन करें जिससे व्यवसाय को स्थिरता प्राप्त हो सके।

- **सामुदायिक मान्यता एवं सामाजिक अनुमोदन** : किसी भी व्यवसाय की यह विशेषता या गुण माना गया है कि उसे सामुदायिक मान्यता तथा समाज द्वारा अनुमोदन व स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए। साथ ही यह भी विचारणीय हैं कि मान्यता व अनुमोदन इस आधार पर दिया गया हो कि वह व्यवसाय समाज के लिए उपयोगी तथा हितकर हो। किसी जीविका को समाज के लिए उपयोगी व हितकारी होने के रूप में मान्यता व अनुमोदन प्रदान किया गया है तो उसे हम व्यवसाय का स्तर देते हैं। समाज कार्य को व्यावसायिक स्तर की मान्यता प्राप्त है। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि समाज कार्य में व्यवसाय की विशेषता निहित है इसलिए इसे एक व्यवसाय की संज्ञा दी जाती सकती है। समाज कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित तथा योग्य सामाजिक कार्यकताओं की नियुक्तियाँ हो रही है।

- **आचार–संहिता** : प्रत्येक व्यवसाय के कुछ विशिष्ट नियम, प्रतिबन्ध, आदर्श एवं व्यवहार करने की निश्चित सीमा व परिधि होती है। जिसे आचार–संहिता कहते हैं। जिसके आधार पर प्रत्येक व्यावसायिक कार्यकर्ता निश्चित आदर्शों से नियन्त्रित होकर व्यावसायिक व्यवहार करता है। आचार–संहिता के द्वारा कार्यकर्ताओं के व्यवहार एवं कार्यों में समानता स्थापित होती है। यह मनमाने व्यावसायिक क्रियाकलापों को करने को नियन्त्रित करता है।

सारांश (Summary)

- इस इकाई में समाज कार्य के इतिहास के विभिन्न अवस्थाओं जैसे अमेरिका में समाज कार्य का इतिहास, इग्लैंण्ड में समाज कार्य का इतिहास के क्रम में केवल भारत में समाज कार्य के इतिहास को शामिल करके उसे समझाया गया है। इसके पीछे प्रमुख कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि अन्य विदेशी सामाजिक संरचना से बहुत भिन्न है। अतः यहाँ व्यावसायिक समाज कार्य को स्थापित कर तदानुसार कार्य करना बहुत अलग है। इसमें तीन अवस्थाओं में प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल के सन्दर्भ में भारत के इतिहास को लिया गया है।
- इसी के अनुक्रम में इकाई में समाज कार्य विषय के व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप को भी लिया गया है। जिससे समाज कार्य की पहचान अन्य सामाजिक विषयों से अच्छा प्रतीत होती है।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **समाज कार्य का भारतीय इतिहास** : दीन–हीन, निर्धन एवं अन्य समस्याओं से पीड़ितों की सहायता करने की परंपरा आधुनिक व्यावसायिक समाज कार्य का आधार है।
- **समाज कार्य का व्यावसायिक रूप** : समाज में कार्य करने की ऐसी स्थिति जिसमें सिद्धांतों, विधियों, तकनीकियों और उपकरणों का उपयोग करते हुए सेवार्थी की समस्या का समाधान किया जाये।

स्व–मूल्यांकन (Self-Assesment)

- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न **(Long answer type questions)**
  1. भारत में समाज कार्य के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लिखें।
  2. मुगलकाल में समाजसेवा के स्वस्थ को लिखें।
  3. प्राचीनकाल में भारत में समाज सेवा के स्वस्थ को लिखें।
  4. सामाजिक न्याय की अवधारणा विस्तार में लिखें।
  5. सामाजिक क्रिया की अवधारणा विस्तार से लिखें।
- लघु उत्तरीय प्रश्न **(Short answer type questions)**
  1. शेरशाह का समाज सेवा में योगदान को लिखें।
  2. समाज कार्य के व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक परिचय लिखें।
  3. मध्यकाल में समाज सेवा के स्वस्थ को लिखें।

4. राजनैतिक सशक्तिकरण क्या है?
5. हर्षकाल में समाज सेवा के स्वरूप को लिखें।

- अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न **(Very short/ Objective type questions)**
   1. समाज कार्य क्या है?
   2. समाज कार्य की विशेषताएँ लिखें।
   3. व्यावसायिक समान कार्य क्या है?
   4. स्वैच्छिक समाज कार्य क्या है?
   5. आर्थिक सशक्तिकरण क्या है?

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. क्षेत्र की किसी एक स्वयंसेवी संस्था में जाकर उसकी प्रोफाइल तैयार करें।
2. भारत में समाज कार्य के विकास में प्राचीन काल एवं आधुनिक काल की तुलना अपने आसपास ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र के रहवासियों के विचारों के आधार पर करें।

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ :

- महात्मा गाँधी – ग्राम स्वराज, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14।
- गुप्ता, निमिषा पाण्डे, बंशीधर – **समाज कार्य एवं सामाजिक न्याय**, अल्टर नोट्स प्रेस, हजरत मोहनी लेन, जामिया नगर, नई दिल्ली–25।
- थोटे, डॉ. पुरुषोत्तम – **समाज कार्य : सिद्वांत, तत्व ज्ञान एवं मनोविज्ञान,** रजिस्टार, पुरुषोत्तम थोटे समाजकार्य महाविद्यालय, नरसाधन रोड, नागपुर।
- दुबे, डॉ. प्रीति – **भारत में समाज कार्य**, कैलाश पुस्तक सदन, हमीदिया मार्ग, भोपाल–001।
- शास्त्री, राजाराम – **समाज कार्य**, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

वेब संदर्भ :

- https://www.esvvf.com/%E0%A4%B8%E0%A4%AE-%E0%A4%9C-%E0%A4%95-%E0%A4%B0-%E0%A4%AF
- https://hindimein.net/2021/05/social-work-kya-hai-hindi/

इकाई–4 : समाज कार्य का दर्शन एवं मौलिक मूल्य
(Philosophy and Values of Social Work)

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि

- समाज कार्य के दार्शनिक पक्ष को समझ सकेंगे कि इसके दार्शनिक आधार क्या–क्या हैं।
- समाज कार्य के प्राथमिक मूल्यों एवं उनके महत्व को समझ सकेंगे।
- विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययन एवं कार्य अनुभव के आधार पर समय–समय पर जो मूल्यों का वर्णन किया है, उसे समझ सकेंगे।

वैज्ञानिक समाज कार्य के दार्शनिक आधार
(Philosophical Foundation of Social Work)

वैज्ञानिक अथवा व्यावसायिक समाज कार्य, समाज सेवा के उन मूलभूत सिद्धान्तों या मूल्यों पर आधारित है जिसमे समाज के असहाय, कमजोर व पीड़ित व्यक्ति की सहायता करना अन्य व्यक्तियों का उत्तरदायित्व माना जाता है। इसके लिए प्रमुख प्रेरक दार्शनिक आधारों की विवेचना निम्नांकित रूप मे की जा सकती है–

- ❖ **मानवतावाद** : आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार सभी मनुष्य उसी शक्ति (ईश्वर) की संतान हैं। सभी में एक आत्मा है। इस आधार को लेकर ईश्वरवादी मानवतावाद का जन्म हुआ। सभी मनुष्य समान है। सभी को सुख की कामना है यह विचार प्रारम्भ में समाज कल्याण और फिर समाज कार्य की पृष्ठभूमि बन गया। धीरे–धीरे सामाजिक चिंतन धर्म निरपेक्ष होने लगा। मानव के अधिकार पर जोर दिया जाने लगा। यूरोप के पुनर्जागरण के दार्शनिकों ने दो मानवतावादी सिद्वांत प्रतिपादित किये पहला ब्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण हुआ है और दूसरा मानवता का मूल मानव है। अतः मानवों की समानता और कल्याण की सम्भावनाएं विस्तृत हुई। यह सिद्धान्त समाजकल्याण और समाज कार्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि का आधार बन गया।
- ❖ **मानव की स्वतन्त्रता** : समाज कल्याण के मार्ग में एक अन्य अवरोध यह था कि व्यक्ति के दुःख, विपत्ति और हीनता को उसके पूर्वजन्म का फल मान लिया गया। यदि व्यक्ति

अपने भाग्य से बंधा हुआ है तो समाज उसका कल्याण कैसे कर सकता है? यदि व्यक्ति ईश्वरीय विधान से पूर्वजन्म का फल भोग रहा है, तो समाज उसको सुख देने में असमर्थ है। सामाजिक ज्ञान और चेतना के विकास के साथ–साथ ये धारणायें भी गलत मानी गयीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता हैं, मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है। इस सिद्धान्त मे समाज कार्य के द्वारा समस्याग्रस्त लोगो के कल्याण के लिये आधार बना।

- ❖ **विवेकपूर्ण व्यवहार** : एक पक्ष यह मानता है कि महापुरूषों या धर्म–ग्रन्थों के कथनो पर श्रद्धा रखते हुये उनका पालन करना चाहिये। इसके विपरीत दूसरा पक्ष किसी भी कार्य के पूर्व तर्क की कसौटी पर उसकी उपयुक्तता के विचार पर बल देता है। समाज कार्य में विवेकपूर्ण व्यवहार के सिद्धान्त को अपनाया गया है।
- ❖ **वैज्ञानिक दृष्टिकोण** : विकास के क्रम में विज्ञान ने सामाजिक संगठन और लोगों के विश्वासों का सुदृढ़ आधार प्रस्तुत किया है। आधुनिक विज्ञान मानवता, समानता, भ्रातृत्व और उदारतावाद की एक पूरी दार्शनिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करता रहा है। आधुनिक विज्ञान दार्शनिक भौतिकवाद और वैज्ञानिक और विवेकवादी मानवतावाद को पुष्ट करता है और ये विचार ही समाज कल्याण और समाज कार्य की नींव में हैं।

समाज कल्याण और समाज कार्य के दार्शनिक आधार को संक्षेप में पांच धाराओं में रखा जा सकता है।

1. दार्शनिक भौतिकवाद पर आधारित मानवतावाद।
2. व्यक्ति और उसके विवेक पर विश्वास।
3. व्यक्ति को विशिष्ट मानकर उसकी विशिष्टता, स्वतन्त्रता और व्यक्त्तिव के सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था।
4. व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं– सामाजिक, मानसिक, आर्थिक की समान एकीकृत स्वरुप को स्वीकार करना।
5. व्यक्ति के कल्याण और समायोजन का सामाजिक उत्तरदायित्व।

समाज कार्य के मौलिक मूल्य (Fundamental Values of Social Work)

समाज कार्य के मौलिक मूल्यों की चर्चा करने पूर्व यह जानना जरूरी है कि समाज कार्य के सम्बन्ध में मौलिक मूल्यों से क्या आशय है।

रास ने मूल्य की परिभाषा इस प्रकार की है, मूल्य किसी व्यक्ति, समूह या समाज का किसी वस्तु, अवधारणा, सिद्धान्त क्रिया अथवा परिस्थिति के विषय में बौद्धिक संवेगात्मक निर्णय है। मूल्यों से मानवीय व्यवहार का सम्बन्ध बताते हुए कौस का कहना है कि व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न मूल्यों के प्रभाव से घटित हो सकता है। इसका आधार इस बात पर है कि व्यक्ति किस विशेष क्षेत्र से संबद्ध है? वह क्षेत्र घर, व्यापार, राजनीति, सामुदायिक सेवाएं, ताश का खेल या कोई अन्य क्षेत्र हो सकता है। उदाहरणस्वरुप ताश के खेल में दयालुता का कोई स्थान नही है जबकि व्यापार में इसका कुछ स्थान हो सकता है परन्तु घर में इसका अत्यधिक महत्व होता है।

सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री **डौरोथी ली** ने मूल्यों की परिभाषा करते हुये कहा है, कि मानवीय मूल्यों के किसी एक मूल्य या मूल्यों की एक पद्वति से मेरा अभिप्राय है, वह आधार जिसपर एक व्यक्ति किसी एक मार्ग को किसी दूसरे मार्ग की अपेक्षा अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित समझते हुये ग्रहण करता है। हम मानवीय मूल्यों के विषय में केवल व्यवहार द्वारा ही जान सकते हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनुष्य के मूल्य उसके व्यवहार के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते है। मूल्य सामाजिक नियन्त्रण का एक साधन है, जो व्यक्ति, समूह और समुदाय के व्यवहार पर नियन्त्रण रखते हैं।

प्रत्येक व्यवसाय के कुछ उद्‌देश्य होते हैं और प्रत्येक व्यवसाय में व्यवसायिक सदस्यों को अपने सेवार्थियों से व्यवहार करना होता है। अतः प्रत्येक व्यवसाय के कुछ मूल्य होते है। जो उसके सदस्यों के व्यवहार पर नियन्त्रण रखते हैं और व्यवसायिक उद्‌देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते है। समाज कार्य भी एक व्यवसाय है और इसके भी कुछ विशेश मूल्य है। यह कहना अनुचित नहीं है कि समाज कार्य के मूल्यों के विषय में समाज कार्यकर्ताओं में अभी तक एकमत नहीं स्थापित हो सका है। परन्तु अधिकतर मूल्य ऐसे है जिनसे सभी सहमत

है। सुप्रसिद्ध सामाजिक विचारक रॉस ने 10 मूल्यों को समाज कार्य के प्राथमिक मूल्य बताया है। वे इस प्रकार हैं–

1. मनुष्य का मूल्यवान होंना और उसकी प्रतिष्ठा
2. मानवीय प्रकृति की सम्पूर्ण विकास प्राप्त करने की योग्यता
3. विभिन्नताओं की स्वीकृति
4. मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की सन्तुष्टी
5. स्वतन्त्रता
6. आत्मनिर्देशन
7. अनिर्णायात्मक प्रवृत्ति
8. रचनात्मक सामाजिक सहयोग
9. कार्य का महत्व एवं अवकाश का रचनात्मक प्रयोग
10. अपने अस्तित्व को मनुष्य या प्रकृति से पहुँचने वाली हानि से सुरक्षा।

रास का विचार है कि सभी समाज कार्यकर्ता उपरोक्त मूल्यों से सहमत हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, आर्थिक स्तर, सांस्कृति पृष्ठभूमि से सम्बद्ध हो या विभिन्न अनुभव रखते हों और विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धान्तों में विश्वास रखते हों। रास के मतानुसार समाज कार्यकर्ता द्वैतियक मूल्यों के विषय में एक दूसरे से असहमत हो सकते है और यह द्वैतियक मूल्य उनके सामाजिक वर्ग, राष्ट्रीय पृष्ठभूमि, राजनैतिक विश्वास, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामूहिक आकांक्षाओं एवं मान्यताओं, वैयक्तिक अनुभव, एवं विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित हो सकते है। अर्थात प्राथमिक मूल्यों के विषय में सभी समाज कार्यकर्ता सहमत है और यदि कोई मतभेद हों सकता है तो वह द्वैतियक मूल्यों के विषय में ही हो सकता है।

रास का विचार है कि समाज कार्य का आधार जिन अवधारणाओं एवं विश्वासों पर है। वह स्वयं विज्ञान पर आधारित है, परन्तु कुछ ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर विज्ञान द्वारा नहीं मिलता और उनके लिए हमें मूल्यों का सहारा लेना पडता है। इस प्रकार समाज कार्य का आधार विज्ञान और मूल्य दोनो ही पर है। समाज कार्य में सर्वोच्च स्थान मूल्य सम्बन्धी उद्देश्यों का

है समाज कार्य मनुष्य और संसार की वैज्ञानिक व्याख्या अपने मूल्य सम्बन्धी उद्‌देश्यों के प्रकाश में करता है।

इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि समाज कार्य की प्राथमिक मूल्यों में विश्वास रखना प्रत्येक समाज कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य है। बिना इसके व्यवसायिक अहं का विकास और व्यवसायिक उद्‌देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। कोनोपका ने भी प्राथमिक एवं द्वैतियक मूल्यों में अन्तर बताया है। उनके मतानुसार प्राथमिक मूल्य दो है :

1. प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान और अपनी योग्यताओं के सम्पूर्ण विकास का अधिकार।
2. व्यक्तियों की परस्पर निर्भरता और अपनी योग्यतानुसार उनका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व। कोनोपका का विचार है कि समाज कार्यकर्ताओं को समाज कार्य के मौलिक मूल्यों के बिना विरोध स्वीकृत कर लेना चाहिये जबकि वे द्वैतियक मूल्यों के विषय में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं और अपने इस मतभेद को वैज्ञानिक अन्वेषण द्वारा दूर कर सकते है।

कोनोपका ने लिण्डमैन के विचारों की व्याख्या करते हुये लिखा है कि समाज कार्य तथ्यों में मूल्यों के प्रवेश की अवधारणा में विश्वास रखता है।। निःसन्देह एक समाज कार्यकर्ता तथ्यों को जानने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें समझने का प्रयास करता है, परन्तु वह केवल निष्क्रीय प्रेक्षक नहीं है बल्कि एक प्रभावशाली अस्तित्व है जो समाज कार्य के प्राथमिक मूल्यों की रक्षा करता है और उन्हें व्यवहारिक रुप देने का प्रयास करता है।

हरबर्ट बिस्नों ने समाज कार्य के मूल्यों को सविस्तार प्रस्तुत किया है। उनके विचारों के प्रकाश में अब हम समाज कार्य के मौलिक मूल्यों की व्याख्या करेगें। यह मौलिक मूल्य इस प्रकार हैं–

1. **प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण मूल्यवान है :**

   यह समाज कार्य का सबसे अधिक मूल्य है। इस मूल्य का अर्थ व्यक्ति के आन्तरिक मूल्य में विश्वास है और इस मूल्य पर अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्त आधारित हैं। उदाहरण स्वरुप सुअवसरों की समानता, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार, भाषण की स्वतन्त्रता आदि। इस मूल्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के आन्तरिक मूल्य को जात पांत का भेद या धन दौलत का अन्तर बढा या घटा नहीं सकता। प्रत्येक मनुष्य चाहे वह किसी भी जाति या बिरादरी का हो, किसी भी धर्म या राष्ट्रीयता का हो, किसी भी आर्थिक

स्तर का हो केवल मनुष्य होने के नाते अपना एक महत्व रखता है किसी को यह अधिकार नहीं कि जाति, धर्म, सामाजिक वर्ग या आर्थिक स्तर के आधार पर किसी मनुष्य को तिरस्कार पूर्ण दृष्टि से देखें। इस मूल्य के सामने पृथकता और जातिवाद की दीवारें गिर जाती है और मनुष्यों में एकता, समानता और सहनशीलता की भावनायें उत्पन्न होती हैं। प्रजातन्त्र का भी मुख्य आधार इसी मूल्य पर है।

2. **मानवीय क्लेष आवांछनीय है और उसका निरोध करना चाहिये या जहां तक संभव हो उसे कम करना चाहिये :**

इसी मूल्य के आधार पर समाज कार्य विभिन्न प्रकार से समाज की सेवा का प्रबन्ध करता है और इसी के आधार पर मानव समाज व्यक्तियों के कल्याण का उत्तरदायित्व स्वीकृत करता है। यही मूल्य नेत्रहीनों, विकलागों, विधवाओं, निराश्रितों और निर्धनों की सहायता का आधार है। सोशलडार्विनिज्म का सिद्धान्त इस मूल्य के सामने नहीं ठहर सकता क्योंकि जब हम यह स्वीकृत कर लेते हैं कि मानवीय क्लेष अचांछनीय है तो केवल सर्वबलवान व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. **समस्त मानवीय व्यवहार मनुष्य के प्राणी शास्त्रीय अस्तित्व और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर सम्बन्धी क्रिया का परिणाम है :**

समाज कार्यकर्ता यह विश्वास रखता है कि मानव एक प्राणी–सामाजिक अस्तित्व है जिसका व्यवहार मौलिक प्रकृति, विशेष अनुभव तथा संस्कृति के बीच परस्पर सम्बन्धी क्रिया का परिणाम है। वह मष्तिष्क और शरीर के बीच परस्पर सम्बन्धी क्रिया में विश्वास रखता है। यह अवधारणा मनोशारीरिक अवधारणा कहलाती है। इसके अनुसार मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा अध्ययन किया जा सकता है और उसे समझा जा सकता हें। वास्तव में जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे। एक समाज कार्यकर्ता की प्रमुख विशेषता जो उसे अन्य व्यक्तियों से विभिन्न बनाती है। यही है कि समाज कार्यकर्ता व्यवहार को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसे प्रभावित एवं परिवर्तित करने की योग्यता रखता है।

समाज कार्यकर्ता जहां कहीं समझता है सामाजिक मूल्यों का प्रयोग व्यवहार में परिवर्तन अर्थात समायोजन एवं सन्तुलन लाने के लिए करता है। वह सामजिक मूल्यों का प्रयोग

एक ऐसे आदर्श के रुप में नहीं करता जिससे सेवार्थी के व्यवहार के विषय में नैतिक रुप से निर्णय किया जाये या उसकी निन्दा की जाये।

सामाजिक कार्यकर्ता इसका प्रयोग उपचार और शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है।

मूल्यों के विकास में सेवार्थी की इस प्रकार सहायता करना कि वह अपने –

- मूल्यों के विकास में सेवार्थी की सहायता करना।
- सेवार्थी की सहायता करना कि वह अपने मूल्यों को पूर्ण रुप से समझ सके।
- सेवार्थी की सहायता करना कि वह अपने मूल्यों के संधर्ष को समाप्त कर सके।
- सेवार्थी की सहायता करना कि वह अपने और समाज के अन्य व्यक्तियों या समूह के मूल्यों के संघर्ष और अन्तर को समझ सके।
- सेवार्थी की सहायता करना कि वह अपने और दूसरों के मूल्यों के संघर्ष के विनाशकारी परिणामों को दूर कर सके।
- सेवार्थी की सहायता करना कि वह अधिक रचनात्मक सामाजिक तथा वैयक्तिक मूल्यों का पता लगाये और उन्हें ग्रहण करे।
- सेवार्थी की सहायता करना कि वह अपने मूल्यों के अनुसार व्यवहार कर सके और अपने मूल्यों के प्रयोग में लचीलापन उत्पन्न कर सके और कठोरता से सुरक्षित रहे।
- सेवार्थी की सहायता करना कि वह विभिन्न प्रकार के मूल्यों में से उचित मूल्यों का चुनाव कर सके।

यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सामाजिक कार्यकर्ता को यह अधिकार नहीं है कि वह वैयक्तिक मूल्यों को बलपूर्वक सेवार्थी के सर मढ़ दे। फिर भी यह अनिवार्य है कि कार्यकर्ता के वैयक्तिक और व्यवसायिक मूल्यों का तथा समुदाय के मूल्यों का कार्यकर्ता– सेवार्थी के सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण स्थान हो।

समाज कार्य मनुष्य की समायोजन या सांमजस्य–सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवहार को समझा और प्रभावित किया जाये। व्यवहार को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त

किया जाय और उन्हें, यदि ऐसी आवश्यकता हो तो, परिवर्तित करने में सेवार्थी की सहायता की जाय।

समाज कार्य का स्वरूप : समाज कार्य की कोई भी प्रणाली, हो, अर्थात् वैयक्तिक सेवा कार्य या सामूहिक सेवा कार्य, या सामुदायिक संगठन, प्रत्येक प्रणाली में मानवीय व्यवहार को समझने और उसे परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त मूल्य व्यवहार को समझने और प्रभावित करने में सहायक होता है, क्योंकि बिना मनुष्य की मौलिक प्रकृति, विशेष अनुभव, और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किये हुये व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है।

4. **मनुष्य सदैव विवेकपूर्वक कार्य नहीं करता :**

मानव एक मात्र ऐसा प्राणी है जो किसी भी कार्य को करते समय विवेक का उपयोग करता है। किन्तु कभी–कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को विवेक का उपयोग न कर पाये। मनुष्य के व्यवहार को विवेकरहित बनाने में उसके पर्यावरण एवं परिस्थितियों का बड़ा महत्व है।

5. **मनुष्य में जन्म के समय न तो नैतिकता होती है और न सामाजिक प्रवृत्ति :**

यह सब गुण समाज में रहकर उसके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के व्यवहार को समझने और प्रभावित करने में इस मूल्य का भी बड़ा महत्व है। समाज कार्यकर्ता को जिस उदारता और सहनशीलता का दृष्टिकोण रखना चाहिये वह बिना इस मूल्य को स्वीकृत किये नहीं उत्पन्न हो सकती।

6. **आवश्यकताएँ वैयक्तिक तथा सामाजिक दोनो प्रकार की होती है :**

समाज कार्यकर्ता का विश्वास है कि व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को सन्तोषजनक और समाज के लिए लाभदायक रुप से प्रकट करने का सुअवसर प्राप्त हो। समाज कार्य के अभ्यास में कार्यकर्ता को हर समय यह देखना पडता है कि सेवार्थी की आवश्यकताओं को किस प्रकार अधिक से अधिक पूरा किया जाये। साथ ही साथ उसे यह भी देखना पड़ता है कि सेवार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार हो जिससे समाज के सामान्य हितों को कोई हानि नहीं पहुंचे।

7. **मनुष्यों में महत्वपूर्ण अन्तर भी है और समानतायें भी इन अन्तरों और समानताओं को समाज की सहमति प्राप्त होनी चाहिये :**

समाज कार्यकर्ता को विभिन्न प्रकार के सेवार्थियों से सम्पर्क स्थापित करना होता है। उसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करनी पडती है। ऐसा करने में उसे पक्षपात से अपने को सुरक्षित रखना पड़ता है और सेवा प्रदान करते समय प्रत्येक धर्म, जाति और वर्ग के सेवार्थियों के साथ समानता का व्यवहार करना पडता है।

8. **मानवीय प्रेरणायें जटिल और प्रायः अस्पष्ट होती हैं :**

समाज कार्यकर्ता को अधिकतर व्यवहार की समस्याओं का सामना पड़ता है। बहुधा सेवार्थी का व्यवहार किसी ऐसे प्रेरक से उत्पन्न होता है जो अस्पष्ट होता है तथा सेवार्थी स्वयं अपनी प्रेरणाओं का ज्ञान नहीं रखता। समाज कार्यकर्ता के लिए प्रेरणाओं की जटिलता का ज्ञान आवश्यक है। समाज कार्यकर्ता सेवार्थियों की प्रेरणाओं का पता लगाने और उन्हें इनका ज्ञान कराने का प्रयास करता है। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है।

9. **पारिवारिक सम्बन्धों का व्यक्तित्व के प्रारम्भिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है :**

परिवार एक ऐसी इकाई है जिसमें व्यक्तियों के बीच परस्पर सम्बन्धी क्रिया पाई जाती है। व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण में परिवार प्रथम संस्था हैं। बहुधा सेवार्थी की वैयक्तिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उसके पारिवारिक पर्यावरण के विषय में जानना आवश्यक होता है। परिवार में ही व्यक्ति की मनोवृत्तियों और प्रतिक्रिया–स्वरुपों का निर्माण होता है। शान्तिमय पारिवारिक जीवन व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए अत्यावश्यक है।

10. **समाज कार्य का विश्वास है कि अयोग्य व्यक्तियों की भी वही आवश्यकताएं हैं जो योग्य व्यक्तियों की है :**

समाज कार्य योग्यता और अयोग्यता के आधार पर मनुष्यों का वर्गीकरण और उनका गुण दोष निर्धारण नहीं करता। समाज कार्य का विश्वास है कि असफल व्यक्ति मौलिक रुप से अपने सफल साथियों के समान है और उसे अपने पर्यावरण को वास्तविकता के प्रकाश में देखना और उसे अपने अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिये।

11. **समाज कार्य योग्यता और अयोग्यता का आधार धन और शक्ति की अधिकता या कमी को नहीं बनाता :**

समाज कार्य पूँजीवादी दृष्टिकोण का विरोधी है। वह मनुष्य की स्थिति उसके आर्थिक स्तर के आधार पर निर्धारित नहीं करता। वह व्यक्तित्व के मूल्यांकन में व्यक्ति के पर्यावरण का महत्व स्वीकार करता है और असफलता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व व्यक्ति पर ही नहीं रखता।

12. **समाजीकरण प्राप्त व्यक्तिवाद रूक्ष व्यक्तिवाद से उच्चतर है :**

समाज कार्य व्यक्ति को एक ऐसे पृथक और आत्मनिर्भर अस्तित्व के रूप में नहीं देखता जो समाज से पृथक हो, बल्कि वह यह समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह योग्यतानुसार अपना सम्पूर्ण विकास कर सके—ऐसा विकास जो वैयक्तिक और सामाजिक रूप से पूर्ति के लिए एक नियोजित सामाजिक संगठन की आवश्यकता है। जिसका उद्देश्य यही हो और जो इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो।

13. **समुदाय के सदस्यों के कल्याण का उत्तरदायित्व समुदाय पर है :**

यह सिद्धान्त दो मान्यताओं पर आधारित है :

- समुदाय का कोई भी अंग यदि पीड़ित होगा तो उसका प्रभाव सम्पूर्ण समुदाय पर पड़ेगा।
- संभव है कि सामाजिक जीवन के अनेक असामंजस्यों के निवारण के लिए जिन साधनों की आावश्यकता होती है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की शक्ति से बाहर हों।

  अतः सम्पूर्ण समाज की संगठित सुविधाओं का असामंजस्यों के निवारण और प्रतिबन्ध के लए प्रयोग किया जाना चाहिये।

14. **समाज के समस्त वर्ग सामाजिक सेवाओं से लाभ उठाने का समान अधिकार रखते हैं :**

समुदाय का उत्तरदायित्व है कि वह बिना पक्षपात के व्यक्तियों की सहायता करे चाहे वे व्यक्ति किसी भी वर्ग, जाति, या राष्ट्रीयता के हों।

15. **सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा के कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व राज्य पर है।**

16. **सार्वजनिक सहायता के कार्यक्रमों को अवश्यकता की अवधारणा पर आधारित होना चाहिएः**

नैतिक, राजनैतिक और आर्थिक अयोग्यताओं का प्रभाव सहायता की मात्रा पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है या कार्य करने की इच्छा नही रखता है तो भी उसे सहायता मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इस बात का भी अन्वेषण होना चाहिए कि वे कौन से कारक है जो उस व्यक्ति को कार्य करने से रोकते है।

17. **श्रमिकों का संगठन सामुदायिक जीवन के लिए लाभदायक है :**

श्रमिक वर्ग और समाज कार्य सहमत है कि सामाजिक वर्ग ओर जाति के आधार पर व्यक्तियों को विशेषण अधिकार नही मिलने चाहिए। समाज कार्य और श्रमिक संगठन दोनो ही सामाजिक शोषण के विरोधी है।

18. **समस्त प्रजातियों और प्रजातीय समूहों में सम्पूर्ण समानता और परस्पर प्रतिष्ठा के आधार पर सम्पूर्ण सामाजिक सहयोग होना चाहिए** : यह मूल्य दो मान्यताओं पर आधारित है :

- समस्त प्रजातियों की संभावित योग्यताएं समान हैं और
- सांस्कृतिक भिन्नता बडी मूल्यवान वस्तु है। सांस्कृतिक बहुलता वाद जिसका अर्थ यह है कि सांस्कृति भेंदों का आदर किया जाये, समाज कार्य के दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है।

19. **स्वतन्त्रता और सुरक्षा को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता :**

यदि किसी व्यक्ति को बिना सुरक्षा के स्वतन्त्रता दी जाये तो वह ऐसा है कि उसे भूखा रहने, बेघर रहने, आश्रित रहने या रोगग्रस्त रहने की भी स्वतन्त्रता हो। इसी प्रकार बिना स्वतन्त्रता के सुरक्षा ऐसी ही है जैसे बन्दीगृह की सुरक्षा जहां व्यक्ति सुरक्षित है परन्तु स्वतन्त्र नहीं। समाज कार्य का विश्वास है कि स्वतन्त्रता और सुरक्षा को साथ–साथ चलना चाहिए। एक स्वतन्त्रता का दूसरी स्वतन्त्रता से और एक क्षेत्र की स्वतन्त्रता का दूसरे क्षेत्र की स्वतन्त्रताओं से सन्तुलन होना चाहिए।

20. **मनुष्य को सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण से देखने की अवधारणा :**

समाज कार्य मनुष्य का सर्वांगीण कल्याण और विकास चाहता है। वह प्रत्येक प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता है। समाज कार्य व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं करता बल्कि व्यक्तित्व को पूर्णरूप से विकसित करने का प्रयास करता है।

21. **समाज कार्य सामाजिक समस्याओं के कारणों की बहुलता के सिद्धान्त में विश्वास रखता है :**

इस सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक समस्याओं का कोई एक कारण नहीं है। अतः समाज कार्य किसी एक सामाजिक विज्ञान पर बल नहीं देता। यह अनेक सामाजिक विज्ञानों का प्रयोग करता है। यही सिद्धान्त समाज कार्य की उदारता का मुख्य कारण है।

22. **समाज कार्य सामंजस्य को एक द्विमुखी प्रक्रिया समझता है जिसमें दोनो पक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है :**

सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य में इस बात का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति अपने पर्यावरण से सामंजस्य प्राप्त करने के लिए अपने में वांक्षित परिवर्तन करे। परन्तु दूसरी ओर इस बात की भी चेष्टा की जाती है कि व्यक्ति के पर्यावरण में जो अवांक्षित कारक हों उन्हें परिवर्तित किया जाये। पर्यावरण का परिवर्तन वैयक्तिक सेवा कार्य की एक प्रमुख चिकित्सा विधि है। इसी प्रकार सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य में सामंजस्य की समस्या सुलझाते समय व्यक्ति और पर्यावरण दोनों में ही परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। सामुदायिक संगठन में विशेषतया पर्यावरण के परिवर्तन पर बल दिया जाता है और इन सब के अतिरिक्त सामाजिक क्रिया में जो समाज कार्य की एक प्रणाली है विशेष प्रकार से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है।

सामान्य रुप से यह समझा जाता है कि समाज कार्य व्यक्ति को सामाजिक शोषण और सामाजिक अन्याय को सहन करने की शिक्षा देता है और व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार करता है कि वह जैसी भी सामाजिक परिस्थिति में हो उसे स्वीकृति करे और उससे सामंजस्य प्राप्त करने की चेष्टा करे। परन्तु यह बात गलत है क्योंकि मौलिक रुप से समाज कार्य की

प्रकृति शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्व है और समाज कार्य पूजींवाद का पक्ष नहीं करता।

समाज कार्य के कार्य क्षेत्र में समाज कार्य एक निष्क्रीय प्रेक्षक नहीं है बल्कि एक सक्रिय और प्रभावशाली अस्तित्व है जो न केवल व्यक्तियों को सामंजस्य प्राप्त करने में सहायता देता है बल्कि उन बाधाओं को हटाने की भी चेष्टा करता है जो व्यक्तियों की आत्मोन्नति में बाधक है। समाज कार्य एक समाजोन्मुख व्यवसाय है और आरम्भ से ही इसकी रूचि सामाजिक उम्थान की ओर रही है। एक सामाजोन्मुख व्यवसाय के लिए यह असंभव है कि वह पर्यावरण के परिवर्तन को अपनी कार्य सीमा से बाहर समझे।

फ्राइड लैण्डर का विचार है कि समाज कार्य के मौलिक मूल्यों का जन्म स्वतः नहीं हुआ है बल्कि उनकी जड़ें उन गहरे, विश्वासों में मिलती हैं, जो सभ्यताओं को सींचते हैं। अमेरिका की प्रजातान्त्रिक सभ्यता का आधार नैतिक एवं अध्यात्मिक समानता, वैयक्तिक विकास की स्वतन्त्रता, सुअवसरों के स्वतन्त्र चुनाव, न्याय पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा, वैयक्तिक स्वतन्त्रता की एक निश्चित मात्रा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, पारस्परिक प्रतिष्ठा और सभी के अधिकारों की स्वीकृति पर है। उनका कहना है कि प्रजातन्त्र के यह आदर्श अभी तक पूर्णरुप से प्राप्त नहीं किये जा सके और समाज कार्य इन्ही आदर्शो की प्राप्ति का प्रयास कर रहा है।

वास्तव में समाज कार्य और प्रजातन्त्र में बहुत समानता है। प्रजातन्त्र के मौलिक आदर्श स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व हैं। यही समाज कार्य के भी मौलिक आदर्श है। सेवार्थी को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाती है कि वह अपने जीवन का मार्ग प्रदर्शन अपनी रुचि के अनुसार करे। उसे इस बात की भी स्वतन्त्रता होती है कि वह सहायता या सेवा स्वीकृति करे या न करे। सेवार्थी से समानता का व्यवहार किया जाता है चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। उनकी मानवता का आदर करना समाज कार्यकर्ता का परम कर्तव्य है।

समाज कार्य विश्वबन्धुत्व में विश्वास रखता है और विभिन्न सांस्कृतियों और सांस्कृतिक समूहों की ओर सहन शीलता और उदारता का दृष्टिकोण रखता है। समाज कार्य का उद्देश्य एक ऐसा वि वबन्धुत्व स्थापित करना है जिसमें सामाजिक शोषण न हो और जिसमें व्यक्ति का मूल्य उसके आर्थिक स्तर से न लगाया जाये बल्कि उन गुणों से लगाया जाये जिनपर मानवता का आधार है।

सारांश (Summary)

- इकाई चतुर्थ में समाज कार्य विषय के व्यावसायिक स्वरूप से अलग उसके दर्शन एवं मौलिक मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
- समाज कार्य दर्शन को समझते हुए इसके विभिन्न आधारों जैसे मानवतावाद, मानव स्वतंत्रता, विवेकपूर्ण व्यवहार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, के साथ–साथ विभिन्न धाराओं का भी समावेश किया गया है।
- समाज कार्य के मूल्यों को एक बौद्धिक संवेगात्मक निर्णयों के सन्दर्भ में इकाई में समझाया गया है। समाज कार्य के विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो उन्होंने अपने कार्य के दौरान देखा, समझा और अनुभूत किया उन्हीं मूल्यों को इस इकाई में प्रस्तुत किया गया है।
- इकाई में यह भी बताया गया है कि मूल्यों के विकास में, के अनुसार सेवार्थी की सहायता किस प्रकार की जाये।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **समाज कार्य दर्शन** : समाज कार्य विषय में सत्य एवं ज्ञान की निरंतर खोज और इस संबंध में प्राप्त तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना ही समाज कार्य दर्शन है।
- **समाज कार्य मूल्य** : सामाजिक मूल्य की प्राथमिक बातें, ''जिसमें हर एक मानव के प्रति सम्मान की भावना और उसे अपनी क्षमताओं के विकास का पूर्ण अधिकार तथा व्यक्ति को परस्पर निर्भरता व प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व।''

स्व–मूल्यांकन (Self-Assesment)

- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न **(Long answer type questions)**
  1. व्यावसायिक समाज कार्य के दर्शन को लिखें।
  2. समाज कार्य के मौलिक मूल्यों को लिखें।
  3. समाज कार्य में सामंजस्य/समायोजन द्विमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट करें।
  4. शोषणरहित समाज की परिकल्पना के बारे में लिखें।
  5. सामाजिक अन्याय से रहित समाज के बारे में लिखें।

- लघु उत्तरीय प्रश्न **(Short answer type questions)**
  1. व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को लिखें।
  2. व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं को लिखें।
  3. व्यक्ति के सामाजिक उत्तरदायित्वों को लिखें।
  4. समायोजन सम्बन्धी समस्याओं को लिखें।
  5. अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति को स्पष्ट करें।
- अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न **(Very short/ Objective type questions)**
  1. मानवतावाद को स्पष्ट करें।
  2. समाज कार्य में विवेकपूर्ण व्यवहार क्या है?
  3. समाज कार्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या अभिप्राय है?
  4. व्यक्ति सामाजिक आवश्यकताओं को लिखें।
  5. मूल्यों के संघर्ष को स्पष्ट करें।

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. सामाजिक कार्य के मौलिक मूल्यों को लेकर अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर उनका अभिमत प्राप्त करना।

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ :

- गाँधीजी – मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14।
- गाँधीजी – सत्य के प्रयोग, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14।
- कि. घ. मशरूवाला – गाँधी विचार दोहन, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14।
- पाण्डेय हरिलाल – गाँधी, नेहरू एवं टैगोर, प्रयोग पुस्तक भवन, युनिवर्सिटी रोड, प्रयाग (उ. प्र.)।

वेब संदर्भ :

- https://www.samajkaryshiksha.com/2018/05/fields-of-social-work.html?m=1

इकाई–5 : समाज कार्य के सिद्धान्त एवं तकनीकियाँ (Theories and Techniques of Social Work)

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि

- समाज कार्य को समझने के विभिन्न सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करेंगे।
- समाज कार्य के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़कर उनका व्यावहारिक प्रयोग कैसे करेंगे? इसे समझ सकेंगे।
- समाज कार्य की विभिन्न तकनीकियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- समाज कार्य अभ्यास में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यों में इन तकनीकियों का उपयोग कैसे करेंगे? समझने में आसानी होगी।

समाज कार्य के सिद्धान्त (Theories of Social Work)

समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत समाज कार्य में प्रशिक्षित कार्यकर्ता सेवार्थी (व्यक्ति, समूह और समुदाय) की सहायता के लिए कार्य करता है। वह इस दौरान अपने सेवार्थी को बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास करता है। समाज कार्य व्यवसाय के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं जिनका पालन करना सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक माना जाता है–

1. **संचार का सिद्धांत** – आपस में विचारों का आदान–प्रदान ही संचार है। जब कार्यकर्ता और सेवार्थी पहली बार मिलते हैं तो ही दोनों के बीच बात–चीत और विचार विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उनमें संचार प्रारंभ हो जाता है। यह संचार किसी भी तरह का हो सकता है जैसे लिखित, अलिखित, मौखिक या सांकेतिक। इसके लिए कार्यकर्ता को चाहिए कि सेवार्थी की ही बोली या भाषा का प्रयोग करे जिससे संप्रेषण आसानी से सेवार्थी तक पहुँच सके। कार्यकर्ता को प्रभावी संचार के माध्यम से सेवार्थी के मानसिक कष्टों का समाधान करना चाहिए।
2. **वैयक्तिकरण का सिद्धांत** – इसका तात्पर्य है सेवार्थी के विशिष्ट इवान गुणों को ज्ञात करना और सिद्धांतों एवं प्रणालियों के प्रयोग द्वारा प्रत्येक सेवार्थी की अलग–अलग तरीके से सहायता करना जिससे वह अच्छी तरह समायोजित हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी रूचि के अनुसार विकास करे। कार्यकर्ता को यह स्वीकार

करना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी भी योग्यताएं होती हैं जो दूसरों में नहीं पायी जातीं।

3. **स्वीकृति का सिद्धांत** – इसका अर्थ यह है कि सेवार्थी जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति में स्वीकार किया जाए और उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार उसके साथ उससे व्यवहार किया जाए और उसके संबंध में कोई राय बनाई जाए। कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों को एक–दूसरे को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। कार्यकर्ता को सेवार्थी की नैतिक या अनैतिक किसी भी स्थिति का ध्यान रखे बिना उसे उसकी समस्या के समाधान में सहायता करनी चाहिए। सेवार्थी को जब कार्यकर्ता तथा उसकी योग्यता पर पूर्ण विश्वास होगा तभी वह कार्यकर्ता को सहयोग करेगा। कार्यकर्ता को सेवार्थी की विशिष्टता तथा क्षमता का सम्मान करना चाहिए और उसके लिए एक विशिष्ट समाधान प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

4. **गोपनीयता का सिद्धांत** – सेवार्थी की समस्याएँ व्यक्तिगत होती हैं जिन्हें वह चाहता है कि गोपनीय रखा जाए इसलिए कार्यकर्ता को चाहिए कि सेवार्थी जो भी बात कार्यकर्ता से करे या कार्यकर्ता को जो कुछ भी सेवार्थी के बारे में मालूम हो उसे कार्यकर्ता गोपनीय रखे। अगर ऐसी कोई बात आती है कि सेवार्थी की समस्या का समाधान करने के लिए उसे किसी अन्य विशेषज्ञ से साझा करना आवश्यक है तो कार्यकर्ता को सेवार्थी के समक्ष यह स्पष्ट कर देना चाहिए अर्थात सेवार्थी की सहमति आवश्यक है। यदि सेवार्थी गोपनीयता के प्रति आश्वस्त नहीं होगा तो वह अपनी बात रखने में भी संकोच करेगा।

5. **आत्मनिर्णय का सिद्धांत** – इसे समाज कार्य का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने लिए सबसे उपयुक्त का चयन करने का अधिकार है। सेवार्थी को समस्या समाधान के प्रत्येक चरण में उसे आत्मनिर्णय का पूरा अधिकार होता है। इस संदर्भ में कार्यकर्ता को सेवार्थी की सहायता करनी चाहिए जिससे सेवार्थी उचित निर्णया ले सके। इससे सेवार्थी के आत्म सम्मान एवं आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी होती है।

6. **नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत** – इसके अंतर्गत इस बात की सावधानी राखी जाती है कि कार्यकर्ता को सेवार्थी को देखकर उससे व्यक्तिगत या भावनात्मक लगाव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता एक व्यावसायिक व्यक्ति है इसलिए उसे व्यावसायिक

प्रक्रिया का पालन संबंध स्थापन के दौरान करना चाहिए। यहाँ कार्यकर्ता को वस्तुनिष्ठ होने की आवश्यकता रहती है। सेवार्थी की समस्या के संदर्भ में व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्योकि अधिक सहानुभूती कार्यकर्ता के आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है। कार्यकर्ता को परानुभूति का उपयोग करते हुए अपने भावनाओं एवं संवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा व्यावसायिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। सेवार्थी की भावनाओं को व्यावसायिक संवेदनशीलता के आधार पर समझकर व्यावसायिक ज्ञान और उद्देश्य के आधार पर उसका उत्तर देना चाहिए।

7. **अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत** – इसके तहत कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी या उसकी समस्या को देखकर कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए अपितु तब तक कोई किसी नतीजे पर तब टाका नहीं पहुँचना चाहिए जब तक कि सेवार्थी कि समस्या का सही ढंग से अध्ययन और निदान न कर लिया जाय। यह सिद्धांत कार्यकर्ता को सेवार्थी के बारे में कोई भी अतार्किक या अवैज्ञानिक निर्णय लेने से रोकता है।

समाज कार्य की तकनीकियाँ (Techiques of Social Work)

सम्बन्ध, साधन–उपयोग, व्याख्या, स्पष्टीकरण, अंशीकरण, सामान्यीकरण, नवज्ञानार्जन, परिस्थिति परिवर्धन, स्थानान्तरण, स्वीकृति, समाज कार्य के प्रमुख भारतीय चिन्तक राजाराम शास्त्री ने समाज कार्य के प्रमुख सि़द्धान्तों एवं प्रविधियों का उल्लेख किया है। कुछ प्रमुख प्रविधियां निम्न हैं–

- ❖ **सम्बन्ध की प्रविधि** : जब सामाजिक कार्यकर्त्ता सेवार्थी की मदद में अपने और उसके बीच के सम्बन्ध का उपयोग करता है तो यह सम्बन्ध की प्रविधि का उपयोग समझा जाता है। ऐसा होता है कि बहुत–सी स्थितियों में सामाजिक कार्यकर्त्ता में सेवार्थी की आस्था और निष्ठा के कारण यह सम्भव होता है कि वह उसे इच्छित और हितकारी तथ्य को ग्रहण करा सके। सम्बन्ध जितना ही प्रगाढ़ होता है उतना ही इस हेतु उपयोगी होता है। बहुत–सी स्थितियों में सेवार्थी की मनोदशा ऐसी होती है कि उसे अभिव्यक्ति और समंजन हेतु सामाजिक कार्यकर्त्ता के सहारे की आवश्यकता होती है। जब कार्यकर्त्ता उसकी मदद तदनुरूप भाव अभिव्यक्त करके अथवा आंशिक परिवर्द्धन के साथ उसकी बातों को स्वीकार करके या सहमति के साथ सुनकर करता है तो इसे संबल देना कहते हैं। कभी–कभी सेवार्थ के क्रियाकलापों में सामाजिक कार्यकर्त्ता भी

भाग लेता है। इस भागीदारी से कार्य में सुविधा होती है और सेवार्थी में सामाजिक कार्यकर्त्ता के प्रति अपनत्व का विकास होता है।

- ❖ **साधनों का उपयोग** : समाज कार्य में सेवार्थी की सहायता के दौरान अधिक–से–अधिक भौतिक और मानवीय साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक समाज और अभिकरण में कुछ न कुछ नए उपयोगी साधन होते ही हैं और जब इनके उपयोग के माध्यम से सेवार्थी की सहायता में मदद ली जाती है तो इसे साधनों का उपयोग कहते हैं।
- ❖ **व्याख्या की प्रविधि** : अनेक अवसरों पर बहुत से तथ्यों, वाक्यों और स्थितियों को सेवार्थी आसानी से समझने में असमर्थ होते हैं। जब इनकी व्याख्या करके सेवार्थी की मदद की जाती है तो उसे व्याख्या की प्रविधि का उपयोग माना जा सकता है।
- ❖ **स्पष्टीकरण की प्रविधि** : स्पष्टीकरण की प्रविधि आम तौर पर उन स्थितियों में प्रयुक्त होती है, जब कि सेवार्थी हेतु कुछ गहराई में उतर कर तथ्यों की इस प्रकार व्याख्या करनी होती है या उनको समझना पड़ता है कि वे उसके उपरान्त तथ्यों के प्रति अपनी पूर्व धारणा से मुक्त होकर अधिक वस्तुपरक दृष्टि विकसित कर सकें और समस्या समाधान में अधिक ठीक तरीके से सचेष्ट हो सकें।
- ❖ **अंशीकरण** : बहुत बार सेवार्थी की अनेक समस्याएँ मिल कर एक जटिल समस्याजाल का निर्माण कर लेती हैं। सेवार्थी इन्हें अलग–अलग न तो समझ पाता है और न तो इनमें से मूल समस्या को अलग कर पाता है। जब सामाजिक कार्यकर्त्ता अपने ऐसे सेवार्थी की इस प्रकार मदद करता है कि वह अपनी एक या प्रमुख समस्या को एक समय जान या समझ सके और उसके साथ जूझने की कोशिश करे तो यह अंशीकरण कहलाता है।
- ❖ **सामान्यीकरण** : बहुत बार ऐसा होता है कि सेवार्थी यह समझते हैं कि उनकी जो स्थिति या समस्या है वह मात्र उन्हीं की हैं और अन्य लोगों की हो ही नहीं सकती। ऐसी दशा में सामाजिक कार्यकर्त्ता सेवार्थी को यह ज्ञान कराता है कि कोई भी समस्या मात्र किसी एक व्यक्ति की ही नहीं होती वरन् वह दुनिया के और भी व्यक्तियों या सेवार्थियों की समस्या हो सकती है। जब सेवार्थी को इसका पता चलता है तो वह

कुछ राहत महसूस करता है और उसे अपनी हीनता को दूर करने की चेष्टा के लिए आवश्यक बल मिलता है। सहायता की यह प्रविधि सामान्यीकरण कही जाती है।

- **नवज्ञानार्जन या शिक्षण** : जब संबंध को मजबूत करने के लिए, समस्या को समझने के लिए या स्वीकृति और पुनराश्वासन देने के लिए सामाजिक कार्यकर्त्ता सेवार्थी से उसकी समस्या के संबंध में सोद्देश्य प्रश्न पूछता है और उसके माध्यम से तत्संबंधी नया ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही उसके उपचारात्मक गुण का उपयोग करता है तो उसे नवज्ञानार्जन या शिक्षण कहते हैं।

- **परिस्थिति परिवर्धन की स्थिति** : सेवार्थी और उसकी समस्या पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तथा वैयक्तिक कोई भी या कई परिस्थितियों का प्रभाव पड़ सकता है। जब इन परिस्थितियों में सेवार्थी की सहायता की दृष्टि से कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है तो उसे सेवार्थीपरक बनाया जाता है तो इसे परिस्थिति परिवर्धन की स्थिति कहते हैं।

- **स्थानान्तरण** : बहुधा अनेक सेवार्थी कतिपय अवांछित भावनाओं और इच्छाओं से बाल्यकाल या उसके उपरान्त के जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। इन भावनाओं और इच्छाओं को अन्य दिशा में निर्देशित करने के कार्य को स्थानान्तरण कहते हैं। आम तौर पर समाज–कार्य में यह प्रविधि उस दशा में प्रयुक्त होती है जब कि ऐसी धारणाएँ या इच्छाएँ स्वयं कार्यकर्त्ता या चिकित्सक अथवा चिकित्सक विधि या सहायता विधि के प्रति होती हैं।

- **स्वीकृति की प्रविधि** : स्वीकृति की प्रविधि का उपयोग समाज–कार्य वृत्ति में बुनियादी तौर पर होता है। प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्त्ता सेवार्थी को, वह जिस किसी भी रूप में है, पूरे मानवता के साथ स्वीकार करता है। हो सकता है कि सेवार्थी सामाजिक कार्यकर्त्ता के प्रति आक्रामक हो या उस पर निर्भर; पर सभी स्थितियों में वह उसे अपने सेवार्थी के रूप में ही देखता और स्वीकार करता है। स्वीकृति के ही आधार पर वह वास्तव में उसकी मदद कर सकता है। स्वीकृति एकपक्षी न होकर उभय पक्षी होती है अर्थात् सेवार्थी सामाजिक कार्यकर्त्ता को और सामाजिक कार्यकर्त्ता को स्वीकृति प्रदान करता है। इस उभयपक्ष की स्थिति में सहायता का कार्य अधिक सुविधाजनक और फलप्रद होता है।

सारांश (Summary)

- समाज कार्य परिचय की इस इकाई में समाज कार्य के सैद्धांतिक पक्ष के साथ–साथ व्यावहारिक पक्ष में काम आने वाले महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है। सर्वप्रथम समाज कार्य के सिद्वांतों को इस इकाई में शामिल किया गया है, जिससे विद्यार्थी सिद्धांतों को पढ़कर उनका व्यावहारिक प्रयोग कैसे करेगा? यह महत्वपूर्ण तथ्य है।
- दूसरा समाज कार्य की विभिन्न तकनीकियाँ इस इकाई में शामिल है। समाज कार्य अभ्यास में विभिन्न विधियों में यह तकनीकियाँ किसी कार्य को करने में, सुचारू रूप से चलने में महत्वपूर्ण होती है जो पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है।
- विभिन्न तकनीकियों का उपयोग व्यावहारिक कार्य अभ्यास में कैस करेंगे? यह विस्तृत रूप से समझाया गया है।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **समाज कार्य के सिद्धांत** : वे नियम या अभ्यास के उपकरण जो परीक्षण पर आधारित होते हैं के अंतर्गत परीक्षण एवं अनुभवजन्य विचार जिनका अनुपालन आवश्यक है।
- **समाज कार्य की तकनीकियां** : व्यावहारिक क्षेत्र में प्रयोग करने की कला, कौशल जो विशेष प्रशिक्षण द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रदान की जाती हैं।

स्व–मूल्यांकन (Self-Assesment)

- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न **(Long answer type questions)**
  1. समाज कार्य प्रमुख सिद्धान्तों को लिखें।
  2. आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को लिखें।
  3. साधनों के उपयोग सिद्धान्त को लिखें।
  4. सेवार्थी की मनोदशा के अनुसार कार्य करना – सिद्धान्त लिखें।
  5. गोपनीयता के सिद्धान्त को लिखें।
- लघु उत्तरीय प्रश्न **(Short answer type questions)**
  1. अंशीकरण तकनीक को लिखें।
  2. नवज्ञानार्जन तकनीक को लिखें।
  3. परिस्थिति परिवर्धन तकनीक को लिखें।

4. स्वीकृति तकनीक को लिखें।
5. स्थानान्तरण की तकनीक को लिखें।

- **अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Very short/ Objective type questions)**

1. सम्बन्ध तकनीक को लिखें।
2. साधन उपयोग तकनीक को लिखें।
3. सामान्यीकरण तकनीक को लिखें।
4. स्पष्टीकरण तकनीक को लिखें।
5. व्याख्या तकनीक को लिखें।

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. क्षेत्र में रोजगार की स्थिति का आंकलन करें एवं प्रतिवेदन तैयार करें।
2. किसी जरूरतमंद या समस्याग्रस्त व्यक्ति को सामान्य स्थिति में लाने हेतु आप कैसे उसे संबल प्रदान करेंगे। उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए।

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ :

- सिंह कीर्ति विक्रम पाण्डेय, बालेश्वर – समाज कार्य के नये आयाम, भारत बुक सेंटर, लखनऊ।

वेब संदर्भ :

- https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF